महानगर नई दिल्ली रविवार 29 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

मौसम के सबसे सर्द दिन में ठिठुरे दिल्लीवासी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

देश का समूचा उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत व पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से गंभीर शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली में शनिवार मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा जहां 1.7 डिग्री तापमान के साथ लोधी रोड सबसे ठंडा स्थान रहा। दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने लाल चेतावनी जारी की है।

घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से हवाई, रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुए। शीतलहर से नए वर्ष तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार उड़ानों को दिल्ली हवाईअड्डे से अन्य स्थानों की ओर मोड़ना पड़ा। नई दिल्ली सफदरजंग वेधशाला ने शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सफदरजंग वेधशाला की रीडिंग को दिल्ली की आधिकारिक रीडिंग माना जाता है। यही तापमान 30 दिसंबर 2013 को दर्ज किया गया था। इससे पहले इस महीने में दिल्ली में सबसे ठंडा दिन 11 दिसंबर 1996 को था जब न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तापमान दो डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। 1901 के बाद से यह दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर दर्ज होने की राह पर है।

मौसम विज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अन्य वेधशालाओं में दर्ज न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा- पालम में 3.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 1.7 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 1.9 डिग्री सेल्सियस। रविवार को इसमें और गिरावट का अनुमान है। वहीं वायु गुणवत्ता शनिवार को फिर से बिगड़ गई। तापमान गिरने, उच्च नमी और हवा की कम गति के कारण बाकी पेज 8 पर

1.7
डिग्री तापमान के साथ लोधी रोड दिल्ली का सबसे ठंडा स्थान रहा

राजस्थान के सीकर में शनिवार को पेड़ों की टहनियों और पत्तियों पर जमी बर्फ।

1.9
डिग्री सेल्सियस रहा आया नगर और 3.1 डिग्री रहा पालम का तापमान

रविवार को इसमें और गिरावट का अनुमान है।

नेकनीयती से किए फैसलों का करेंगे बचाव

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और यूपीआइ के जरिए लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क नहीं लिए जाने के बारे में भी जानकारी दी।

सीतारमण ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आश्वस्त किया कि ईमानदारी के साथ लिए गए व्यावसायिक फैसलों के गलत हो जाने और आपराधिक मामलों में फर्क किया जाएगा। इस बैठक में सीबीआइ के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बैंक चिंता के ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां तीन-सी के भय से निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था। इस बात को लेकर चिताएं थीं और इस तरह के मामलों पर काम कर रही इन एजंसियों के कारण होने वाली अनावश्यक परेशानियों व प्रताड़नाओं से बचने के लिए बैंक सही निर्णय भी नहीं ले पा रहे थे। सीबीआइ, कैग और सीवीसी बाकी पेज 8 पर

बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा

जांच एजंसियों के उत्पीड़न से जुड़ी चिंताओं के निदान के प्रयास होंगे, आपराधिक व व्यावसायिक मामलों में करेंगे फर्क

एक जनवरी से रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ से भुगतान पर एमडीआर शुल्क खत्म

नई दिल्ली में शनिवार को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

नागरिकता कानून पर बवाल : पीएफआइ पर पाबंदी की तैयारी

संगठित थी यूपी में हुई हिंसा : रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश की हिंसा संगठित थी। नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर राज्य की खुफिया आकलन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आक्रोश स्वतःस्फूर्त था, लेकिन हिंसा ज्यादातर संगठित थी। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इसके आधार पर योगी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें सिमी के सहयोगी अलगाववादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बाकी पेज 8 पर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए और एनआरसी को लेकर अफवाह फैलाने वालों में डर पैदा करने वाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विस्तृत खबर पेज 8 पर

फाइल फोटो

22
लोगों की मौत हो चुकी है हिंसा के दौरान यूपी में

यूपी सरकार ने पीएफआइ पर प्रतिबंध की तैयारी शुरू की।

'पुलिस ने गला दबाया, धक्का देकर गिराया'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि लखनऊ में उनके साथ बदसलूकी की गई। गिरफ्तार किए गए पूर्व आइपीएस और कांग्रेस प्रवक्ता के परिजनों से मिलने जाने के दौरान उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और धक्कामुक्की की गई। प्रियंका ने कहा, 'मैं गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। मुझे घेरा गया और एक महिला पुलिसकर्मी ने मेरा गला दबाया। मुझे धक्का दिया गया और मैं गिर गई। आगे चलकर फिर मुझे पकड़ा तो मैं एक कार्यकर्ता बाकी पेज 8 पर

मेरठ के एसपी की विवादास्पद टिप्पणी, गरमाई सियासत

प्रदीप वत्स
मेरठ, 28 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों के समूह को एक पुलिस अधिकारी द्वारा पाकिस्तान चले जाने को कहे जाने से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को वीडियो साझा करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संस्थाओं में सांप्रदायिक जहर घोल रही है।

घटना कथित रूप से 20 दिसंबर को लिसारी गेट पुलिस थाना इलाके में हुई, जब मेरठ के पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिह बीते सप्ताह शहर में हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों के बाद एक संकरी गली में कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे।

इस संबंध में स्थानीय मीडिया को सफाई देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो कुछ भी वीडियो में सुना गया है, वह प्रदर्शनकारियों के उस समूह को जवाब था जो पाकिस्तान के समर्थन बाकी पेज 8 पर

वीडियो में पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को कह रहे पाक जाने की बात

कांग्रेस का हल्ला बोल, देशभर में रैलियां और प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न राज्यों में 'संविधान बचाओ' जुलूस (फ्लैग मार्च) निकाला। हर जगह कांग्रेस नेताओं ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और शपथ ली। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

केरल में कांग्रेस नेताओं ने केरल में राज भवन तक 'महा रैली' निकाली और इस कानून को निलंबित करने व राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) रोकने की मांग की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सीएए और एनआरसी को सबसे अधिक 'असंवैधानिक' और 'अतार्किक' करार देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर देगा। उन्होंने कहा, 'नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे संविधान के मूल आधार को नष्ट करता है।'

गुजरात में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की मौजूदा सरकार की तुलना ब्रिटिश शासकों से की। अमदाबाद में पार्टी के गुजरात प्रभारी राजीव सातव, राज्य इकाई के प्रमुख अमित चावडा और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी सहित कई ने जुलूस में हिस्सा लिया। जयपुर में फ्लैग बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस नेताओं ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और शपथ ली।

हिंसा की ओर लौट सकता है असम : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि केंद्र और असम की भाजपा सरकारों की नीतियों के चलते यह राज्य हिंसा के पथ पर लौट सकता है। गुवाहाटी में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में शांति लाने वाली असम संधि को बाकी पेज 8 पर

गुवाहाटी में जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

इतिहास कांग्रेस में आरिफ को करना पड़ा विरोध का सामना

तिरुवनंतपुरम, 28 दिसंबर (भाषा)।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब ने भारतीय इतिहास कांग्रेस में उनके उद्घाटन भाषण को बाधित करने की कोशिश की और भिन्न राय को लेकर उनकी 'असहिष्णुता अलोकतांत्रिक' थी।

खान ने तस्वीरों के साथ एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा कि कन्नूर में भारतीय इतिहास कांग्रेस के दौरान श्रोताओं द्वारा उनके भाषण को बाधित करने के प्रयास किए गए। राज्यपाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हबीब ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को उद्धृत करने के खान के अधिकार पर सवाल उठाए और चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें गोडसे को उद्धृत करना चाहिए। खान ने कहा कि वह तो केवल बाकी पेज 8 पर

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इतिहासकार इरफान हबीब ने उनके उद्घाटन भाषण को बाधित करने की कोशिश की।

रविवारी
29 दिसंबर, 2019

आधुनिक शहरों की चुनौतियां

भारत में शहरों के विकास और विस्तार पर जोर है। इसके चलते बहुत सारे गांव शहरों की जद में आते गए हैं। इसके अनेक दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटना बड़ी चुनौती है। बता रहे हैं राजेंद्र रवि।

- **कविता**/ महेश आलोक
- **कहानी**/ रामदरश मिश्र
- **प्रसंग**/ देवशंकर नवीन
- **योग दर्शन**/ डॉ. वरुण वीर
- **शख्सियत**/ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
- **दाना-पानी**/ मानस मनोहर
- **सेहत**/ रविवारी डेस्क

नए जमाने का चलन • अनीता सहरावत

- **कविता**/ वसीम अहमद
- **कहानी**/ मोहम्मद अरशद खान

दरअसल

मैरी कॉम ने मैच के बाद नहीं मिलाया हाथ | **मुक्केबाजी** | **जरीन के गले लगने के प्रयास को भी नकारा**

मुकाबला खत्म लेकिन कड़वाहट नहीं

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

एमसी मैरी कॉम और निकहत जरीन के बीच बहुप्रतिक्षित मुकाबला भले ही समाप्त हो गया है लेकिन इन दोनों के बीच का विवाद समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे। निकहत इस मुकाबले में मैच के साथ एक रिश्ता भी हारतीं दिख रही हैं। छह बार की विश्व चैंपियन ने निकहत को 9-1 से हराकर ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई।

दरअसल, निकहत जरीन ने मैरी कॉम से मुकाबले को लेकर खेल मंत्री तक को पत्र लिखा था। कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों के बीच मुकाबला खत्म होने के बाद सबकुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुक्केबाजों ने मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया। मैरी कॉम ने युवा मुक्केबाज से गले लगने से भी इनकार कर दिया।

मुकाबले के बाद मैरी ने खेल मंत्री किरन रिजीजू को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, आप मेरा नाम बेकार के विवाद में खींच लेते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। हां, मैं उससे गले नहीं लगी तो इसमें क्या हो गया? मैंने यह शुरू नहीं किया था, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं ट्रायल में नहीं लड़ूंगी तो आपने मेरा नाम क्यों खींचा।

मैरी कॉम ने पूर्व चयन विवाद का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता पिंकी जांगड़ा से चुनौती मिली थी। उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी चिढ़ जाती हूं। जब इस तरह से मेरी उपलब्धियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या मैं गुस्सा नहीं हो सकती? और ऐसा पहली बार नहीं था। यह मेरे साथ कई बार हो चुका है जबकि किसी अन्य मुक्केबाज ने वो हासिल नहीं किया जो मैंने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करो और मेरी जगह आओ, कौन बाकी पेज 8 पर

"मुझे यह पसंद नहीं, आप मेरा नाम बेकार के विवाद में खींच लेते हैं। हां, मैं उससे गले नहीं लगी तो इसमें क्या हो गया? - **मैरी कॉम**

"जैसा बर्ताव किया, उससे मैं आहत हूं। उन्होंने रिंग के अंदर भी कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक है। -**निकहत जरीन**

मुकाबले के बाद दोनों मुक्केबाज।

क्यों हुआ विवाद

यह विवाद तब खड़ा हुआ जब भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अध्यक्ष अजय सिंह ने विश्व चैंपियनशिप के बाद कहा कि मैरी कॉम का कांस्य पदक उन्हें ट्रायल्स से छूट देने के लिए काफी है जबकि चयन नीति के अनुसार केवल स्वर्ण और रजत पदक विजेता को ही ओलंपिक क्वालीफायर के लिए सीधे स्थान मिलेगा।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It's Notified That We Have Corrected Our Names In My Daughter's Passport Aliya,Mohd Jakerya And Aisha R/O-House.No-92,Ward.No-6,Madeena-Colony, Mewat Nuh, Haryana-122107,have changed our name's and shall, hereafter be known as Aaliya Zakarya, Mohammed Zakarya And Aisha Zakarya.It's certified that we,have complied with legal, requirements in this connection. 0040525827-1

It is general information that I, Devender Taank, S/o Sh.Prakash Taank R/o-5/94,Shiv-Park, Village-Nangloi, Delhi, informs that name of mine and my father has been wrongly-written as Devender and Prakash Tank in my Conductor's License.No.DL42019cl00063 and 10th-Certificate and marksheet.The actual name of mine and my father are Devender Taank and Prakash Taank respectively which may be amended accordingly. 0040525833-5

I Anil Kumar S/O Shyam Lal, House.No.1069b/23 D.L.F-Colony Rohtak Haryana-124001,Changed My Name To Anil Tayal. 0040525761-3

I Archana W/O-Virender Dhankhar Add-408/24 Jagdish-Colony Rohtak Haryana-124001.Changed My Name To Archana Dhankhar. 0040525761-2

I Army No. 1487452 Jang Bahadur Singh 339 DSC Platoon ATT To 402 AIRFORCE Station Chakeri Kanpur, U.P. In my service record my son's name is wrongly entered Ashutosh Singh Rathore. In future my son's name is known as Ashutosh Rathore and D.O.B.- 01.01.2002. 0060071840-4

I Army No. 15414016 W, Deshamukh Harish Chandraramchandra ADM BN AMC Centre & College Cantt. Lucknow. In my service record my wife's name is wrongly entered Shubhangi H Deshmukh. In future my wife's name is known as Shubhangi Harishchandra Deshmukh. 0060071840-2

I Km. Diksha Mishra W/0-Harikesh Kumar R/0-D-398 Street No-2,3 Pusta Sonia-Vihar Delhi-110094. Changed My Name To Deeksha Devi. 0040525833-3

I Madhur Veena W/O Suresh Kumar Bansal H.No-129,Vigyan-Vihar Delhi-110092.Have Changed My Name To Madhur Veena Bansal 0040525794-3

I Manju Garg W/O Anil Tayal, House.No.1069b/23 D.L.F-Colony Rohtak Haryana-124001,Changed My Name To Manju Tayal. 0040525761-4

I Tapan S/O Surender Yadav R/O 45-B,1st. Floor Krishan Kunj Colony Laxmi Nagar Delhi-110092.Have Changed My Name To Tapan Yadav. 0040525794-2

I, Vicky S/o Prem Pal H.No.612, Sunlight-Colony-I, Near-Bala-Sahib Gurudwara, N.Delhi-110014. Have changed my name to Vicky Kumar. 0040525833-2

I, Amir Chandra S/o Sh. Surendra Singh R/o Dhakpura, Targawan, Etah, Uttar Pradesh-207249 have changed my name and shall be known as Sandesh Kumar. 0070690328-1

I, Anil S/o-Mangla Nand Uniyal R/o-T/F, T-308, Prem-Nagar, Uttam-Nagar, Delhi-110059,have changed name to Anil Uniyal. 0040525761-6

I, Anup Kumar Das Gupta alias Anupkumar Dasgupta alias Anup kumar Dasgupta S/o Sh. Narendra Nath Dasgupta R/o Gali No-3, Shivpuram West, Sarvagya School, paniyala Road, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand-247667 have changed my name and shall hereafter be known as Anup Kumar Das Gupta. 0070690316-1

I, Shabnm W/O-Mukhtar Ahmad R/O-6197, Pakki-Gali, Bara-Hindu-Rao,Delhi-110006,Have Changed My Name To Shabnam,For All Purposes. 0040525794-4

I, Shib Kumar Das S/O Chandeshri Das R/O C-461/12,Om Nagar Meethapur Extn Badarpur Delhi-110044.Have Changed My Name To Shib Kumar. 0040525794-1

I, Arun Kumar S/o Sh. Sukhpal Singh R/o 76, Sain Gali, Village Tigipur, Tigipur, North West Delhi-110036 have changed my name and shall hereafter be known as Arun Tanwar. 0070690321-1

I, Aslam S/o Jumma R/o Z-II/432 Gali No-3 Welcome Seelampur Delhi-110053, have changed my name to Mohammed Aslam. 0040525736-2

It is for general information that I,Chander Pal S/o-Manohar Lal R/o-16/88, T.F.,Geeta-Colony Delhi-110031,inform that name of my father hasbeen wrongly-written as Surat Lal in my DL1320110093418.The actual name of my father is Manohar Lal which may be amended accordingly. 0040525827-7

I,**Sushila** Devi,W/o-Bhupender Singh Dagar S/o Satbir Singh,R/o-154 Pol No.59/A Near-Community Centre Bhajan Thola Malikpur-Village Delhi-110073,inform that Sushila Devi and Susheela both name are same person. 0040525827-5

I,**Service** No.-15665094A(HAV)KANNABABU VUDAYANA,S/o-Late Satyam Naidu,R/o-1-38, Sambana, Kottugumada,Srikakulum,Andhra-Pradesh-532460,declares that name of wife has been recorded-wrongly as SUKANYA,in my service record whereas, correct name is VUDAYANA SUKANYA, amended accordingly. 0040525827-2

I,**Seema** Sharma W/O-Ajay Sharma R/O-4021 Street.No.16 Shanti-Muhalla Gandhi-Nagar Delhi-110031,Have Changed My Name Seema Gaur To Seema Sharma.,for All Future Purposes. 0040525794-9

I,**Sadhana** Yadav W/o Jai Singh Village Jhal, Tehsil Kosli Dist. Rewari, Haryana-123302 have changed my name from old two name Sumitra Yadav and Sumitra Devi to Sadhana Yadav for all future purposes. 0040525742-1

I, Tuhin Sahanaj, D/o Sajahan SK, W/o Md Fekarul Islam, R/o Vill Tofapur Post Bhabanipur Ps Farakka, Bhabanipur, Murshidabad, West Bengal-742202, have changed my name and shall hereafter be known as Nooemi Mirza. 0070690347-1

I, Chranjeet Singh S/o Amarjeet Singh R/o 67/74, First-Floor, J.J.Colony, Sector-25, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Charanjeet Singh. 0040525761-5

I, Danish Ahmad S/O-Mukhtar Ahmad R/O-6197, Pakki Gali, Bara Hindu-Rao, Delhi-110006,Have Changed My Name To Mohammad Danish,ForAll Purposes. 0040525794-5

I, Deepti Agarwal W/o-Vinod Agarwal R/o-807 Imperial-Block, Supertech-Estate,Sector-9.Vaishali Ghaziabad-201010,Have Changed My Name To Dipti Agarwal. 0040525794-6

I, Farida W/o Md. Yasin R/o-B-236, Resettlement-Colony, Khyala,Delhi-110018,have changed my name to Farida Begam. 0040525761-7

I, Himanshu S/O Surender Kumar R/O-Da-174 , Ward-01, Kaji-Wada Mohalla,Hodal.Have Change Name To Himanshu Mehanderatta S/O Surender Kumar,For All. 0040525794-10

I, Hoorjahan,w/o-Yunus R/oH.no.F-2/374, sunder-nagri Delhi-110093,have changed my name,from Sabnam to Hoorjahan,both are the same person,for all future purposes. 0040525794-7

I, Km Reena Shriwastawa W/O-Amit Kumar Srivastava H.No.A7/25, GF Elite-Floor Sector-85 Faridabad, Haryana-121002,Changed My Name To Reena Srivastava 0040525761-1

I, Krishna Das Gupta alias Krishna Sengupta alias Krishna Sen Gupta D/o Sisir Kumar Sengupta W/o Sh. Anup Kumar Das Gupta R/o Gali No-3, Shivpuram West, Sarvagya School, paniyala Road, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand-247667 have changed my name and shall hereafter be known as Krishna Das Gupta. 0070690327-1

I, Manoj Agarwal F/o Pragati Agarwal R/o House No. 34, Sadbhawna Apartment, 13, I.P.Extn., Delhi-110092, informs that my daughter's name has been changed from Prakti to Pragati Agarwal. Hence in future my daughter's name will be known as Pragati Agarwal for all purpose. 0040525739-1

I, Md.Yahseen S/o Md.Ibrahim R/o-B-236, Resettlement-Colony, Khyala, Delhi-110018,have changed my name to Md. Yasin. 0040525761-8

I, Meenakshi Shukla W/o Pradeep Kumar Shukla R/o Flat No.873, Plot No.13, Sargodha Apartments, Dwarka Sector-7, New Delhi-110075, have changed my name to Minakshi Shukla for all purposes. 0040525735-1

I, Sandeep Kumar S/o-Shri.Tilak Raj R/o-H.No.C-27,East Uttam Nagar,New Delhi-110059,have changed my name to Sandeep Kumar Johar for all,future purpose. 0040525827-3

I, Uma Shanker W/O Ram Kumar R/O-WZ-126A, SriNagar, Shakur-Basti, Delhi Changed Name to Uma Shankar. 0040525761-9

I, Pradeep Kumar Prajapati, S/o Ram Prasad Prajapati, residing at Flat.No-193, Pocket-K, Sarita-Vihar, Delhi-110076, have changed the name of my Minor son Akshat Pradeep Kumar Prajapati aged 14-Years and he shall be hereafter be known as Akshat Prajapati. 0040525833-1

I, Pawan Kumar Rana S/o Mr.Satbir Singh H.No.828A/1, Bharat-Colony Rohtak(Haryana)-124001,have changed my name to Pawan Kumar,for all purposes. 0040525794-8

I, Papendra Som S/O Chatter Sain R/O Kushawali, Khawajahanpur, Meerut, U.P-250342 Changed My Name To Papendra Kumar. 0040525761-11

I, Patail S/o Sh. Bhupender Singh R/o Daroli (32), Hisar, Haryana-125052 have changed my name and shall hereafter be known as Patail Manderna. 0070690330-1

I, Bhupender Singh Dagar,S/o.Satbir Singh, R/o-154 Pol.No.59/A Near-Community-Centre Bhajan Thola Malikpur-Village,Delhi-110073, inform that Bhupender Singh Dagar and Bhoopender both name are same person. 0040525827-4

I, Chanchal Sharma W/o Kamal Kant Sharma R/o C-31/18, Abhimanya Gali No.3, Arjun Mohalla, Delhi-110053, have changed my name to Pooja Sharma for all purposes. 0040525781-1

I, Chanda Gulati D/o Shyam Sunder Gulati R/o 7/111, Geeta Colony, Delhi-110031, have changed my name from Chanda to Chanda Gulati for all future purposes. 0040525731-1

I, Surabhi Saxena D/o-Manoj Kumar,W/o-Rahul Bhatnagar R/o-C2B/30A,Janakpuri, New-Delhi-110058.have changed my name to Surabhi Saxena Bhatnagar,for all,future purposes. 0040525827-6

I, Uzmaa Rani D/o Amir Ahmed R/o 3/5 Block-J-3 Laxmi Nagar Delhi-110092, have changed my name to Uzma Rani Khan. 0040525736-1

I Naseeb S/O Hari Krishan R/O-Vpo, Mayna Distt-Rohtak, Haryana-124001. Have Changed My Name To Naseeb Panghal. 0040525517-8

खोया+पाया

It is Notified For the Information That My Original Qualifying Examination Certificate of Main Sr. Sec. Examination of Year 2012 Roll No.9737796 Issued By CBSE Has Been Actually Lost. Huda D/o Suhail Ahmed, F-123 Shaheen Bagh Okhla Jamia Nagar N.D. 25. 0040525699-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying,Examination-Certificate of class-10th year-2018,Roll.No.8185255,issued by CBSE has been-actually lost.Vaibhav Mittal,S/o-Mr.Ajay Mittal,R/o-D-814, Saraswati-Vihar, Pitampura, Delhi. 0040525827-10

सूचनार्थ है इन्दू चौधरी पत्नी अरूण कुमार, 19/317, सुन्दरम खण्ड, वसुन्धरा, गाजियाबाद का इमार द्वारा डेवलप्ड लखनऊ गोमती ग्रीन में यूनिट सं0 GGP-C-CO1/37 के आवंटन एवं एग्रीमेंट का मूल दस्तावेज तथा जमा धनराशि की रसीदें कहीं खो गयी है।

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (TESTAMENTARY INTESTATE JURISDICTION)
CITATION U/s 283, INDIAN SUCCESSION ACT, 1925
In the matter of **TEST CASE No. 93/2019**
LT. COL. HARNARINDAR SINGH ... PETITIONER
Versus
GOVT. OF NCT OF DELHI ... RESPONDENT
To,
All Concerned,
In the matter of estate of **Late Mrs. Rubie Salochana Nanda, W/o Late Dr. Ajudhiya Nath Nanda, R/o J-137, Saket, New Delhi.**
Whereas **Lt. Col. Harnarindar Singh**, S/o **Late Shri Sher Singh, R/o C-136, Defence Colony, New Delhi-110024** has filed a petition **under Section 278 of the Indian Succession Act for grant Letters of Administration in respect of the estate of Mrs. Rubie Salochana Nanda, deceased.**
And whereas the aforesaid case is fixed for hearing on **03.02.2020 at 11.00 AM** before Joint Registrar (Judicial) of this Court and on **02.03.2020 at 10:30 AM** before this Hon'ble Court. This citation is issued, in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the properties of the said deceased to come to this Court, file objections, if any and take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Letter of Administration.
Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the order dated 13th day of December, 2019.
Sd/-
Assistant Registrar (O)
for **REGISTRAR GENERAL**
Seal
rb

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE
FLAT NO. 1406, 14TH FLOOR, GOWARDHAN APARTMENT, KAUSHAMBI, DISTRICT AND TEHSIL GHAZIABAD, U.P.
Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India / Other Bank(s) / FI**, and Lease Deed executed by Ghaziabad Development Authority in favor of Smt. Dharmi Devi, duly registered vide Regd. No. 7897, Book No. I, Vol. No. 5428, pages 477-534, dated 05.04.2005. My Client Shri Manoj Kumar & Smt. Shivani Kakodia Brar entered in to an agreement to sale with the present owner/ seller Smt. Sita Rani in respect of sale of captioned property.
It is further informed that the original registration page of the above lease deed is missing/ lost and an online FIR vide LR No. 19834004/2019 dated 10.12.2019 filed by Smt. Sita Rani (present owner).
It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim, any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor **Shri Manoj Kumar and Smt. Shivani Kakodia Brar** shall be deemed to be clear and marketable without any defect encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company, financial Institution / Bank.
NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile - 8587888197, Email - nr2verma@gmail.com

PUBLIC NOTICE
SFS FLAT NO. 2251, FIRST FLOOR, POCKET – 2, SECTOR – D, VASANT KUNJ, NEW DELHI
Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India / Other Bank (s)/ FI** and my client(s) entered in to an Agreement executed between **Smt. Deepa Chakravorty** and my client(s) i.e. **Shri Varun Singhal and Smt Swati Aggarwal** in respect of the captioned property.
It is further informed that the Original Conveyance Deed in the property documents found Laminated executed by DDA in favor of Shri Rajendra Prasad Sharma, duly registered vide Doc. No. 1204, dated 18.09.1997.
It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 05 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor **Shri Varun Singhal and Smt Swati Aggarwal or their nominiees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company, financial Institution / Bank.
NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile - 8587888197, Email - nr2verma@gmail.com

PUBLIC NOTICE
It is hereby informed to all General Public that our clients namely Shri Suresh Chand Agarwal son of late Shri Ram Kishan Agarwal and Smt. Neelam Agarwal wife of Shri Suresh Chand Agarwal, Both Residents of: K-9, Model Town, Delhi-110009, hereby disown their son namely Romy Agarwal and his wife i.e. their daughter-in-law namely Mrs. Priyanka Agarwal Alias Priyanka Goyal aged about 33 years & 30 years respectively from inheriting their entire properties either Moveable or Immovable as well as Business Assets being their class-I legal heir due to committing severe harassment and torture to our aforesaid clients. However, our aforesaid clients have also severed all their relations with their above named son and daughter-in-law namely Romy Agarwal and Priyanka Agarwal Alias Priyanka Goyal and our clients shall not be responsible for their any act while dealing with any person.
(SANJAY GOEL)
ADVOCATE
106, Ist Floor, Best Sky Tower, Opp. Fun Cinema, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi

PUBLIC NOTICE
It is hereby informed to all General Public that our clients namely Shri Suresh Chand Agarwal son of late Shri Ram Kishan Agarwal and Smt. Neelam Agarwal wife of Shri Suresh Chand Agarwal, Both Residents of: K-9, Model Town, Delhi-110009, hereby disown their son namely Shivam Agarwal and his wife i.e. their daughter-in-law namely Mrs. Komal Agarwal Alias Komal Goyal aged about 26 years & 27 years respectively from inheriting their entire properties either Moveable or Immovable as well as Business Assets being their class-I legal heir due to committing severe harassment and torture to our aforesaid clients. However, our aforesaid clients have also severed all their relations with their above named son and daughter-in-law namely Romy Agarwal and Priyanka Agarwal Alias Priyanka Goyal and our clients shall not be responsible for their any act while dealing with any person.
(SANJAY GOEL)
ADVOCATE
106, Ist Floor, Best Sky Tower, Opp. Fun Cinema, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi

नहीं रहे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट विकास सबनीस

मुंबई, 28 दिसंबर (भाषा)।

दिग्गज कार्टूनिस्ट विकास सबनीस का शुक्रवार को यहां निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वह 69 साल के थे। सबनीस के घर में पत्नी और एक बेटा है। 12 जुलाई, 1950 को जन्मे सबनीस ने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की थी। वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते थे।

ठाकरे राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित अपनी साप्ताहिक पत्रिका 'मार्मिक' के लिए कार्टून बनाते थे। हालांकि, अपनी बढ़ती राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने बाद में ये जिम्मेदारी सबनीस को सौंप दी।

PUBLIC NOTICE
Public at large hereby informed that my client Sh. Kishore Kumar Mehndiratta S/o Sh. Laxman Dass Mehndiratta R/o WZ-140/158A, Gali No.44, Arya Samaj Road, Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden, S.O. West, Delhi -110059 is the sole and exclusive owner of L-Shape Shop at ground Floor and Second Floor of property No. WZ-140/158A, Gali No.44, Arya Samaj Road, Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden, S.O. West, Delhi - 110059 through partition deed executed on 1st Oct. 2019.
SACHIN-ADVOCATE
Office:56, New Delux partment, Sec-9, Rohini, Delhi

PUBLIC NOTICE
My Clients Sabita Dey W/o Nibaran Dey & Kshitish Chandra Bhowmik S/o Jyatindra Bhowmik R/o 191, 1st floor, DDA Janta Flats, Badarpur, New Delhi have lost property allotment Letter of property No. 191, 1st floor, DDA Janta Flats, Badarpur, New Delhi Dt: 31.7.2000 issued by DDA on the name of Latta Rani, if anybody found, contact with my clients.
Sd/-
Naveen Kumar
ADVOCATE
Ch.No. 424, Saket Courts, Saket, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE
It is for general information, that I MOHD. DILSHAD S/O GARIB MOHD R/O H.NO. 886-B, WARD NO. 8, MEHRAULI, GADAIPUR, NEW DELHI-110030 declare that, name of MINE/ my MINOR DAUGHTER/ my WIFE has been wrongly written as MOHD DILSHAD SAIFI, ZOHRA YASMEEN SAIFI/ MOMEENA SAIFI in my daughter's school certificate/record. The actual names of mine/my minor daughter/ my wife are MOHD. DILSHAD, ZOHRA, MOMEENA respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
MOHD DILSHAD

PUBLIC NOTICE
I, **Ishwar Devi** spouse of No.13866383, Rank Sepoy Late. Sher Singh ASC Resident of House. No. 07, Harijan Basti, Harijan Colony, Near ITI Road, Jaffarpur Kalan, South West Delhi-110073, have changed my name from Ishwar Devi to Ishwari Devi (due to ommission of word "I" in my original name in all service documents), vide affidavit dated 17 Dec 2019 before Shri Satish Kumar Gupta, SDM (Najafgarh), South West District, Najafgarh, New Delhi-110043.

PUBLIC NOTICE
To be known to all that I **Arjun Singh** S/o Sh. Gian Ram R/o AG93/94 A Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi-63 owner of **DDA Plot No.65, Pocket-2, Sector-A-10, Narela, Delhi** has applied for conversion of the aforesaid Plot from lease hold to free hold vide File No **F11(37)93/LAB(R)** Dated **15/02/2013** in DDA. All the original documents i.e. 1. **Perpetual Lease 2. Allotment letter 3. Demand Letter** of the above Plot have been misplaced/lost. An FIR to this effect has been lodged in the Police Station Delhi vide LR No **2045705/2019** dated **28/12/2019**.
Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of the above said original documents may write/contact with above named person at above address/phone No **9350863407** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to the Dy. Commr. (LAB) Residential or Director (Hq.), E-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE
This is to inform public at large that our client Mrs. Urmila Devi W/o Mr Rajendra Prasad Singh R/o House no 337, Gali No.8, Surendra Colony, Part 3, Jheroda Majra, Burari, Delhi-84 & her family members have severed all relations with her son Mr. Ajeet Singh and his wife Rinku Devi as they have gone out of control & have been disobedient. They have been disowned & debarred by our client from all her properties (Immovable & Movable) & assets including the conducting of her funeral rites after demise. Any person dealing with them shall be doing at his own risks & consequences. Our client & her family members shall not be liable/ responsible in any manner for the acts, deeds & omission of Mr. Ajeet Singh & his wife Rinku Devi
Brijesh Kumar (Advocate)
For Rama & Associates
Ch. No. 349, W Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT
IAS & HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

17 जनवरी से अमदाबाद-मुंबई के बीच दौड़ेगी तेजस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

भारतीय रेलवे की पर्यटन व खानपान शाखा (आइआरसीटीसी) की दूसरी तेजस ट्रेन 17 जनवरी को अमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ने के लिए तैयार है। इस ट्रेन का व्यावसायिक परिचालन 19 जनवरी, 2020 से शुरू होगा। तेजस ट्रेन दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर पहले से ही परिचालन में है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुआ है। इसके बाद यह दूसरी ट्रेन तैयार की गई है।

- 19 जनवरी से यात्रियों के लिए शुरू होगी सेवा।
- केवल ऑन लाइन होगी बुकिंग, मिलेगा 25 लाख का बीमा।

भारतीय रेलवे के मुताबिक 10 जनवरी से ट्रेन के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रेन को 17 जनवरी को अमदाबाद से हरी झंडी दिखाई जाएगी। अमदाबाद से मुंबई के बीच इस ट्रेन का नंबर 09426 होगा, जबकि वापसी में यह नंबर 09425 होगा। रेलवे के काउंटर पर इस ट्रेन की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। इसके लिए यात्रियों को आइआरसीटीसी, पेटीएम, मेक माई ट्रिप समेत अन्य बुकिंग साइट से भी सीट की बुकिंग करनी होगी। मंत्रालय के मुताबिक तेजस सेवा गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को 25 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा दिया जाएगा, जिसमें एक लाख रुपए चोरी-डकैती का भी बीमा होगा।

यह पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है। इसमें दो एग्जूक्यूटिव क्लास होंगी, जिसमें 56 सीट हर बोगी में होगी। इसी प्रकार 8 कुर्सीयान कोच होंगे, जिसमें हर कोच में 78 सीट होंगी। इस ट्रेन में 736 यात्री सफर कर सकेंगे। यह ट्रेन अमदाबाद से सुबह 06.40 पर चलेगी और मुंबई 13.10 पर पहुंचेगी। इस सेवा में 60 दिन पहले बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें पांच साल से छोटे बच्चों को छूट रहेगी। इस ट्रेन के लिए बस, टैक्सी, रेल व हवाई यात्रा के किराये के आधार पर एक औसत किराया लिया जाएगा। इसमें केवल सामान्य व विदेशी कोटा होगा।

खास प्रावधान ये भी किए गए हैं- ट्रेन एक घंटा देरी से पहुंची तो मिलेगा 100 रुपया हर्जाना। एक घंटा से अधिक होने पर 250 रुपए मिलेगा हर्जाना। गाड़ी रद्द होगी तो स्वतः ही पूरा पैसा वापस। 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराया तो प्रति यात्री 25 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि वातानुकूलित श्रेणी के लिए यह शुल्क 65 रुपए प्रति यात्री होगा। चार्ट तैयार होने के 30 मिनट पहले तक टिकट रद्द कराने पर टिकट का पूरा पैसा वापस होगा।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 03/2019, टी.ए. संख्या 219/2018 — डायरी संख्या 525, दिनांक: 22.11.2019
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — बनाम — दीपक अग्रवाल
धरमपुर शाखा 90/2, हरिद्वार रोड, धरमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
सेवा में,
सीडी. 1: दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल अग्रवाल, निवासी: मकान नं0 127, नारायण विहार, टीएनडीसी कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001।
द्वितीय पता: सी/ओ श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल, 64/1, आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक, देहरादून, उत्तराखण्ड। — सर्टिफिकेट डेबटर्स

(v) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 10,54,605/– (दस लाख चौवन हजार छ सौ पांच रू0 मात्र) + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 19.10.2016 से @10.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 15.12.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. 219/2018 के अनुसार आपके विरुद्ध रू0 13,000.00 का वाद व्यय सहित देय हैं।
(vi) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त लिखित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
(vii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
सी) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
डी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
(viii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.01.2020 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 22 नवम्बर, 2019 से जारी।
रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 349/2018, टी.ए. संख्या 86/2018 — डायरी संख्या 509, दिनांक: 15.11.2019
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — बनाम — सतेन्द्र सिंह
स्ट्रेस्ड एसेट रिकवरी शाखा, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।
सेवा में,
सीडी. 1: सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, निवासी: ग्राम– कुडा धनकोट, पोस्ट– चोपटा, जिला– रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड। — सर्टिफिकेट डेबटर्स

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 21,14,762.11/– (इक्कीस लाख चौदह हजार सात सौ बासठ रू0 एवं ग्यारह पैसे मात्र) + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 16.11.2016 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 12.10.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. 86/2018 के अनुसार आपके विरुद्ध रू0 24,000.00 का वाद व्यय सहित देय हैं।
(ii) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त लिखित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
(iii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
ए) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
बी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
(iv) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.01.2020 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 16 नवम्बर, 2019 से जारी।
रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी, देहरादून

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

सार्व शाखाः सहारनपुर रोड, देहरादून

(नियम 8(1) के तहत) **कब्जा नोटिस** (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अनुच्छेद–13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था।
ऋणी **मैसर्स माँ अम्बे ट्रेडर्स**, द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख **27.12.2019** को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन भारतीय स्टे

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–11.0 डि.से.		सूर्योदय– 7:13
न्यूनतम– 3.1 डि.से.		सूर्यास्त– 17:33

'आप' के रिपोर्ट कार्ड पर भाजपा ने जारी किया आरोपपत्र

'दिल्ली सरकार ने किया विश्वासघात'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

आम आदमी पार्टी (आप) के रिपोर्ट कार्ड के बाद भाजपा ने शनिवार को दिल्ली सरकार का आरोपपत्र जारी किया। आरोप पत्र के जरिए भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार आरोपपत्र में 10 फीसद से भी पास नहीं हो पाई। 'आप' सरकार ने 91 फीसद जनता के साथ विश्वासघात किया है। यह आरोपपत्र कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से जारी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 'आप' पर यह आरोप भी लगाया कि उसने दिल्ली में हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने का काम किया। इस मौके पर दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अब दिल्ली की जनता केवल यह बात कर रही है कि 'आप' ने 70 वादे किए थे, लेकिन वह 10 फीसद से भी जनता की नजर में पास नहीं हुई है। आप सरकार ने 91 फीसद जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने रामलीला मैदान में इंसान से हो इंसान का भाईचारा की लाइन दी थी लेकिन अब वह झूठ बोलना, साजिश करना, पीठ में छूरा घोंपना काम हमारा, यही अंदाज हमारा, हो गई है। वहीं, केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि आज तक किसी सरकार ने जनता को इतना बेबस साबित नहीं किया। दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार ने बर्बाद किया है और केवल दूसरों के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता से केवल झूठ बोला है। यह पहली सरकार है जिसके नेताओं के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनलोकपाल व स्वराज विधेयक पर पांच साल में सरकार ने कोई बात नहीं की। अब नल से पानी पीकर जनता को गुमराह किया, जबकि बीआइएस रिपोर्ट में साबित हुआ है कि दिल्ली का पानी सबसे गंदा मिला।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में चुनाव प्रदूषण पर लड़ा जाएगा। इस सरकार ने जो मास्क बांटे थे, वे भी स्वास्थ्य मानक पर खरे नहीं थे। इस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जनता से मास्क खत्म करने का वादा किया था। हालत यह है कि अब वह खुद ही मास्क बांटने लग गई। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने किसानों की जमीन ले ली लेकिन आजतक उन्हें वैकल्पिक जमीन नहीं दी। आप सरकार ने केंद्र से मिलने वाली छह हजार रुपए की पेंशन भी नहीं दी है। साासंद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल में बसों की संख्या कम हुई है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह असफल व अराजक पार्टी है। इस समय सड़कों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि झूठ छुपाने के लिए वेबसाइट से घोषणा पत्र गायब कर दिया है। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों से वादा किया था कि पांच साल में बने हुए फ्लैट देंगे। आज तक ये फ्लैट नहीं दिए और इनके रखरखाव पर करोड़ों खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त झुग्गी वालों को दिए जा रहे प्रमाणपत्र पत्र फर्जी हैं।

दिल्ली की 'आप' सरकार के खिलाफ जनता का आरोपपत्र जारी करते भाजपा नेता।

आरोप पत्र में शामिल किए मामले

- जनलोकपाल व स्वराज विधेयक नहीं आया, भ्रष्टाचार के मामले बढ़े
- कन्हैया कुमार व उमर खालिद मामले में दिल्ली सरकार ने मंजूरी नहीं दी
- वीआइपी कल्चर को बढ़ाया, केजरीवाल दो घर, 17 गाड़ियां करते हैं इस्तेमाल
- 21 शहरों में दिल्ली का पानी मिला सबसे अधिक दूषित
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कच्ची कॉलोनी को पक्का नहीं किया
- 20 नए डिग्री कॉलेज बनवाने में दिल्ली सरकार रही असफल
- कक्षा निर्माण में 2000 करोड़ का घोटाला किया

भाजपा के सुझावों को अगले पांच साल में लागू करेंगे : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की ओर से उनकी सरकार के खिलाफ जारी किए गए आरोपपत्र का अध्ययन करेगी और उसमें दिए गए अच्छे सुझावों को अगले पांच सालों में लागू करेगी।

दिल्ली भाजापा का आरोपपत्र जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। उसमें कहा कि हमारी संस्कृति सिखाती है कि निंदक नियरे राखिए यानि आलोचन को नजदीक रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के ट्वीट में कहा गया कि भाजपा के आरोपपत्र को हम पढ़ेंगे। जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उन्हें आने वाले पांच साल में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे काम की कड़ी समीक्षा करें और हमारी कमियां निकालें। कामों के लिए सुझाव दें ताकि आप सरकार अच्छा काम करे।

सलामी नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रध्वज को सलामी देतीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।

स्थापना दिवस पर दिल्ली कांग्रेस ने निकाला सद्भावना मार्च

कांग्रेस के सद्भावना मार्च में दिल्ली प्रभारी पीसी चाको, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली (बाएं से दाएं)।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय से राजघाट तक पैदल सद्भावना मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान आंबेडकर स्टेडियम में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं व महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। दोनों ने कहा कि बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग के कोई भी आंदोलन सफल नही हो सकता। आज कांग्रेस पार्टी के 135वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यह शपथ ले कि वे संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।

सुभाष चोपड़ा और पीसी चाको ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक धुव्रीकरण की नीयत से लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को देश व समाज को बांटने वाला बताया। साथ ही जामिया में छात्रों पर हुए अत्याचार को याद करते हुए आरोप लगया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ भाजपा व आम आदमी पार्टी की मिलीभगत से पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जो पूरी तरह निंदनीय है।

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो किसी भी कीमत पर शांति व सौहार्द को नुकसान न पहुंचने दें। वहीं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में भाजपा और 'आप' की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी शक्ति के साथ जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में रविवार को भाजपा व 'आप' की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए जनजागरण अभियान के अंतर्गत मॉडल टाउन में कांग्रेस हल्ला बोल रैली करेगी। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल, अरविन्दर सिंह लवली, कीर्ति आजाद, पूर्व सांसद रमेश कुमार और कृष्णा तीरथ भी मार्च में शामिल थे।

भाजपा में बड़ा पद दिलाने के नाम पर मंत्री से ठगी की कोशिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद दिलाने के नाम पर दो लोगों ने हरियाणा के मंत्री चौधरी रंजीत सिंह से तीन करोड़ 30 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने यह फोन गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर किया गया है, यह बताया। रंजित सिंह ने भी इस फोन के बाद गृह मंत्री के ओएसडी को फोन कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। मामला स्पेशल सेल को सौंपा गया। फिर दोनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जहां दोनों आरोपी झांसे में आकर पैसा लेने आए, तब उन्हें सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगतार और उपकार सिंह के रूप में हुई है। हालांकि इस बाबत कोई भी अधिकारी कुछ भी पुष्टि करने से बचता रहा।

पुलिस को दी शिकायत में चौधरी अजीत सिंह ने बताया कि उन्हें 20 दिसंबर की शाम एक फोन आया था। मोबाइल पर गृह मंत्रालय का नंबर दिखा रहा था। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह अमित शाह के यहां से बोल रहा है। आपको पार्टी फंड में लगभग तीन करोड़ 30 लाख रुपए जमा करवाने होंगे और आपको भाजपा सरकार में जल्दी कोई अच्छा पद अमित शाह की ओर से दे दिया जाएगा। शुरूआत में चौधरी रंजीत सिंह को लगा कि यह फोन सही में गृह मंत्रालय से आया है। उसके बाद गृह मंत्री के ओएसडी को फोन कर बात की तो ओएसडी ने कहा कि हमारी तरफ से आपको कोई कॉल नहीं किया गया। उसके बाद चौधरी रंजीत सिंह ने मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस में दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी। हालांकि पुलिस ने ट्रैप लगाते हुए चौधरी रंजीत सिंह से आरोपियों को दोबारा फोन करवाया और कहा कि रुपयों का इंतजाम हो गया है आप आकर ले लो। जब दोनों आरोपी नई दिल्ली के इलाके में पैसे लेने पहुंचे तब पुलिसकर्मियों ने दोनों को धर दबोचा। आरोपियों की पहचान जगतार सिंह और उपकार सिंह के तौर पर हुई है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक ऐप के जरिए यह फोन किया था, जिससे फोन उठाने वाले को वह नंबर किसी मंत्रालय का लगेगा।

दिल्ली सरकार जैसा निगमों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे भाजपा : 'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने मांग की है कि भाजपा को एमसीडी के 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन दिन के अंदर यह रिपोर्ट कार्ड निकाला जाए। अन्यथा आम आदमी पार्टी सभी निगम स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कूड़ा, भ्रष्टाचार और उगाही ही एमसीडी की पहचान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा को वोट देने का मतलब है कि दिल्ली सरकार में एमसीडी जैसी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त भाजपा ने अपने आरोपपत्र में जो भी सुझाव दिया है। उन सुझावों को दिल्ली सरकार आने वाले पांच साल में लागू करेगी।

वहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वजीरपुर में नए वृद्धाश्रम की शुरुआत की। यह केंद्र 600 गज में बना है और चार मंजिला तैयार किया गया है। इस केंद्र में 36 बुजुर्गों के ठहरने की व्यवस्था है और इनके मनोरंजन के लिए भी दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली भर में सरकार सात वृद्धाश्रम बनाने के लिए काम कर रही है।

'एक भारतीय की जापान यात्रा' पुस्तक का विमोचन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल डॉ वीके सिंह ने 'एक भारतीय की जापान यात्रा' और '50 महान स्वतंत्रता सेनानी' (हिंदी व अंग्रेजी संस्करण) का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन कांस्टीट्यूशन क्लब में किया गया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक ऋषि राज हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ मंगू सिंह ने किया।

इस मौके पर जनरल डॉ वीके सिंह ने कहा कि लेखक ने अपनी पुस्तक '50 महान स्वंतत्रता सेनानी' के जरिए लोगों के अंदर देश प्रेम को उजागर किया है। इस अवसर पर लेखक ऋषि राज ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को देश के गौरवमयी अतीत व हमारे शूरवीरों के महान जीवन से परिचय करवाना ही हमारी असली विरासत है। पुस्तक लिखने के दौरान कई सारे क्रांतिकारियों से जुड़े स्थानों पर जा पाया। इस मौके पर प्रभात प्रकाशन के प्रबंधक प्रभात कुमार ने कहा कि लेखक ऋषि राज द्वारा लिखी पुस्तक असल में हमारे नायकों का जीवन परिचय है। इसके अलावा उनकी दूसरी पुस्तक एक भारतीय की जापान यात्रा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जापान प्रेम और अब भारत में बुलेट ट्रेन को लाने की क्या तैयारी है उसपर भी इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है।

दिल्ली का दंगल

चुनाव प्रचार में 'आप' सबसे आगे

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

आने वाले किसी भी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। सत्ता के दावेदार आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। इस काम में सबसे आगे दिल्ली की सत्ता में बैठी 'आप' है।

उसके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले चुनावों की तरह बिजली-पानी माफ के बूते चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। पिछले रविवार को करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के नाम पर रामलीला मैदान में रैली करके भाजपा ने चुनाव अभियान की विधिवत शुरुआत कर दी। भाजपा का संकट यह है कि वह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कई समितियां बनाकर अनेक नेताओं को उलझाए रखने का उपक्रम पार्टी ने किया है। भाजपा जैसी गुटबाजी कांग्रेस में चरम पर है। केंद्र में सरकार होने के चलते भाजपा में तो कुछ दम-खम दिखा रही है लेकिन कांग्रेस तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता में रहकर छह साल बाहर रहने में ही बिखरने लगी है। 'आप' लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि जो वर्ग उसके साथ 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में जुड़ा वह अगले कुछ महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जुड़ा रहे। पिछले तीन विधानसभा (हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड) के चुनाव नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं रहे। इसलिए भी दिल्ली चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस तो मुख्य मुकाबले की लड़ाई लड़ रही है लेकिन भाजपा तो सत्ता पाने की लड़ाई में मानी जा रही है। 'आप' की चुनावी तैयारी आक्रामक है, इसका लाभ उन्हें पहले भी मिलता रहा है।

कांग्रेस गुटबाजी से नहीं उबर पाई

दोनों विधानसभा चुनाव और 2017 के निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच कर कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर पहुंच चुकी है। 2015 के बाद के हर चुनाव में 'आप' ने कांग्रेस को मुख्य मुकाबले से बाहर करने का प्रयास किया और तब के कांग्रेसजनों ने उसे ज्यादा सफल नहीं होने दिया। अगर निगमों के चुनाव में कुछ बड़े नेता बगावत नहीं करते तो कांग्रेस इस मई के लोकसभा चुनाव जैसा दूसरे नंबर पर होती।

निगम चुनावों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हालात बेहतर करने के बजाए खराब स्वास्थ्य के चलते पद छोड़ना तय किया। तमाम उठा-पटक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनकर चुनाव लड़ी शीला दीक्षित ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले ला दिया लेकिन पार्टी की गुटबाजी ने वापस कांग्रेस को वहीं ला दिया, जहां वह 2015 के विधानसभा चुनाव में दस फीसद से कम वोट लाकर पहुंच गई थी। नए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और चुनाव अभियान के प्रमुख कीर्ति आजाद में तालमेल ही नहीं बन पा रहा है। चोपड़ा दूसरी बार अध्यक्ष बने वे पहली बार तब अध्यक्ष थे जब पार्टी दिल्ली की सत्ता में थी और कीर्ति आजाद लंबे समय तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं।

भाजपा में चेहरे का संकट

दिल्ली में भाजपा 1998 में दिल्ली सरकार से बाहर हुई। इसका बड़ा कारण भाजपा का वोट समीकरण है। भाजपा खास वर्ग की पार्टी मानी जाती है। 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उसे करीब 43 फीसद वोट मिले तब वह सत्ता में आई। उसके बाद उसका वोट औसत लोकसभा चुनावों के अलावा कभी भी 36-37 फीसद से बढ़ा ही नहीं। 2016 में भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2017 के निगमों के चुनाव में 32 बिहार मूल के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया जिसमें 20 चुनाव जीत गए। भाजपा की समस्या लोकसभा चुनाव के अलावा विधान सभा और निगम चुनावों में वोट औसत न बढ़ने का है। दूसरा 1998 से ही अब तक भाजपा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ठीक से तय नहीं कर पाई। 1998 विधानसभा चुनाव से पहले मदनलाल खुराना और साहिब सिंह के विवाद को सुलझाने के लिए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाया गया तो दोनों नेताओं ने उनको सहयोग नहीं किया। उसके बाद बागी खुराना को 2003 के विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया लेकिन कांग्रेस जीत गई। 2007 निगम चुनाव डॉ हर्षवर्धन की अगुआई में भाजपा जीती लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 1967 में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद (तब के मुख्यमंत्री जैसा पद) रहे विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार जीती। 2013 के चुनाव के समय विजय गोयल प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाकर डॉ हर्षवर्धन को उम्मीदवार बनाया। भाजपा बहुमत से पांच सीटें दूर रही। 2015 में भाजपा ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, वे अपना चुनाव भी नहीं जीत पाई। इस बार भी तक भाजपा मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं तय कर पाई जबकि आप की ओर से केजरीवाल घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	13.3 डि.से.	13.3 डि.से.	13.0 डि.से.	13.5 डि.से.
न्यूनतम	2.4 डि.से.	2.4 डि.से.	2.4 डि.से.	2.4 डि.से.

दिल्ली में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर बरती जा रही है सतर्कता

शांति के लिए पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

दिल्ली में हाई अलर्ट के बाद नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए द्वारका, उत्तम नगर, ख्याला और नांगलोई में भी पुलिस की गश्त और फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया है। इस मार्च में संयुक्त आयुक्त के साथ जिले के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और एसएचओ के साथ ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात किए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शाम में हुई आगजनी और जबरदस्त हंगामे को देखते हुए शनिवार सुबह से दिल्ली पुलिस की टीम सतर्कता ने बरतनी शुरू कर दी। राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ ग्रामीण इलाके में भी फ्लैच मार्च किया जा रहा है ताकि कहीं से भी आंदोलन की सूचना मिलने पर उसे तुरंत प्रभाव से रोका जा सके।

इसी को ध्यान में रखते हुए बाहरी और रोहिणी दिल्ली के अतिसंवेदनशील नांगलोई में संयुक्त आयुक्त शालिनी सिंह जिले के आला अधिकारियों और ब्लैक कमांडों के साथ सड़क पर गश्त करती दिख रही हैं। पुलिस अधिकारी गश्त के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्हें किसी भी तरह से अफवाह से बचने की सलाह दे रही है। पाश इलाके में शामिल द्वारका जिले में अतिरिक्त उपायुक्त आर पी मीणा जवानों के साथ द्वारका मोड़ से उत्तम नगर रोड पर पैदल मार्च करते नजर आए। यहां से सटे उत्तम नगर और डाबड़ी आदि इलाकों में संवेदनशील माने जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित ख्याला इलाके में मस्जिद के बाहर सदल बल तैनात होकर लोगों को अफवाह से दूर रहने की सलाह देते रहे।

दिल्ली में जामा मस्जिद के अलावा सीलमपुर, जामिया नगर, सुल्तानपुरी के साथ उत्तम नगर और डाबड़ी आदि इलाके भी संवेदनशील माने जाते हैं। इन इलाकों में पुलिस की तैनाती पहले से ही लगाई गई है और पुलिस स्थानीय लोगों, अमन कमेटी के सदस्यों से मिलकर सब कुछ शांत रखने के प्रयास में लगी हुई है।

सीएए : गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला स्थगित

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सीमापुरी में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला अदालत ने शनिवार को स्थगित कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी से घायल पुलिसकर्मियों की भी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। सीमापुरी में जिस जगह लोगों ने उपद्रव मचाया था। आरोपी बनाए गए लोगों ने कथित तौर पर पथराव किया। पुलिस ने इस संबंध में सीमापुरी थाने में ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

इस मामले में एक आरोपी ने स्वयं के नाबालिग होने का दावा किया है। इस आरोपी की आयु का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस को उसकी हड्डियों संबंधी जांच (बोन ओसिफिकेशन टेस्ट) कराने की अनुमति अदालत ने शुक्रवार को दे दी थी। पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी के पास अपनी आयु का कोई वैध प्रमाण नहीं है और उसकी हड्डियों संबंधी जांच कराए जाने की आवश्यकता है जिसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गीता ने पुलिस को इसकी अनुमति दे दी। अदालत ने पुलिस को 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। दरअसल वकील जाकिर रजा और मोनिस रईस ने याचिका दायर करके दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी की आयु साबित करने के लिए वकीलों की ओर से मुहैया कराए गए दस्तावेज वैध नहीं है। वकीलों ने उस मदरसे की ओर से जारी प्रमाण पत्र पेश किए थे जहां आरोपी पढ़ता था।

दरियागंज हिंसा : सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी पुलिस

अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करे ताकि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले सप्ताह दरियागंज में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 15 आरोपियों की कथित संलिप्तता का पता लगाया जा सके।

अदालत ने कहा कि इलाके से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच करने से कथित अपराध में आरोपियों की नीयत भूमिका तय होने की संभावना है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनीष यदुवंशी ने कहा-जांच अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के पहलुओं की जांच करेंगे और सीसीटीवी फुटेज पेश करेंगे। ताकि अपराध में आवेदकों की वास्तविक संलिप्तता का पता लगाया जा सके। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सात जनवरी 2020 तक स्थगित कर दी। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

छह करोड़ की चंदन की लकड़ी के साथ दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

दिल्ली पुलिस ने चंदन की लकड़ी का तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर छह करोड़ की लकड़ी बरामद की है। गिरोह चेन्नई से दिल्ली और नेपाल से चीन आता-जाता था। जिले के जनकपुरी थाने की पुलिस टीम ने गिरोह का खुलासा किया है। बरामद लकड़ी का वजन 1280 किलो के करीब है। लकड़ी के 228 टुकड़े मिले हैं। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित ने बताया कि एसीपी राम सिंह की देखरेख में एसएचओ जयप्रकाश की टीम ने चंदन की तस्करी के इस बड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने एक तस्कर और चंदन की लकड़ी को टेंपो में लेकर जा रहे चालक को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान ऋषि माखन और राम प्रकाश के रूप में हुई है। यह दोनों पालम विहार गुरुग्राम और जीवन पार्क उत्तम नगर के रहने वाले हैं। लकड़ी दक्षिणी राज्यों से लाकर अन्य दूसरे राज्यों और भारत के बाहर भी भेजने में माहिर हैं। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि लकड़ी को ये लोग एक टेंपो में डाल कर ले जा रहे हैं।

जनपथ पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र के जनपथ पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा घायल हो गया। घटना की सूचना शुक्रवार शाम करीब सवा सात बजे पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम दोनों घायल युवकों को पास के लेडी हार्डिंग अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने गुलाम नबी (22) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, शहनवाज (20) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि घटना के वक्त दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान जनपथ लाल बत्ती पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के मुताबिक गुलाब नबी अपने परिवार के साथ नबी करीम पहाड़गंज इलाके में रहते थे। शुक्रवार शाम सवा सात बजे वह जनपथ रोड से होते हुए शाहनवाज के साथ कहीं जा रहे थे। जनपथ लाल बत्ती के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुई और गिर गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। बताया जा रहा है कि युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन वह अच्छी गुणवत्ता का नहीं था। इस कारण सिर में गंभीर चोटें पहुंची थीं।

वहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त मोटरसाइकिल की रफ्तार अधिक थी। पुलिस मान कर रही है कि मोटरसाइकिल मोड़ते समय अनियंत्रित हो गई होगी, जिसके बाद डिवाडर से टकरा गई।

फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर हादसे के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।

ठंड में मस्ती राजपथ पर सर्द मौसम में दौड़ते बच्चे।

दो युवकों पर छात्र को चाकू मारने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

पटेल नगर थाना में दो युवकों ने एक छात्र पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ही छात्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। छात्र हर्षित बेनीवाल (21) की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश का लग रहा है।

जानकारी के मुताबिक, हर्षित परिवार के साथ प्रेम नगर में रहता है। वह पत्राचार से बीकॉम तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। हर्षित का आरोप है कि वह शुक्रवार शाम करीब सात बजे अपने दोस्त के साथ भीम पार्क के पास खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी आरोपी शिवम और देव उसके पास आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता दोनों ने चाकू निकाला और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हर्षित का दोस्त जब उसे बचाने के लिए आया तो आरोपियों ने उसे चाकू दिखाकर पीछे कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत हर्षित को उठाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक हर्षित के कमर, कंधे पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी शिवम और देव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हर्षित और आरोपी युवकों की पहले भी कहा सुनी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी है।

कांस्टेबल ने थाने में गोली मारकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

धौला कुंआ पुलिस थाने में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। कांस्टेबल का नाम परुन त्यागी है। वारदात शुक्रवार देर रात की है। परुन ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2006 बैच में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए परुन का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परुन की पत्नी भी 2006 बैच की ही कांस्टेबल हैं और तीसरी बटालियन में तैनात हैं। शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे वे धूम्रपान के लिए चौकी से बाहर निकले और खुद को गोली मार ली। रात डेढ़ बजे परुन चौकी परिसर में थे। आनन-फानन में दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही जिले के आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

आइफैक्स : निधि, मोहित भारद्वाज, गणेश प्रसाद साहू, कृष्णा श्रेष्ठ आदि की सामूहिक कला प्रदर्शनी 'अलख्या' का आयोजन, आइफैक्स गैलरी, रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से, 2 जनवरी 2020 तक।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : मौतुसी चक्रवर्ती की कला प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, कमला देवी ब्लाक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 3 जनवरी 2020 तक।

'पार्षदों को भ्रमित करने वाला है मौजूदा बजट'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

उत्तरी निगम के बजट को कांग्रेस ने आंकड़ों का खेल बताते हुए पार्षदों व दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास बताया है। आजादपुर और माडल टाऊन में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, ऐतिहासिक टाऊन हाल का पुनर्विकास कर वहां हैरिटेज होटल बनाना पिछले कई सालों से केवल कागजों में ही है। निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा नेता परियोजनाओं के नाम पर कागजी आय और व्यय दिखा निगम पार्षदों व नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। पार्षदों को वार्ड में विकास कार्य करवाने के लिए डेढ़ करोड़ रूपए बजट में देने की घोषणा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी साबित हुई।

कंप्यूटर ऑपरेटर की गोली मार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

- शख्स के दोस्त ने फोन कर झगड़े की दी थी जानकारी
- बवाना थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बवाना थाना क्षेत्र में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोस्तों ने शख्स को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने राहुल (33) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है और आरोपी चिराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वह हथियार भी जब्त कर लिया है, जिससे राहुल को गोली मारी गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे अंकित (18) अपने भतीजे को ट्यूशन से लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि विजय कटारिया नामक एक शख्स अपने बेटे चिराग उर्फ चीनू से पुरानी बात को लेकर झगड़ा कर रहा है। मौके पर मौजूद अंकित को बिना किसी बात पर चिराग ने थप्पड़ मार दिया। इस पर अंकित ने भी आरोपी चिराग पर हमला कर दिया। इसके बाद पिता-बेटे ने अंकित और उसके भतीजे पर हमला कर दिया। अंकित ने इसकी जानकारी अपने अपने रिश्तेदार को दी।अंकित के रिश्तेदार ने घटना की जानकारी अपने एक दोस्त रोहित को दी और अंकित व उसकी भतीजे की मदद के लिए कहा। झगड़े की जानकारी मिलते ही रोहित अपने चचेरे भाई राहुल व अन्य दोस्तों के साथ कार में सवार होकर मौके पर पहुंचा। राहुल, अंकित और उसके भतीजे को लेकर आरोपी के पिता विजय कटारिया के घर जाकर मामले की जानकारी लेने लगा। इसी बीच आरोपी चिराग ने अपने माता-पिता के सहयोग से छज्जे पर खड़े होकर गोली चला दी।

इकलौते कमाने वाले थे

राहुल की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वह परिवार में इकलौता कमाने वाला भी था। परिवार का कोई और सहारा नहीं है। वह महर्षि वाल्मीकि यशपाल अस्पताल में डाटा ऑपरेटर की नौकरी करता था।

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

शालीमार गार्डन शाखा
एससी-47, शालीमार गार्डन एक्स्टें.-II, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.)
फोन: 0120-2648170

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के अंतर्गत
बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)

शाखा, ऋणधारक (कों)/ मार्टगैजर (रों)/ गारन्टर (रों)/ सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता/ सम्पर्क सं.	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
1. ऋणधारक (कों) शेखर वार्श्नेय, एच.नं. 41, न्यू लॉयलपुर एक्स्टेंशन, सोम बाजार के निकट, दिल्ली 2. मार्टगैजर (रों) संतोष कुमार वार्श्नेय, एच.नं. 41, न्यू लॉयलपुर एक्स्टेंशन, सोम बाजार के निकट, दिल्ली	फ्लैट नं. एफ-1, 1ला तल, प्लॉट नं. एससी-47, शालीमार गार्डन एक्स्टेंशन-II, साहिबाबाद गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित श्री शेखर वार्श्नेय तथा श्री संतोश कुमार वार्श्नेय (सम्पत्ति के स्वामी) के नाम में आवासीय फ्लैट, चौहद्दीः पूर्वः 40 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 46, उत्तरः प्लॉट नं. 48, दक्षिणः 60 फीट रोड	रु. 2700000/- 27.8.2019	5.11.2019
1. ऋणधारक (कों) मोह. कबीर एवं सितारा खातून, प्लॉट नं. ए1/176, 1ला तल, डीएलएफ दिलशाद गार्डन, एक्स्टें. 2, भोपुरा, गाजियाबाद 2. गारन्टर (रों) श्री सुशील गोस्वामी, सी-67, डीएलएफ एक्स्टेंशन II, भोपुरा, गाजियाबाद-201005 श्री सूरज पॉल, ए1/179, डीएलएफ, दिलशाद कॉलोनी, गाजियाबाद-201005	प्लॉट नं. ए1/176, 1ला तल, डीएलएफ दिलशाद गार्डन, एक्स्टें. 2, भोपुरा, गाजियाबाद में स्थित श्री मोह. कबीर (सम्पत्ति के स्वामी) के नाम में आवासीय फ्लैट, चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. ए1/175, पश्चिमः प्लॉट नं. ए1/177, उत्तरः रोड 25 फीट दक्षिणः खाली प्लॉट	रु. 11,00,000/- 2.7.2019	5.11.2019

जैसा कि उपरोक्त तिथि के अनुसार धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना द्वारा मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा कर लिया गया है। सम्पत्ति का कब्जा कर लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद ई-नीलामी आमंत्रित कर उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण अलग से जारी की जाने वाली बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी। चूंकि सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन निजी संधि द्वारा अथवा लोगों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि आपके पास निजी संधि अथवा लोगों से कोटेशन आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव हो तो आप इस पत्र/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर हमें उसकी सूचना दे सकते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा हम निविदा/ सार्वजनिक नीलामी/ ई-नीलामी/ निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति/मशीनरी की ब्रिकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः यह ध्यान रहे कि यदि आप उपरोक्त बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 27.12.2019 — मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

ठंड का कहर दूसरे राज्यों से भी आ रहे मरीज, अस्पतालों में नहीं पर्याप्त संसाधन

लकवा व दिल के मरीजों की संख्या 15 से 20% बढ़ी

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

शीतलहर बढ़ने के साथ ही राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में लकवा (ब्रेन स्ट्रोक) व दिल का दौरा (हार्ट अटैक) के मरीजों की तादात 15 से 20 फीसद बढ़ गई है। दिल्ली ही नहीं आसपास के दूसरे राज्यों से भी मरीजों का आना जारी है, जिनके लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किल जीवन रक्षक प्रणाली (वेंटीलेटर) व गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में बिस्तर मिलने में आ रही है। चिकित्सकों की राय है कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक के मामलों में मरीजों को जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। अगर इलाज में देरी हो गई तो बड़े से बड़ा अस्पताल भी कुछ नहीं कर सकता।

दिल्ली के एम्स, सफदरजंग, जीबीपंत, जीटीबी सहित तमाम अस्पतालों में दिल के मरीजों व दिमाग की नस फटने या लकवे का शिकार हुए मरीजों का आना बढ़ गया है। चिकित्सकों के मुताबिक 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में मधुमेह, थाइरायड या दमे,बीपी व एनीमिया के मरीजों अथवा किसी तरह की गर्भनिरोधक दवा

लेने वालों को यह खतरा अधिक रहता है। एम्स के हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ राकेश यादव ने बताया कि मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ गई है। कोई गणना तो नहीं है लेकिन अनुमानतः इन दिनों हृदयरोग के मरीजों की तादात 15 से 20 फीसद बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि ठंड के कारण लोग पानी पीना कम कर देते हैं जिससे पेशाब भी कम बनती है। इससे जहां एक ओर खून गाढ़ा हो जाता है। वहीं, शरीर का अतिरिक्त नमक निकल नहीं पाता। ठंड से लोगों के शरीर की खून की आपूर्ति करने वाली नसें सिकुड़ जाती हैं। जिससे मरीज का रक्तचाप अनियंत्रित हो जाता है। वहीं, ठंड से शरीर को बचाने के लिए और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए भी हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ठंड खुले में काटनी पड़ती है उनको यह खतरा अधिक होता है। इस तरह से मजदूर तबके के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।

उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक के ऐसे मामलों में कम से कम 50 फीसद मरीज लक्षण दिखने पर भी यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। खासतौर से महिलाओं में यह गलती अक्सर देखी जाती है। वे इसे गैस या दूसरी दिक्कत मानते हुए इनका अपने मन से इलाज करने या टहलने लगती हैं। जिससे यह दिक्कत जानलेवा साबित हो जाती है, जबकि ऐसे में एक घंटे के अंदर प्राथमिक उपचार भी शुरू हो जाए तो 80 फीसद मामले में मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तीन घंटे के अंदर इलाज शुरू होने पर 50 फीसद मरीज बच पाते हैं जबकि 12 घंटे के बाद मरीज को बचा पाना या अटैक के प्रभाव को ठीक कर पाना मुश्किल होता है। डॉ यादव ने कहा कि इसलिए इस तरह के मामलों में तुरंत डिस्प्रिन देकर मरीज को नजदीकी अस्पताल में ले जाने की दरकार होती है। जीबी पंत अस्पताल के मस्तिष्क रोग विभाग के प्रमुख डॉ देबाशीष चौधरी ने बताया कि इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

www.readwhere.com

जन्म नहीं कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है व्यक्ति : भैयाजी जोशी

नई दिल्ली/मंगलुरु, 28 दिसंबर (भाषा)।

हिंदू समाज में जन्म के संदर्भ में श्रेष्ठता की बात करना सही नहीं है क्योंकि व्यक्ति कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। एक समरसतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों के मूल्यों का क्षरण हुआ है और मातृभूमि के प्रति एक उदासीनता है। ये बातें आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश (भैयाजी) जोशी ने शनिवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं से कही।

उन्होंने मंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध कमेटी और न्यासी मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं को सशक्त, सुसंस्कृत और जागृत होना चाहिए। जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को सदाचारी, स्वाभिमानी और वैज्ञानिक सोच से भरा होना चाहिए।

विहिप की ओर से जारी एक बयान में जोशी के हवाले से कहा गया, 'हमारे मूल्यों का कहीं न कहीं क्षरण हुआ है और मातृभूमि के प्रति उदासीनता आई है जो केवल दृष्टिकोण में बदलाव के चलते हुई है। हमें समाज में ऊंच-नीच की भावना समाप्त कर

कहा, 'श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए आत्मसम्मान का मामला है।'

एक समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करना होगा।' उन्होंने कहा कि उनके लिए गोरक्षा मात्र पशु रक्षा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, 'श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए आत्म सम्मान का मामला है।' बैठक के दूसरे दिन विश्व हिंदू परिषद ने एक मजबूत एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण का संकल्प जताया।

विहिप ने देश में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि अभिभावकों, शिक्षाविदों, संतों, सामाजिक संगठनों, मीडिया और मनोरंजन जगत को ऐसे अपराधों को रोकने और महिला सुरक्षा के प्रति रुख में बदलाव के लिए एक अभियान के साथ सामने आना होगा।

विहिप ने कहा कि वह 'परिवार बंधन' कार्यक्रमों के जरिए हिंदू समाज में पारिवारिक भावना और सद्भाव विकसित करने के कार्य में तेजी लाएगी। इसमें कहा गया कि दुर्गा वाहिनी महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए देशभर में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाएगी जबकि बजरंग दल अपने विविध कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को महिलाओं से अच्छा व्यवहार करने और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

चार महिलाओं की हत्या करने वाला 'सीरियल किलर' गिरफ्तार

हैदराबाद, 28 दिसंबर (भाषा)।

ताड़ी की दुकान पर अकेले आने वाली महिलाओं को निशाना बनाने वाले संदिग्ध सीरियल किलर को महबूबनगर जिले से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि वाई श्रीनू को शुक्रवार को पिछले एक वर्ष में चार महिलाओं की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, जो उनके चोरी के गहने को अपने घर में छिपाती थी। श्रीनू को पहले भी दस अन्य हत्या के मामलों में गिरफ्तार किया गया था और अपने भाई की हत्या के लिए उसे 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने बताया कि अगस्त 2018 में रिहा होने के बाद उसने कई अपराध किए और चार महिलाओं की हत्या कर दी।

शराब पीने का आदी श्रीनू आभूषण पहनी हुई ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था, जो अकेले ताड़ी की दुकान पर आती थीं। उन्होंने कहा कि यहां एक नहर के पास 17 दिसंबर को एक महिला का शव बरामद होने के सिलसिले में जांच के बाद दंपति को गिरफ्तार किया गया।

शाह ने किया आइटीबीपी मुख्यालय का दौरा

चीन सीमा पर तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रजेंटेशन दिया और मंत्री को 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती के बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) मुख्यालय का दौरा कर चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संचालनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

शाह के साथ गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने यहां लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बल के मुख्यालय में करीब चार घंटे बिताए। मोदी सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद सीमा की निगरानी करने वाले इस बल के मुख्यालय का शाह का यह पहला दौरा था। इससे पहले संचालनात्मक समीक्षा के लिए वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मुख्यालय का दौरा कर चुके हैं।

बल के महानिदेशक एस एस देसवाल के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रजेंटेशन दिया और मंत्री को 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती के बारे में जानकारी दी।

शाह ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमा पर तैनात जवानों को सभी साजो-सामान उपलब्ध हो और उनसे कहा कि हिमालयी सीमा को सुरक्षित बनाने के लिये आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें।

16 जनवरी को विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आना अनिवार्य नहीं : पलानीस्वामी

चेन्नई, 28 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों के पास टेलीविजन नहीं है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को देखने के लिए 16 जनवरी को विद्यालय आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन उनके लिए विद्यालय आना अनिवार्य नहीं है। उनका स्पष्टीकरण स्कूली शिक्षा विभाग के उस कथित परिपत्र पर उत्पन्न विवाद के बीच आया है जिसमें विद्यार्थियों को 'परीक्षा का सामना कैसे करें' विषय पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए विद्यालय आने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री की सफाई स्कूली शिक्षा विभाग के इस मामले में जारी कथित परिपत्र पर उत्पन्न विवाद के बीच आई है।

पलानीस्वामी ने सलेम में संवाददाताओं से कहा, 'जिन विद्यार्थियों के पास टेलीविजन नहीं है, वे प्रधानमंत्री का संबोधन देखने के लिए विद्यालय आ सकते हैं।' उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास अपने घरों में टेलीविजन नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, ' जिन विद्यार्थियों के घरों में टेलीविजन नहीं है और यदि वे प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, तो बस वे विद्यालय आ सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है।' स्कूली शिक्षा मंत्री केए शेंगोट्टैयन ने कहा कि विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षाओं से पहले बस उनमें उत्साह भरने के लिए भाषण सुनने को कहा गया है।

उन्होंने इरोड में परिपत्र के संदर्भ में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा, 'हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को वाट्सअप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों में से किसी भी एक के माध्यम से उनका (प्रधानमंत्री का) भाषण सुनाना है। सरकार ने उन्हें उस दिन स्कूल आने का कोई निर्देश नहीं दिया है।' स्कूली शिक्षा विभाग के परिपत्र की द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने आलोचना की थी।

सनबर्न में दो मौतों के लिए गोवा के पर्यटन मंत्री के इस्तीफे की मांग

पणजी, 28 दिसंबर (भाषा)।

गोवा महिला कांग्रेस प्रमुख प्रतिमा कोटिन्हो ने यहां सनबर्न इलेक्ट्रानिक नृत्य संगीत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आये आंध्र प्रदेश के दो निवासियों की मौत को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर के इस्तीफे की शनिवार को मांग की।

साई प्रसाद और वेंकट ने उत्तर गोवा के वागटोर समुद्र तट स्थित आयोजन स्थल के प्रवेशद्वार के पास बेचैनी महसूस की और उन्हें मापुसा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी शुक्रवार शाम में मृत्यु हो गई। महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी और इसका समापन रविवार को होगा। कोटिन्हो ने दावा किया कि दोनों मौतें संदिग्ध तौर पर मादक पदार्थ के अधिक सेवन से हुई और अजगांवकर ने सनबर्न आयोजकों का पक्ष लिया जबकि राज्य सरकार को भुगतान में उनकी ओर से चूक की गई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'सनबर्न महोत्सव के विवादित होने के बावजूद इसके आयोजन की अनुमति देने में अजगांवकर की भूमिका की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि भाजपा नीत सरकार राज्य में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने में असफल रही है।

पानी के मुद्दे पर गंभीर नहीं केजरीवाल : पासवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में पीने के पानी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बच्चे इसके कारण मर रहे हैं।

उपभोक्ता, खाद्य और जन वितरण मामलों के मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता इस मुद्दे पर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जबकि भारतीय शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता के संबंध में अधिकृत एजेंसियों द्वारा लिए गए पानी के नमूनों के परीक्षण के मुताबिक दिल्ली सबसे निचले स्थान पर है। पासवान ने कहा कि केजरीवाल को इस मामले पर अनावश्यक राजनीति से दूर रहना चाहिए। लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बच्चे इसके कारण मर रहे हैं। उन्हें मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक निकाय वार्ड से लिए गए पांच नमूनों का परीक्षण करने और 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।

पासवान ने कहा कि उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी के परीक्षण के लिए एक संयुक्त टीम में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ काम करने के लिए केजरीवाल को अपनी सरकार के अधिकारियों को नामित करने को कहा था, लेकिन आप सरकार ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली में पानी के मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है।

नक्सली हमले में जवान घायल

रायपुर, 28 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में शनिवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल हो गया।

प्रदेश के नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि जिले के बुरगुम गांव के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान डीआरजी का जवान घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कड़ेनार पुलिस शिविर से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और डीआरजी के जवानों को गश्त के लिए रवाना किया गया था। दल जब बुरगुम गांव के जंगल में था, तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। नक्सली गोलीबारी में डीआरजी का जवान घायल हो गया। नक्सलियों की गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए थे।

केनरा बैंक Canara Bank (A Govt. of India undertaking)

वसूली शाखा सर्किल कार्यालय
7वाँ तल, अंसल टावर्स, 38, नेहरु प्लेस,
दिल्ली-110019, फोन नं. 011-26292604, 26419921

ई-नीलामी बिक्री 31.01.2020 को

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के अंतर्गत ई-नीलामी (ऑन लाइन नीलामी) द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

एतद्द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कब्जे में ली गई यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों की अधोलिखित नियमों एवं शर्तों पर ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। ई-नीलामी की व्यवस्था वेबसाईट www.indianbankseauction.com के माध्यम में से सेवा प्रदाता मै. केनरा बैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लि. द्वारा की जाएगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम/ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम एवं पता	सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण	निर्दिष्ट तिथि को कुल देयताएं	आरक्षित मूल्य / निरीक्षण की तिथि	ईएमडी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि/ईएमडी खाता का विवरण
1.	परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एआरएम) II शाखा संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों): 1. मै. चावला एण्टरप्राईजेज (प्रॉप्राईटरशिप फर्म) सम्पत्ति सं. 347/1, प्लॉट नं. 26, खसरा नं. 107/1 का भाग, प्रधान वाली गली, पुराना आबादी, ग्राम-हस्तसाल का लाल डोरा, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 2. श्री रमण कुमार चावला, पुत्र श्री शोरी लाल चावला (प्रॉप्राईटर), निवासी: डीजी-1/2ए, एलआईजी फ्लैट्स, विकासपुरी नई दिल्ली-110018 3. श्री योगेश अरोड़ा, पुत्र श्री हरि राम (गारन्टर) निवासी: ए-19/5, विजेता विहार, दिल्ली पुलिस सोसायटी, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085 4. श्री गुरदीप सिंह, पुत्र स्व. श्री हरदयाल सिंह (गारन्टर) निवासी: डब्ल्यू जेड 283/60, प्रथम तल, मड्डी वाली गली नं. 3, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018	श्री रमण कुमार चावला, पुत्र शोरीलाल चावला के स्वामित्व में ग्राम हस्तसाल उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के लाल डोरा की पुरानी आबादी में माप 144 वर्ग यार्ड्स में स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. 347/1 (प्लॉट नं. 26), खसरा नं. 107/1, प्रधान वाली गली की सम्पत्ति का ईएमटी। (यह सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)	31.10.2016 को कुल देयताऐं- रु. 39,74,539.52 (रुपये उन्तालिस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ उन्तालिस एवं पैसे बावन मात्र) जिसमें 31.10.2016 तक ब्याज शामिल हैं तथा खर्चे, अन्य चार्जेज आदि के साथ 1.11.2016 से लागू दर पर आगे का ब्याज	रु. 32.00 लाख/-(रुपए बत्तीस लाख मात्र)	रु. 3.20 लाख (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र) 29.01.2020 के 5.00 बजे अप. तक
				सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि: 27.1.2020 एवं 28.1.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक	खाता नं.- 3038295000001 आईएफएससी- CNRB0003038 शाखा: एआरएम II शाखा संसद मार्ग, नई दिल्ली
2.	परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एआरएम) II शाखा संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों): 1. मै. आईएए कन्स्ट्रक्शन (प्रॉप्राइटर शिप फर्म), ई-85, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, साथ ही: प्लॉट नं. 46-डी, ब्लॉक डी, खसरा नं. 929 का भाग, किरण गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 2. श्री रॉय शर्मा, पुत्र स्व. बी.पी. शर्मा (प्राप्राईटर), निवासी-ई-94, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, साथ ही: प्लॉट नं. 46-डी, ब्लॉक डी, खसरा नं. 929 का भाग, किरण गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 3. श्रीमती शालिनी शर्मा, पत्नी श्री रॉय शर्मा (गारन्टर) निवासी: ई-94, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, साथ ही: प्लॉट नं. 46-डी, ब्लॉक डी, खसरा नं. 929 का भाग, किरण गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	श्री राय शर्मा, पुत्र स्व. श्री वी.पी. शर्मा के नाम में ग्राम नवादा, किरण गार्डन के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 (माप 100 वर्ग यार्ड्स, कुल माप 200 वर्ग यार्ड्स में से) के क्षेत्र में खसरा नं. 929 के भाग में प्लॉट नं. 46-डी, ब्लॉक-डी में स्थित बिना छत के अधिकार के सम्पूर्ण प्रथम तल का ईएमटी (यह सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)	31.1.2016 को कुल देयताऐं- रु. 24,55,933.78 (रुपये चौबीस लाख पचपन हजार नौ सौ तैंतीस एवं पैसे अठहत्तर मात्र) जिसमें 31.1.2016 तक ब्याज शामिल हैं तथा खर्चे, 1.2.2016 से लागू दर पर आगे का ब्याज तथा खर्चे, अन्य चार्जेज आदि।	रु. 31.00 लाख/-(रुपए इकत्तीस लाख मात्र)	रु. 3.10 लाख (रुपये तीन लाख दस हजार मात्र) 29.01.2020 के 5.00 बजे अप. तक
				सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि: 27.1.2020 एवं 28.1.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक	खाता नं.- 3038295000001 आईएफएससी- CNRB0003038 शाखा: एआरएम II शाखा संसद मार्ग, नई दिल्ली
3.	केनरा बैंक, सरिता विहार ऋणधारकों/गारन्टरों मै. फलक इन्टरनेशनल, सी 603, एकोटिका ईस्टर्न कोर्ट क्रासिंग्स रिपब्लिक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010 1. श्रीमती शबाना खान (प्राप्राईटर) 2. श्री शहजाद खान (गारंटर)	श्री शहजाद खान के नाम में क्षेत्रफल 1635 वर्ग फीट में फ्लैट नं. सी-603, 6ठा तल, प्लॉट नं. 6, एक्जोटिका ईस्टर्न कोर्ट, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सेक-1, गाजियाबाद, उ.प्र.	30.11.2019 को कुल देयताएं: रु. 10249085/- (रुपये एक करोड़ दो लाख उन्चास हजार पचासी मात्र) तथा 01.12.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज, तथा स्थानीय स्वाशासन की बकाया देयता (सम्पत्ति कर, पानी का कर, बिजली बिल आदि)= बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 45,32,000/- लाख (रुपये पैंतालिस लाख बत्तीस हजार मात्र)	रु. 4,53,200/- (रुपये चार लाख तिड़ेपन हजार दो सौ मात्र) 29.1.2020 के 5 बजे अप. तक
				सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि: 27.1.2020 एवं 28.1.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप.	खाता नं.-2591295000001 शाखा: सरिता विहार, नई दिल्ली आईएफएससी: CNRB0002591
4.	केनरा बैंक, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 ऋणधारक मै. फोरमोस्ट इन्टरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नं. 70 एवं प्लॉट नं. 71, उद्योग विहार, फेज 1, गुरुग्राम, हरियाणा 1. श्री बरूण मॉदगिल (निदेशक) 2. श्री अतुल मॉदगिल (निदेशक) 3. श्री अनु मॉदगिल (गारन्टर एवं मार्टगैजर)	सम्पत्ति: 1 मै. फॉरमोस्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स के नाम में प्लॉट नं. 70, फेज 1, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा, एरिया 450 वर्ग मीटर	26.12.2019 को कुल देयताएं: रु. 20,41,06,308.41/- (रुपये बीस करोड़ इकतालिस लाख छः हजार तीन सौ आठ तथा पैसे इकतालिस मात्र) तथा 27.12.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज, तथा स्थानीय स्वाशासन की बकाया देयता (सम्पत्ति कर, पानी का कर, बिजली बिल आदि)= बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 450.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)	रु. 45.00 लाख (रुपये पैंतालिस लाख मात्र) 29.1.2020 के 5 बजे अप. तक
		सम्पत्ति: 2 मै. फॉरमोस्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स के नाम में प्लॉट नं. 7०, फेज 1, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा, एरिया 450 वर्ग मीटर		रु. 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़ मात्र)	रु. 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) 29.1.2020 के 5 बजे अप. तक
				सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि: 27.1.2020 एवं 28.1.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप.	खाता नं.-0341295000001 आईएफएससी: CNRB0000341 शाखा: लाजपत नगर शाखा, नई दिल्ली -110024

ई-नीलामी तिथि: 31.1.2020
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 30.1.2020 के 5.00 बजे अप. तक

ई-नीलामी का समय
क्रम सं. 1: 12:30 अप. से 1.00 अप.
क्रम सं. 2: 12:00 अप. से 12.30 अप.
क्रम सं. 3: 12:30 अप. से 1.30 अप.
[बिक्री की पूर्णत तक प्रति 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ]

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के निर्दिष्ट शर्तो तथा निम्न शर्तों के अधीन होगी

1) सम्पत्ति की बिक्री अधिभार, यदि कोई हो, सहित "जैसा है जहां है आधार" पर की जाएगी। बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नही है।
2) नीलामी/ बिक्री वेबसाईट www.indianbankseauction.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" होगी। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाईट देखें।
3) सम्पत्ति का निरीक्षण ऊपर कॉलम नं. 5 में दिये गये शाखा के विवरणों के अनुसार संबंधित शाखा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
4) सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा तथा भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं।
5. आरक्षित मूल्य के 10% की ईएमडी का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। अथवा कॉलम सं. 6 में दिये गये शाखा के अनुसार केनरा बैंक की खाता में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा किया जा सकता है।
6. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तथा ई-मेल पता होना चाहिए। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र से संबंधित विवरणों के लिए **कृपया सेवा प्रदाता मै. केन बैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लि. (श्री साथियानाथन के एम/श्री रमेश टी एच (9480691777/8880531165/08023469661/62/64/65, ई-मेल आईडी: eauction@ccsl.co.in) नं. 218, जे. पी. रॉयल, 1ला तल सैम्पिज रोड, मलेश्वरम, वेबसाईट: https://indianbankseauction.com** से संपर्क करें। ईएमडी राशि के भुगतान की तिथि को तत्काल बोलीदाता (यदि वैध डिजीटल हस्ताक्षर नहीं हो) डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उक्त सेवा प्रदाता से संपर्क करें।
7. ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक बोलीदाता को केनरा बैंक के उपरोक्त संबंधित शाखा के पास हाथों-हाथ या ईमेल द्वारा 30.01.2020 के 5.00 बजे अप. से पूर्व अधोलिखित दस्तावेजों/ विवरणों को जमा करना होगा: (1) ईएमडी राशि के डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर, यदि आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा भुगतान किया गया हो, यूटीआर नं. के साथ उसकी पावती रसीद। (2) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ तथा आवास के प्रमाण की फोटो कॉपी। लेकिन, सफल बोलीदाता को शेष 25% बोली राशि के भुगतान के समय में बैंक के पास इसके मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा, (3) बोलीदाता का नाम, संपर्क सं., पता, ईमेल आईडी, (4) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड के लिए बोलीदाता के बैंक खाता का विवरण।
8. इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा निःशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मै. केन बैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लि. (श्री साथियानाथन के एम/श्री रमेश टी एच (9480691777/8880531165/08023469661/62/64/65, ई-मेल आईडी: eauction@ccsl.co.in) नं. 218, जे. पी. रॉयल, 1ला तल सैम्पिज रोड, मलेश्वरम, वेबसाईट: https://indianbankseauction.com** से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
9. असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिक्री के निपटारे के 2 दिनों के भीतर उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
10. नीलामी उक्त आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रु. 10,000/- के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। जो बोली दाता 'ऑनलाइन' नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करते हैं उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बिक्री की पुष्टि सफल बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी जो प्रतिभूति, क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
11. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में उनकी घोषणा के तत्काल बाद 25% बिक्री मूल्य (पूर्व-प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिभूत क्रेडीटर के पास 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि बिना कारण बताए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।
12. लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण चार्जेज आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता को ही करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कारण बताए बिना ई-नीलामी को निरस्त/ स्थगित करने अथवा उसकी शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार है।
14. यदि कोई ऐसे बोलीदाता हों जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो किन्तु वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे सर्किल कार्यालय या केनरा बैंक, परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एआरएम) II शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 तथा (क्रम सं. 1, 2 की सम्पत्ति के लिए) केनरा बैंक, सरिता विहार नगर, नई दिल्ली-110076 (क्रम सं. 3 की सम्पत्ति के लिये) केनरा बैंक, लाजपत नगर, नई दिल्ली- 110024 (क्र सं. 4 की सम्पत्ति के लिये) सम्पर्क कर सकते हैं।
15. बोलीदाता को टाइटल, विस्तार, बकाया देयता आदि के सिलसिले में सम्पत्ति का ड्यू डिलिजेन्स तथा भौतिक निरीक्षण कर लें क्योंकि बोली जमा करने के बाद बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. 50.00 लाख से अधिक की बिक्री राशि के लिये बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस का भुगतान किया जायेगा जिसका भुगतान सफल क्रेता को अलग से करना होगा।
17. अधिक विवरणों के लिए संपर्क करे: निम्न विवरणों के अनुसार केनरा बैंक की संबंधित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी: क्र. सं. 1, 2 की सम्पत्ति के लिये श्री रणजीत कुमार मोबाईल नं. 9773670097, मुख्य प्रबंधक, एआरएम II, शाखा केनारा बैंक, एवं / अथवा श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिकारी कैनरा बैंक एआरएम-II, शाखा लैंड लाइन न. 011-23323891, 23723121, ई-मेल: cb3038@canarabank.com क्र. सं. 3 की सम्पत्ति के लिये: श्री सुशील कुमार (वरिष्ठ प्रबंधक), केनरा बैंक सरिता विहार शाखा, नई दिल्ली- 110076 फोन न. 011-26959553, 26975225, 9560082591, ई-मेल: cb2591@canarabank.com क्र. सं. 4 की सम्पत्ति के लिये: श्रीमती ज्योति शर्मा (मुख्य प्रबंधक), केनरा बैंक, लाजपत नगर शाखा, नई दिल्ली- 110024 फोन न. 011-011-24622596, 24615794, 9818550341, ई-मेल: cb0341@canarabank.com अथवा सेवा प्रदाता **मै. केनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लि. (श्री साथियानाथन के एम/श्री रमेश टी एच (9480691777/8880531165/08023469661/62/64/65, ई-मेल आईडी: eauction@ccsl.co.in) नं. 218, जे. पी. रॉयल, 1ला तल सैम्पिज रोड, मलेश्वरम, वेबसाईट: https://indianbankseauction.com**

विशेष निर्देश/ चेतावनी :

अंतिम मिनट तथा सैकण्ड में अपने स्वयं के हित में बोलीदाता बोली करने से बचें। न तो केनरा बैंक न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/ विफलता (इंटरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर आदि के लिए विक्रेता की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वांछित बैक अप विद्युत आपूर्ति जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्प का प्रावधान कर लें ताकि वे इस प्रकार की परिस्थिति से निपट सकें तथा नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तिथि: 27.12.2019, स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्सटॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in

परिशिष्ट IV नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्सटॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स शॉन अल्ट्रावेयर्स प्रा. लि. (कर्जदार), श्री सुनील कुमार जुनेजा (निदेशक/गारंटर), श्री सुमित जुनेजा (निदेशक/ग

दबंगई रोकने की कोशिश

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

झारखंड चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन 24 दिसंबर 2019 को कई अखबारों में दो नक्शे छपे थे। वर्ष 2018 में भारत के अट्ठाईस में से इक्कीस राज्यों में भाजपा का शासन था, जो 2019 के आखिर तक पंद्रह राज्यों तक सिमट गया। साल 2018 में भाजपा देश की कुल आबादी के 69.2 फीसद हिस्से और देश के 76.5 फीसद इलाके पर राज कर रही थी, जो 2019 में घट कर 46.5 (आबादी) और 34.6 फीसद (इलाके) रह गया।

बड़े राज्यों (बीस या इससे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य) में सिर्फ तीन राज्यों- कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। बाकी तीन बड़े राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में एनडीए के घटक दलों की सरकारें हैं, लेकिन ये कितनी खिंच पाएंगी, कोई नहीं जानता।

सदमा और भय

मई, 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के अकेले तीन सौ तीन सीटें जीत लेने और सहयोगी दलों के साथ यह आंकड़ा तीन सौ तिरपन तक पहुंच जाने से दूसरे राजनीतिक दल सदमे और भय से ग्रस्त हो गए थे। इस तरह नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हर तरह से भारी-भरकम कद और विजयी छवि हासिल कर ली थी और विपक्ष एक बार फिर से पूरी तरह से दरकिनार हो गया था। मोदी और शाह ने अपनी बेरहम शासक की छवि बनाने में जरा वक्त बर्बाद नहीं किया। दोनों ताकत के बल पर एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते गए, जो ये संदेश दे रहे थे कि वे उन पूर्व शासकों की तरह ही हैं जिनका लक्ष्य भी हिंदू राष्ट्र था।

पहला कदम तीन तलाक के अपराधीकरण का विधेयक था। न कांग्रेस ने और न ही दूसरी पार्टियों ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करने का विरोध किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ पति को जेल भेजे की धारा का ही विरोध किया, आखिरकार वे इस पर बहस से इसलिए बाहर हो लिए क्योंकि इस पर बहस में शामिल होना एक अराजक और दोषपूर्ण व्यवहार का समर्थन करने जैसा लगता। अगला क्रूर कदम असम में एनआरसी लागू करना था, जिसमें उन्नीस लाख छह हजार छह सौ सत्तावन नागरिकों को 'गैर-नागरिक' या 'बिना राज्य के' करार देते हुए बाहर कर दिया गया। पांच अगस्त, 2019 को तो भाजपा ने भारत के संविधान पर अभूतपूर्व हमला बोलते हुए कश्मीर घाटी के पचहत्तर लाख लोगों को अनिश्चितकाल के लिए बंदी बना लिया, जम्मू-कश्मीर राज्य के टुकड़े कर दिए और तीन क्षेत्रों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में सीमित कर दिया। भारतीय गणतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर आखिरी हमला नागरिक (संशोधन) विधेयक का था, जिसे बहत्तर घंटे में पास करा कर राष्ट्रपति से मंजूर भी करा लिया और अधिसूचित भी कर दिया गया।

विरोध की शुरुआत

ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के काम नहीं थे। ये दबंगों के काम थे। शब्दकोश में 'बुलिंग' शब्द का अभिप्राय बलप्रयोग, धमकाने, आक्रामक रूप से हावी होने या भयभीत करने से है। दबंग सुझावों पर ध्यान नहीं देते, वे विपक्ष की राय भी नहीं लेते, वे असहमति को बर्दाश्त नहीं करते, और वे कभी भी गलत नहीं होते।

दबंग तब कामयाब होते हैं जब आप खुद उन्हें दबंगई की इजाजत देते हैं। एनडीए के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीनों में विपक्षी दलों का जो हश्र हुआ, उससे मुझे अफसोस है।

विरोध का पहला संकेत पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। ममता बनर्जी ने भाजपा के साथ वैसा ही व्यवहार किया, जैसा भाजपा ने उनके साथ किया था। भाजपा को इससे भी बड़ा झटका महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व ने दिया। नतीजों के बाद जब पवार ने विरोध और राजनीतिक कौशल को मिला लिया तो भाजपा को जोरदार शिकस्त दी। यही वह समय था जब संसद के जरिए नागरिकता संशोधन विधेयक को जबरन पास करा लिया गया था और देशभर में छात्र इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। महाराष्ट्र की सफलता और नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए उनमें जोश भर दिया।

एक पखवाड़े (12 से 24 दिसंबर) से भी कम समय में राष्ट्र को अपनी आत्मा मिल गई और दबंगों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए।

अब यहां से देश कहां जाए? मोदी का कार्यकाल चार साल पांच महीने बचा है, इसलिए दिल्ली में सत्ता बदलने की उम्मीद करना चीजों को बहुत सरल करके देखना है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, जो हो सकता है वह यह कि जनता के भारी विरोध को देखते हुए मोदी रास्ता बदल लें, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है।

राज्यों के चुनाव

मुझे लगता है कि 2020 और 2021 में राज्य विधानसभाओं के चुनाव नतीजे मोदी को रास्ता बदलने के लिए मजबूर करेंगे। अगले साल यानी 2020 में जनवरी-फरवरी में दिल्ली में और अक्तूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बाद 2021 में फरवरी-मार्च में जम्मू-कश्मीर, अप्रैल-मई में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें हर राज्य में भाजपा को हराया जा सकता है। अमित शाह ने एक मिथ यह गढ़ दिया कि भाजपा अपराजेय राजनीतिक मशीन है। भाजपा के पास अपनी ताकत है, जो धन की ताकत से और बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही इसमें भी गुटबाजी, असंतुष्टों, बागी उम्मीदवारों और जिन राज्यों में यह सत्ता में है उनमें इसके खिलाफ सरकार विरोधी लहर जैसी बीमारियां हैं। पिछले दो महीनों में भाजपा को हरियाणा में ठोकर लगी, महाराष्ट्र में उसे नकार दिया गया और झारखंड में हार गई। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें अगर गैर-भाजपा दल मजबूत होकर उभर जाएं तो इस कामयाबी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा, उदाहरण के लिए, असम, केरल और पुडुचेरी में कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रमुक। बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए राज्यों के हिसाब से विशेष बंदोबस्त करने होंगे और योजना बनानी होंगी। जो आज हालात हैं, उनमें इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा पक्के तौर पर नहीं जीत सकती।

कुल मिलाकर लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 के पहले ही हिंदू राष्ट्र परियोजना को रोक दिया जाना चाहिए, और 2024 तक भारत के संविधान को बचाए रखना होगा, जैसा कि 1865 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने किया था।

नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं

विनोद शाही

भारत की शिक्षा नीति में विविध भाषाओं के पठन-पाठन से संबंधित जो सिद्धांत अभी तक सबसे अधिक स्वीकृत रहा है, उसे त्रिभाषा फॉर्मूला कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, हिंदी और किसी एक प्रांतीय भारतीय भाषा को छात्रों द्वारा विषय के रूप में चुनने की बात कही जाती है। इससे छात्रों को भाषा ज्ञान तो प्राप्त होता है, पर विविध भाषाओं की अंतःक्रिया की बात, जिसे वास्तव में मूल सिद्धांत होना चाहिए, पीछे छूट जाती है।

इस भाषा नीति से संबंधित दूसरी समस्या अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के शिक्षण से जुड़ी हुई है। खासतौर पर तमिलनाडु जैसे प्रदेश इस त्रिभाषा फार्मूले को दक्षिण भारत पर हिंदी के आरोप के रूप में देखते हैं।

एक अन्य समस्या यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक पाठशाला के जीवन से संबंधित जो अध्ययन-अध्यापन होता है, उसमें एक से अधिक भाषाओं में प्रवीणता हासिल करने के लक्ष्य से जुड़ा शिक्षण, छात्रों पर अनेक विषय पढ़ने का अतिरिक्त भार डालता है। उनके सामने विषय इतने अधिक हो जाते हैं, कि भाषा के साथ संबंधित अध्ययन उनके लिए ज्ञान विज्ञान को हासिल करने से भी बड़ी चुनौती बन जाता है।

इन सभी बातों को सम्मुख रखते हुए अगर हम भविष्य की शिक्षा नीति में भाषा के पठन-पाठन के संबंध में किसी व्यावहारिक विकल्प को खोज सकें, तो वह न केवल छात्रों के लिए हितकारी होगा, बल्कि भाषा पर आधारित राजनीति और उसके राष्ट्रवाद से संबंधित पक्ष के संदर्भ में भी हमें किसी सम्यक समाधान खोजने की दिशा में ले जाएगा।

शिक्षा नीति की सैद्धांतिकी, राजनीति, राष्ट्रवादी सोच और छात्रों पर पड़ने वाले पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव, इन चारों के बीच संतुलन स्थापित किए बिना हम एक अच्छी शिक्षा नीति की परिकल्पना नहीं कर सकते।

बात जब शिक्षा की होती है, तो हमारे सामने सबसे जरूरी सवाल छात्रों का होना चाहिए। हमें छात्रों को एक ऐसे पाठ्यक्रम को प्रदान करने की बात सोचनी चाहिए, जो उन पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना उन्हें-

भविष्य के लिए तैयार कर सके।

उन्हें अच्छे रोजगार प्राप्त करने के लिए भी आगे ले जा सके।

और प्रांतीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने महत्त्व को साबित करने लायक बना सके।

ये सभी बातें मुख्यतः छात्रों के हित के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस संदर्भ में निर्णय करते समय हमें-

प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय राजनीति को दूसरे स्थान पर रखना चाहिए।

राष्ट्रवाद की बात विचारधारा के रूप में हमारे लिए बहुत महत्त्व रखती है, तथापि उसका शिक्षा नीति के साथ संतुलन और विवेकपूर्ण सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति का व्यावहारिक गठन, उपर्युक्त लक्ष्यों को नीति निर्धारक की तरह ग्रहण करते हुए किया जाना चाहिए।

तो क्या किया जाना चाहिए?

प्राथमिक और मूलभूत बात यह होनी चाहिए कि हम छात्रों को त्रिभाषा फार्मूले के आधार पर तीन विषय पढ़ने के लिए न कह कर एक ही विषय पढ़ने के लिए कहें।

इसे एक ही 'बहुभाषी विषय' के पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया जाए।

विविध भाषाओं का ज्ञान इन भाषाओं की अंतःक्रिया को व्यावहारिक बनाने वाला होना चाहिए।

अनेक भाषाओं में समान अधिकार से बातचीत करने और लिख पाने की योग्यता मुख्य होनी चाहिए।

इसलिए उसे साहित्य संबंधी अध्ययन से अलहदा सामान्य भाषा ज्ञान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

बहुभाषी विषय के पाठ्यक्रम को विविध भाषाओं के बीच की अंतःक्रिया के रूप में तैयार करके इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है।

> **शिक्षा**
>
> शिक्षा नीति की सैद्धांतिकी, राजनीति, राष्ट्रवादी सोच और छात्रों पर पड़ने वाले पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव, इन चारों के बीच संतुलन स्थापित किए बिना हम एक अच्छी शिक्षा नीति की परिकल्पना नहीं कर सकते।

यह सब कैसे संभव हो सकता है, इस संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

छात्रों को एक ही प्रश्न का उत्तर कई भाषाओं में लिखने के लिए कहा जा सकता है।

एक-एक पंक्ति की प्रश्नोत्तरी के रूप में दोनों या तीनों भाषाओं में अभिव्यक्ति करने की नई परिपाटी का विकास किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त रूप में अगर हम एक ही बहुभाषी विषय में सभी भाषाओं को पढ़ाने के संबंध में प्रारूप तैयार कर सकें, तो फिर हम उसी के संदर्भ में उस सवाल से मुखातिब होंगे कि कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं? यह सवाल इस रूप में उठ सका, तो यह अपनी प्रकृति बदल देगा। फिर वहां राजनीति की बजाय शिक्षा की पठन-पाठन की पद्धति केंद्र में आ जाएगी।

त्रिभाषा फार्मूला एक अरसे से इस लिहाज से अर्थपूर्ण रहा है। अगर अहिंदी प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश वहां हिंदी की उपस्थिति को लेकर कुछ दुविधा में नजर आता है, तो हम वहां इस संदर्भ में निम्न रूप में थोड़ा लचीला दृष्टिकोण अपना सत्य हैं।

हिंदी या संस्कृत का अध्ययन करने की बात वहां एक चुनाव के रूप में दी जा सकती है। संस्कृत को क्लासिकी भाषा के रूप में ग्रहण करने की बात वैसे भी उठती रही है। संस्कृत को हिंदी की जगह चुनने के संबंध में अगर दुविधा नहीं हुई, तो उसका परोक्ष प्रभाव हिंदी के पक्ष में मानसिकता तैयार करने वाला ही होगा। इसे भविष्य की दूरगामी सोच के तहत स्वीकार करने लायक बनाया जा सकता है।

यह दूरगामी सोच निम्न रूपों में परिणाम लाने वाली हो सकती है:

अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत और प्रांतीय भाषा, इन तीनों के साथ जुड़े हुए एक ही 'बहुभाषी' विषय के पाठ्यक्रम को तैयार करने पर हम इसे किसी एक भाषा के दूसरे पर आरोप के सवाल से बच जाएंगे।

यह स्थिति विविध भाषाओं के बीच आपसी रिश्ते बढ़ाने का हेतु ही अधिक हो जाएगी।

इस बहुभाषागत विषय के अध्ययन में छात्रों को एक ही सवाल के उत्तर अनेक भाषाओं में देने को प्रेरित किया जाए तथा एक भाषा से जुड़े विविध उद्धरणों, वाक्यों के अनुवाद शेष दो भाषाओं में करने से जुड़े प्रश्न ही अधिक दिए जाएं।

इससे किसी एक भाषा के अध्ययन के बजाय भाषाओं के आपसी रिश्ते के संबंध में ही योग्यता हासिल करने की बात केंद्र में आ जाएगी।

फीकी पड़ती चमक

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

जब केवल साल नहीं पूरा दशक बदलता है तो एक अजीब माहौल बन जाता है, जिसमें मायूसी और उम्मीद का संगम-सा हो जाता है। 2019 के आखिरी दिन इतने बुरे रहे हैं भारत के लिए कि मायूसी ज्यादा है और आशा कम। निजी तौर पर मुझे मायूसी ज्यादा महसूस हुई है। इसलिए कि पत्रकारिता की लंबी यात्रा में मैंने पहली बार किसी प्रधानमंत्री का खुल कर समर्थन किया है तो नरेंद्र मोदी का और अब ऐसे लगने लगा है कि जिनका समर्थन मैंने किया था, वे कहीं खो गए हैं और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने ले ली है।

जिनका मैंने 2013 से समर्थन करना शुरू किया था, उन्होंने भारत के लोगों को एक ऐसा सपना दिखाया था, जिससे मेरे जैसे लोगों को विश्वास हुआ कि भारत को आखिर में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश को गरीबी और लाचारी की बेड़ियों से निकाल कर उस जगह पहुंचाएगा जो भारत के लिए होनी चाहिए विश्व में। उस जगह पर, जहां भारत कभी हुआ करता था। हाल में अंग्रेजी लेखक विलियम डेलरिंपल ने 'एक्स्प्रेस अड्डा' में कहा था कि उनकी नजरों में भारत का दुनिया पर सबसे महत्त्वपूर्ण असर सन 400 से लेकर सन 1200 तक रहा था। यह वह दौर था जब दक्षिण-पूर्वी देशों में संस्कृत फैल गई थी, जब रामायण की कहानी अंगकोरवाट की दीवारों के पत्थरों पर तराशी गई थी। जब थाइलैंड के राजा अपने आपको राम कहने लग गए थे और जब चीन से ह्वेनसांग भारत आए थे यह कह कर कि दुनिया में सबसे ज्यादा असरदार देश भारत है। अब दक्षिण-पूर्व के तकरीबन सारे देश हमसे आगे निकल गए हैं।

मोदी ने जब पहले कदम रखे थे राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर तो उन्होंने ऐसी बातें कही थीं जिनसे करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक नई आशा पैदा हो गई थी। याद कीजिए उनके वे पुराने भाषण जिनमें वे कहते थे कि देश को एक नई आर्थिक दिशा में ले जाने की जरूरत है, जिसका लक्ष्य गरीबी हटाना ही नहीं, संपन्नता होना चाहिए। मेरे लिए उनकी यह बात खास महत्त्व रखती थी, क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत गरीब देश है सत्तर वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी तो सिर्फ इसलिए कि हमारी आर्थिक नीतियां गलत रही हैं। समाजवाद के नाम पर धनवान बने हैं सिर्फ हमारे शासक और उनके दोस्त। ऊपर से समाजवादी देशों में जो अच्छी बातें हैं, यानी बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन अन्य आम सुविधाएं- उनसे भी वंचित रखा गया है आम भारतीय को। इसलिए मोदी जब कहते थे कि उनको भारत के गरीब देशों की श्रेणी में होने का कोई कारण नहीं दिखता है, तो मेरा उनमें विश्वास बढ़ता गया। अफसोस कि राहुल गांधी के 'सूट-बूट सरकार' के भद्दे ताने के बाद मोदी खुद समाजवादी बन गए।

> जो लोग अवैध तरीके से भारत में आते हैं, वे अक्सर बदकिस्मत, बेरोजगार, गरीब होते हैं। वरना कोई नहीं छोड़ कर जाता है अपना देश। उनको दीमक कहना गलत था तो और भी गलत था ऐसा कानून पारित करवाना, जिसमें भारत के इतिहास में एक खास कौम को बाहर रखा गया उसके दायरे से।

अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने 'मनरेगा' जैसी समाजवादी योजनाओं को कुशल बनाने का काम किया, लेकिन रोजगार पैदा करने पर ध्यान नहीं दिया। कम से कम उन्होंने 'उज्ज्वला' और 'स्वच्छ भारत' योजनाएं शुरू कीं, जिनसे ग्रामीण भारत में बहुत परिवर्तन आया है। यही कारण था कि देश के मतदाताओं ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन यह संदेश उन तक पहुंचा नहीं। जो संदेश उन तक पहुंचा वह यह था कि उनको दोबारा मौका दिया गया है सिर्फ भारत को एक हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए। इसलिए उनके दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही ऐसे कदम उठाय गए हैं जिनसे मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। मैं धारा 370 के हटाए जाने का समर्थन करती हूं, लेकिन जब इसको हथियार बनाया गया चुनावों में तो मुझे शक होने लगा कि यह कश्मीर की तरक्की के लिए नहीं किया गया, मकसद शायद कुछ और था।

इससे भी ज्यादा चिंता होने लगी मुझे जब देश के गृह मंत्री ने मुसलिम घुसपैठियों के लिए दीमक शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने हर दूसरे भाषण में। जो लोग अवैध तरीके से भारत में आते हैं, वे अक्सर बदकिस्मत, बेरोजगार, गरीब होते हैं। वरना कोई नहीं छोड़ कर जाता है अपना देश। उनको दीमक कहना गलत था तो और भी गलत था ऐसा कानून पारित करवाना, जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार एक खास कौम को बाहर रखा गया उसके दायरे से।

गृह मंत्री ने अपने हर भाषण में स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए संदेश हमारे मुसलिम नागरिकों को गया कि नागरिकता सिर्फ उनकी खतरे में आ सकती है। इसलिए देश भर में मुसलमान और अन्य लोग उतर आए सड़कों पर और विद्यार्थी निकल कर आए विरोध जताने विश्वविद्यालयों में। इतनी अराजकता और अशांति फैली है पिछले दिनों से कि दुनिया में मोदी की छवि खराब हुई है और देश की भी। आखिर में प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में लंबा भाषण देकर मुसलमानों को आश्वस्त करने के कोशिश की कि उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगले ही दिन फिर से उनके गृह मंत्री ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। कहा 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' को हम दंडित करेंगे। क्या इस तरह की भाषा इतने बड़े देश के गृह मंत्री की होनी चाहिए? इतनी अशांति है देश में अब कि ऐसा लगने लगा है कि एक दशक और भारत खो देगा ऐसी चीजों में उलझ कर जो उसकी प्रगति को हमेशा रोकती आई हैं। सत्तर का दशक गया आपातकाल से जूझते, अस्सी का दशक गया पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी मुहिमों से लड़ने में, नब्बे के दशक में थोड़ी चैन-शांति रही आर्थिक सुधारों के कारण। लेकिन गलत आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का इतिहास लंबा है। क्या और भी लंबा होगा?

साधारण का सौंदर्य

बारखबर

■ सुधीश पचौरी

झारखंड के चुनाव के परिणाम जैसे-जैसे आते दिखे, वैसे-वैसे कइयों के चढ़े हुए तेवर ढीले होते दिखे, लेकिन मजाल कि हारा हुआ अपनी हार स्वीकार करे! टीवी पर कोई भी हारा हुआ नहीं दिखना चाहता! एंकरों ने मजे काटे। कोंच-कोंच कर अपनी सतत जीत का दावा करते प्रवक्ताओं से पूछते रहे कि सरजी, जब जीत का श्रेय उनको देते हैं तो इस हार का श्रेय किसे देंगे?

और ऐसे तंग करने वाले सवालों का एक ही प्रकार का अवसरवादी जवाब आता कि वहां 'लोकल इशूज' थे, उन्होंने हराया, लेकिन हमारा वोट कमोबेश बराबर का रहा है।

वही, 'हार नहीं मानूंगा' वाला वीर भाव! एंकरों ने देर तक आनंद लिया। बार-बार दिखाते रहे कि आज से कुछ पहले तक भाजपा भारत के तीन-चौथाई नक्शे पर काबिज थी, अब एक चौथाई पर सिमट गई। एक एंकर ने अपनी बहस में इस करारी हार पर नमक रगड़ते हुए प्रवक्ताजनों से पूछा कि आप तो कहा करते थे कि आप भारत को कांग्रेसमुक्त बनाने वाले थे, लेकिन ये क्या? कहीं भाजपा-मुक्त भारत तो नहीं होने जा रहा है?

पहली बार नए सीएम का उम्मीदवार किसी साधारण आदमी की तरह कैमरों के आगे आया। जब परिणाम आ रहे थे, तब वह एक मामूली-सा कोट-पैंट पहने वह एक पुरानी साइकिल पर चक्कर काट रहा था। चैनलों ने उसका घर भी दिखाया और मालूम हुआ कि होने वाले सीएम का घर किसी आम गांव वाले का-सा है, जिसमें खाना धाती पर बैठ कर चूल्हे की आंच पर बनाया जाता है। इस सीएम के बीवी-बच्चे भी सामान्य कपड़ों में ही दिखे। सीएम अपने पिता के चरण-स्पर्श करते दिखा।

यह 'साधारणता का सौंदर्य' था जो डिजाइनर राजनीति के दिनों में अपनी तरह की सहजता से युक्त था!

नागरिकता विरोधी आंदोलन के दो रणबांकुरों की टाइमिंग एकदम सही नजर आई। एक ने बंगलुरु से सीन दिया। एक ने दिल्ली में दिया। बंगलुरु वाले सर जी एक्शन की जगह एक हाथ में आंबेडकर दूसरे में गांधी के चित्र लेकर गए थे और भाषण दे रहे थे कि दुष्ट पुलिस ने उनको खींच लिया और चार-पांच घंटे बाद छोड़ा। शाम तक वे दो अंग्रेजी चैनलों पर राज्य सत्ता की निरंकुशता का विश्लेषण करते दिखे! सर जी, लेनिन ने तो कब का कह दिया था कि 'स्टेट' होती ही 'शासक वर्ग की डिक्टेटरशिप' है!

दिल्ली वाले सीन की हीरोइन एक अंग्रेजी लेखिका बनीं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के कुछ ऐसे अद्भुत आइडिया दिए कि नागरिकता विरोधी आंदोलन ही 'सबवर्ट' हो गया। उन्होंने कहा कि जब वे आपके पास आएं तो अपना नाम 'रंगा बिल्ला' बता दीजिए 'कुंगफू कुत्ता' बता दीजिए। अपना पता सात रेसकोर्स दे दीजिए! आसपास खड़े प्रशंसक उनके इस बारीक व्यंग्य पर खूब विहंसे! चैनलों ने उनको जम के दिखाया।

> टीवी पर कोई भी हारा हुआ नहीं दिखना चाहता! एंकरों ने मजे काटे। कोंच-कोंच कर अपनी सतत जीत का दावा करते प्रवक्ताओं से पूछते रहे कि सरजी, जब जीत का श्रेय उनको देते हैं तो इस हार का श्रेय किसे देंगे?

कितना सुंदर और सुरक्षित समर्थन कि असली प्रदर्शनकारी कड़ाके ठंड में पूरे-पूरे दिन नारे लगाते हुए खटते रहे और मैडम आईं और लाइन दे गईं कि कानून का भितरघात करो, यानी झूठ बोलो! क्षमा करें मैडम! सत्याग्रह की जगह आप तो उनको 'जिम ग्लब' पहन 'असत्याग्रह' सिखा रही हैं!

चैनल इन प्रदर्शनों की व्याख्या को लेकर विभाजित नजर आए! पूरे सात दिन कई अंग्रेजी-हिंदी चैनल प्रदर्शनों को दंगों का पर्याय-सा बताते रहे। कई चैनल बताते रहे कि उनके पास आठ ऐसे वीडियो हैं जो प्रदर्शनकारियों का असली चेहरे का पर्दाफाश करते हैं। वे प्रदर्शन के नाम पर पत्थर मारने, आगजनी करने और गोली चलाने आए थे। ये वीडियो इनके खिलाफ पक्के प्रमाण की तरह हैं। कई एंकर वीडियो की अंगुली के सहारे व्याख्या तक करते नजर आते थे कि ये देखिए... ये है जिसने पिस्तौल निकाली और फायर किया! ऐसे चैनल संपत्ति जब्त करने के जरिए हर्जाना वसूलने की लाइन की सराहना-सी करते दिखे।

लेकिन हमारे देखे दो अंग्रेजी चैनल ऐसे भी रहे, जिन्होंने उन माता-पिता को भी दिखाया, जिनके बच्चे पकड़े गए थे, जिनके कारण संपत्ति जब्त की गई थी। एक चैनल में एक पिता रो-रोकर कहता रहा कि वे आए और हमारे घर को तोड़फोड़ कर चले गए। कुछ न बचा। एक मां रो-रोकर कहती रही कि वे सब कुछ खत्म कर गए। तीन लाख का सोना था, वह भी। जब स्टेट ही बेदर्द हो जाए तो कोई क्या कहे?

फिर भी, टीएमसी की तुरंता राजनीति का जबाव नहीं। एक दिन उसने अपने कुछ नेताओं को उत्तर प्रदेश के पीड़ितों से मिलने के लिए भेजा, लेकिन वहां की पुलिस ने हवाईअड्डे पर ही रोक दिया। इसी तरह शुक्रवार की खबर रही कि टीएमसी वाले अब बंगलुरु जाने वाले हैं, ताकि वहां के आंदोलनकारी पीड़ितों से मिल सकें! कल भाजपा वाले ऐसे ही भेजेंगे तो दीदी भी रोकेंगी ही न!

सत्ताइस दिसंबर के शुक्रवार के दिल्ली के कवरेज में 'शांति कमेटी' और 'शांति की अपील' पर जोर नजर आया। सीलमपुर की मस्जिद के कवरेज की यही बात खास रही। यों इस शुक्रवार को हिंदी चैनल का रिपोर्टर सुबह से ही जामा मस्जिद आकर किसी बड़ी स्टोरी की तलाश में तैनात हो गया था और जिज्ञासा बढ़ाता जा रहा था कि आज क्या होगा। लेकिन मिग विमानों की पुरानी खेप की वायु सेना से विदाई के समारोह की कहानी ने जामा मस्जिद की कहानी बीच में ही रोक दिया!

कई चैनल सरकार की तरह संदेश देते रहे कि कृपया शांति बनाए रखें। एक हिंदी चैनल ने स्क्रीन पर 'राष्ट्रवाद जिंदाबाद' ही लिख डाला!

www.readwhere.com

किताबें मिलीं

शब्द और साधना

साहित्य का अस्तित्व भाषा संबद्ध है। भाषा में संपूर्ण साहित्य रचा जाता है। इसी को व्यक्त करने के लिए साहित्य का एक नाम वांग्मय है। इस पुस्तक में जो आलोचनात्मक निबंध हैं, वे हिंदी भाषा में रचित साहित्य के विभिन्न रूपों और पक्षों का बोध कराते हैं।

यह पुस्तक तीन खंडों में विभाजित है। पहले खंड में एक ओर हिंदी के भक्तिकाल के कवियों के काव्य का विद्यानिवास मिश्र और विश्वम्भरनाथ उपाध्याय द्वारा विवेचन और मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन है, तो दूसरी ओर आधुनिक काल के महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा के चिंतन और लेखन का विवेचन है। साथ ही महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य 'कामायनी' पर मुक्तिबोध के चिंतन और लेखन का पुनर्मूल्यांकन है। इसी खंड में विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा जनकवि नागार्जुन की कविता की पक्षधर समालोचना का मूल्यांकन है। पहले खंड में ही वीरेन डंगवाल, बल्लीसिंह चीमा और मिथिलेश श्रीवास्तव की कविता का विवेचन और मूल्यांकन है। साथ ही कृष्णा सोबती की पुस्तक 'लद्दाख' और भीष्म साहनी के नाटक 'आलमगीर' का विवेचन भी है।

दूसरे खंड के निबंधों में सैद्धांतिक सोच और व्यावहारिक विश्लेषण की एकता है। इसी में हिंदी के रीतिकालीन काव्य में मौजूद इतिहास बोध की व्याख्या भी है। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में प्रगतिवाद की स्थिति की पहचान और व्याख्या की कोशिश है। दूसरे खंड के अंत में भारतीय दलित साहित्य के बारे में बजरंग तिवारी की अनेक पुस्तकों पर एक समीक्षात्मक लेख है।

तीसरे खंड के निबंधों का एक संबंध एक ओर तमिल, तेलुगु और बांग्ला की कविता से है तो दूसरी ओर एक विदेशी विचारक-आलोचक के चिंतन और लेखन से। इसमें तीन निबंध तमिल के सुब्रह्मण्य भारती, बांग्ला के बाउल गायक लालनशाह फकीर और तेलुगु के कवि वरवर राव पर हैं। अंत के एक निबंध का संबंध मूलगामी आलोचना के लेखक एडवर्ड सईद के विचारों की व्याख्या और मूल्यांकन से है।

शब्द और साधना : मैनेजर पांडेय; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।

गांधी को समझने का यही समय

महात्मा गांधी वह महामानव हैं जिनकी प्रासंगिकता हर दौर में बनी रहेगी। व्यवस्थित जीवन जीने के लिए गांधी जी ने जो सूत्र दिए, वे उनके व्यक्तित्व की भांति आज भी उतनी महत्ता रखते हैं जितनी तत्कालीन समज में थी। जीवन के जिस भी क्षेत्र में उन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए, वही अनुभव उन्होंने साररूप में मानव जाति को प्रदान किए। वे जीवन के हर क्षेत्र- चाहे वह शैक्षिक हो या राजनीतिक- के प्रति बहुत गंभीर थे। उनका विचार था कि सामयिक क्रांति के पहले सुषुप्त समाज को जाग्रत करना जरूरी है और ऐसा तभी हो सकता है जब शिक्षा की प्रकाश-किरणें सब तक पहुंचें। इसके लिए उन्होंने वैचारिक चिंतन ही नहीं किया, अपितु व्यावहारिक प्रयोग भी किए।

गांधी जी का मानना था कि शिक्षा वही उचित है जो बच्चों को उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्य का बोध कराए। उनके अनुसार शिक्षा तो वही वही है जो चरित्र का उचित दिशा में निर्माण करे। प्रस्तुत पुस्तक 'गांधी को समझने का यही समय' अपने में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित चारित्रिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों को समाहित किए हुए है। इन मूल्यों में जो विकृति आई है, उसे दूर करने के लिए हमें गांधी को समझना होगा और गांधी को समझने का यही समय उपयुक्त है।

गांधी को समझने का यही समय : जगमोहन सिंह राजपूत; किताबघर प्रकाशन, 4855-56/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 300 रुपए।

मैजिक मुहल्ला-एक

मराठी और अंग्रेजी के अन्यतम कवि दिलीप चित्रे की कविताओं के इस विशद अनुवाद-संकलन के प्रकाशन से हिंदी कविता और भाषा को एक नया भावबोध और स्वर-संपत्ति मिल रही है। दिलीप चित्रे और उनके समानधर्मा अरुण कोलटकर हिंदी में पहले से समादृत हैं, बल्कि इनकी उपस्थिति लगभग हिंदी कवि सरीखी रही है। इनके अनुवाद भी शुरू से होते आए हैं। लेकिन संभवतः पहली बार दिलीप चित्रे की अंग्रेजी और मराठी कविताओं का ऐसा समावेशी प्रतिनिधि संकलन सामने आ रहा है। एक विशेष अंतर, और सुखद अंतर यह है कि यह अनुवाद किसी मराठीभाषी मित्र ने नहीं बल्कि हिंदीभाषी तुषार धवल ने किए हैं। तुषार स्वयं बेहद संवेदनशील कवि हैं और अपनी भाषा के संस्कार व स्थापत्य से अंतरंग भी। इसलिए दिलीप चित्रे की संश्लिष्ट, ऋजु व दुर्गम कविताओं तथा पंक्तियों के भी प्रायः समतुल्य पाठ प्रस्तुत करने में वह सफल रहे हैं। ये अनुवाद हिंदी मूल का भ्रम देते हुए भी समकालीन हिंदी कविता को एक सर्वथा भिन्न और अमूल्य आयातित स्वर प्रदान करते हैं।

दिलीप चित्रे भारतीय कविता की उस धारा के प्रतिनिधि हैं जिसने आधुनिकतावाद एवं देशज परंपराओं का संयुक्ताक्षर बनाया और अपने समय को, जो एक साथ वैश्विक और भारतीय है, बिल्कुल नए मुहावरों, बिंबों तथा लयों में व्यक्त किया। पिछले सौ वर्षों में पाश्चात्य कविता, भावबोध तथा साहित्य-विचार से भारतीय कविता के संबंध घट-बढ़ और तनाव के साथ बदलते रहे हैं। रामानुजन, कोलटकर, जयंत महापात्र और दिलीप चित्रे जैसे कवियों ने, जो एक साथ अपनी भाषा और अंग्रेजी में लिखते रहे, इस संबंध को नई परिभाषा दी और अपनी भाषा को एक इतर ऊर्जा से आविष्ट किया। यहां संकलित बहुत-सी कविताओं में इसे देखा जा सकता है। साथ ही, संत तुका और शैव परंपरा ने दिलीप चित्रे की कविता को अप्रत्याशित पौराणिकता भी दी और इस प्रकार एक नया काव्य रसायन निर्मित हुआ। तुषार धवल ने सावधानी और धैर्य के साथ इन सभी रसों को हिंदी में ढाला है।

मैजिक मुहल्ला-एक : दिलीप चित्रे, अनुवादः तुषार धवल; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 695 रुपए।

राग पद्मश्री

इस किताब में हमें वर्मा जी के व्यक्तित्व का वह आयाम देखने को मिलता है जिसमें वे तिरछी निगाहों से अपने आसपास के मंजर को देखते हैं। एक जगह वे बहुत सही कहते हैं कि 'संवेदनशील आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता।' और क्योंकि वे संवेदनशील हैं, जो कुछ चारों तरफ घटित हो रहा है उसे देखकर दुखी होते हैं। लेकिन व्यंग्य लेखन की यही तो विशेषता होती है कि उस दुख को भी कुछ ऐसे लहजे में हमारे सामने लाया जाता है कि हम भीतर से भले ही तिलमिलाएं, मुस्कुराए बगैर भी नहीं रह पाते हैं।

वर्मा जी के व्यंग्य लेखन की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे सामान्य बात कहते-कहते व्यंग्य कर जाते हैं। बहुत बार वे किसी लतीफे से अपनी बात शुरू करते हैं और फिर बड़े सहज भाव से उसी लतीफे में से कोई सार्थक व्यंग्य निकाल लेते हैं। वर्मा जी के इन लेखों में अनेक विषय मौजूद हैं। उनका मन ऐसे विषयों और प्रसंगों में अधिक रमता है जहां शास्त्र चर्चा का अवसर निकल सके। इस दृष्टि से इस संग्रह का लेख 'जिस क्रिया में जैसे होय तैसे' अद्भुत है।

असल में वर्मा जी के लेखन की भी यही विशेषता है कि उसे बहुत सावधानी से पढ़ना होता है। उनकी एक और खासियत यह है कि वे उन प्रसंगों में भी हास्य-व्यंग्य ढूंढ़ लेते हैं जहां आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं।

राग पद्मश्री : विजय वर्मा; बोधि प्रकाशन, सी-46, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन, नाला रोड, 22 गोदाम, जयपुर; 250 रुपए।

साहित्य और युवा

हिंदी में इन दिनों खूब और हर विधा में लिखा जा रहा है। खासकर युवा लेखकों की सक्रियता काफी बढ़ी है। सोशल मीडिया ने उन्हें पंख दिए हैं। पहले जो पत्र-पत्रिकाओं में संपादकीय हस्तक्षेप की वजह से रचनाएं छपवाने में परेशानी आती थी, अब सोशल मीडिया ने उससे भी मुक्ति दे दी है। मगर इस आजादी के बीच जो युवा रचनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वह गंभीर साहित्य के रूप में हों या फिर तात्कालिक टीप के रूप में, उनमें अनुभव और समझ के कच्चेपन का आरोप अक्सर लगता है। इसकी क्या वजह है, इस बार की चर्चा इसी पर। - संपादक

सूचनाओं से जीवनानुभवों का स्थानापन्न

अल्पना मिश्र

तकनीक के युग में हमारा प्रवेश तेज गति के साथ बहुत सारी उलझनों, मुश्किलों, खतरों और गिरावटों को लिए-दिए हुआ है। सूचनाओं से जीवन पटा हुआ दिखता है, पर तमाम सही सूचनाओं तक न पंहुच बन पाती है, न उनके सही होने, न होने का भरोसा। आभासी सच ने असली सच को कुछ इस तरह ढंक लिया है कि 'कंक्रीट रियलिटी' तक पहुंचना, उसकी शिनाख्त करना आसान नहीं रह गया। तकनीक के इस व्यापक कब्जे का सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी हुई है। वह इसमें फंस कर लाभान्वित होने के बजाय अधिकांशतः दो तरफ गई है- उत्सव और उन्माद। उत्सव हर तरफ है, हर चीज में है, इस उत्सव ने विचार और सरोकार की जगह घेर ली है- विशुद्ध मनोरंजन बाजार की तर्ज पर फैलता हुआ सारे तर्कों, विडंबनाओं, तकलीफों और अंधेरों को ढंकने का भ्रम फैलाता जा रहा है। यह उत्सवधर्मिता भारतीय किसानी जीवन की उत्सवधर्मिता नहीं है, न आम जन जीवन से इसका कोई वास्ता है। यह आभासी है, इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। और उन्माद, जो विवेक से, विजडम से दूर करता है। प्रायः यह विवेकहीनता भीड़ की हिंसा में बदल जाने का खतरा बनती है। ऐसी हिंसा के विकराल दानव का भारतीय संस्कृति के औदात्य से कोई परिचय नहीं।

तकनीक ने तेज गति को जन्म दिया है। यह रफ्तार विकास के लिए चाहे जैसी हो, रचनात्मकता के लिए, कला के लिए ठीक नहीं है। अगर आप तेज दौड़ते हुए आंखों के कैमरे से जीवन की फोटो भी लेना चाहते हैं, तो यह सही और स्पष्ट तस्वीर आपको नहीं देगा। तेज गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों से बाहर का दृश्य धुंधला नजर आता है। बुलेट ट्रेन से तो यह बिल्कुल संभव नहीं है कि आप पेड़, पल्लव की पहचान करते चलें। ऐसी तेज गति में जीवन की विविध छवियों को कैद कर पाना संभव नहीं रह जाता। जो हाथ आता है, प्रायः वह ऊपरी, सतही यथार्थ होता है। इसकी जटिल और बहुस्तरीय बुनावट को जानने-समझने के लिए ठहरना होगा। साहित्य ठहर कर जीवन को समझने की चीज है। ऐसा नहीं कि जीवनानुभवों की जगह सिर्फ सूचनाएं दिखाई दें और इसे ही कविता, कहानी मान लेने की हड़बड़ी हो। आज का युवा सूचनाओं के ढेर पर खड़ा है, पर जीवन के अनुभवों का अभाव उसे साहित्य के नाभिक सत्य 'मर्म' तक पंहुचने नहीं देता। तकनीक ने सूचनाओं से जीवनानुभवों का स्थानापन्न किया है। सूचना की भरमार जानकारी के लिहाज से ठीक लग सकती है, पर अनुभवों का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा ग्लोबल लेखन किस काम का, जो मर्म को भेद न सके, विचार को झकझोर न सके, भीतर तक उतर न सके। जो 'कमोडिटी' के सच की तरह इस्तेमाल पर टिका हो और नई व्यवस्था में 'यूज एंड थ्रो' कहलाता हो, वह बहुत बिकाऊ हो सकता है, टिकाऊ नहीं।

सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को वह जगह दे दी है, जहां वह बिना किसी रोक-टोक के अपनी बात कह सकता है- यह स्पेस तब तक अच्छा है, जब तक विवेक आपके साथ है, अन्यथा यह अराजक और निरंकुश है। अराजकता का यह जाल इस तरह फैल गया है कि 'आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं' की तर्ज पर युवा जो कुछ भी वहां लिख रहा है, कोई अच्छी पंक्ति, कोई कविता, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है या गद्य का कोई बनता हुआ टुकड़ा। तुरंता न्याय की तरह तुरंत चार लोग ताली बजाने आ जाते हैं, लाइक और कमेंट्स में सारा मूल्यांकन सिमट जाता है। न किसी तरह के मूल्यांकन की जरूरत है, न पुनर्विचार की। यह संतोष स्वयंभू लेखक बन जाने के अहंकार की तरफ ले जाता है। ऐसा लेखक, जो अपने पूर्वज लेखकों, अपनी परंपराओं, इतिहास बोध और यहां तक कि आधुनिकता बोध से भी प्रायः अपरिचित रह जाता है। तब कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वह अपने वरिष्ठों या समकालीनों से असहमति की भाषा समझ नहीं पाता और 'ट्रोलिंग' की भाषा अपना लेता है।

चर्चा

आज का युवा सूचनाओं के ढेर पर खड़ा है, पर जीवन के अनुभवों का अभाव उसे साहित्य के नाभिक सत्य 'मर्म' तक पंहुचने नहीं देता। तकनीक ने सूचनाओं से जीवनानुभवों का स्थानापन्न किया है। सूचना की भरमार जानकारी के लिहाज से ठीक लग सकती है, पर अनुभवों का मुकाबला नहीं कर सकती।

पहले जहां सोशल मीडिया पर कुछ सैद्धांतिक या वैचारिक बातें कभी-कभी दिख जाया करती थीं, अब वे पूरी तरह खत्म हुई हैं। उसकी जगह एक-दूसरे की तारीफ, ट्रोलिंग, तरह-तरह की लोकलुभावन 'स्व' की तस्वीरों, सेल्फियों ने ले ली है- यह प्रवृत्ति स्त्रियों और पुरुषों दोनों में समान रूप से दिख रही है। कई बार यह मनोरोग की हद तक जाती दिखती है। कई बार तो बड़े-बड़े लेखकों पर उनकी अपढ़ टिप्पणियां हैरान करने वाली होती हैं। वे नहीं जानते कि प्रेमचंद ने क्या लिखा है? जैनेंद्र कौन थे? कृष्णा सोबती क्या विचार रखती थीं? पढ़ना, सुनना, गुनना और रचना, तीनों में बड़ा फांक पैदा हुआ है।

तकनीक ने छापने की सुविधा इतनी बढ़ा दी है और बाजार तमाम तरह की बिकाऊ चीजों को बढ़ावा देता है, तो साहित्य के नाम पर ऐसी सतही चीजें भी छप जा रही हैं, जिनके छपने के बारे में पहले सोचना कठिन था। कुछ तो बकायदा फेसबुक रचनाओं के प्रकाशक हो गए हैं। इन्होंने भी युवा को अपनी रचना पर मेहनत करने, उन्हें मांजने और विचारशील बनने का रास्ता कमजोर किया है। पहले जहां पत्र-पत्रिकाओं में संपादक रचनाएं लौटा दिया करते थे, संपादक की दृष्टि से गुजरी रचनाएं लेखक को सिखा भी जाती थीं और कई बार संपादक को चमत्कृत भी। लेखक को उस पर पुनर्विचार करने का समय मिलता था, कभी वह सुझाव मानता था, कभी नहीं। कई बार वरिष्ठ लेखक कुछ सुझाव दिया करते थे, कुछ किताबें पढ़ने की सलाह देते थे, कविताओं तक के कितने डाफ्ट बनाए जाते थे- जब तक संतोषजनक रचना न तैयार हो जाए, तब तक जूझना होता था। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञेय आदि अपनी कविताओं में शब्द चयन को लेकर कितने सतर्क हुआ करते थे। अब 'इंस्टेंट' यानी तुरंता चीजों की तरह इंस्टेंट रचना के जमाने में इतना धैर्य कहां? कहानियां तीन दिन और कई बार तीन घंटे में लिखी जा रही हैं और लेखक गर्व से इसे बताता फिरता है। इतनी हड़बड़ी है और लाभ-लोभ के इतने गणित हैं कि इसके साथ अध्ययन, चिंतन, मनन और लेखन का सामंजस्य मुश्किल हुआ है। प्रतिभाशाली युवा भी अक्सर सोशल मीडिया के इस चक्रव्यूह का शिकार होकर अपनी प्रतिभा को व्यर्थ बिखरा देता है।

यहीं पर यह नहीं भूला जा सकता कि आंधी तेज आने पर भी बहुत से वृक्ष अपनी जड़ें नहीं छोड़ते हैं। आज के इस तकनीकी दौर में भी अनेक ऐसे युवा हैं, जिन्होंने विचार और संवेदना का दामन नहीं छोड़ा है। वे सुचिंतित हैं और सुपठित भी। वे जेनुइन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वे या तो इस शोर से बाहर हैं या बाहर ढकेले जाने से अपने को बचा ले जाने के संघर्ष में। न तो उन्हें देने के लिए साहित्य के पास ढंग के मंच हैं, न अधिक पत्रिकाएं। कहने को पत्र-पत्रिकाओं का ढेर है, पर गुणवत्ता के लिहाज से प्रतिभासंपन्न के लिए सटीक मंच नहीं। कुछ अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं भी पिछले वर्षों में या तो बंद हुई हैं या अपनी गुणवत्ता खो बैठी हैं। तब भी ऐसे युवा रचनाकार साहित्य के भविष्य का भरोसा पैदा कर रहे हैं।

दूसरी तरफ वरिष्ठ साहित्यकार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। युवा प्रतिभाओं को सामने लाने, प्रोत्साहित करने का उनका जो दायित्व है, वह भी कमोवेश नहीं दिखता। कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी दिखती है, जब कुछ वरिष्ठ लेखक किसी प्रतिभाशाली युवा को अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगते हैं और उसे मुख्यधारा से अलग-थलग करने, मनोबल तोड़ने के सारे प्रयास में जुट जाते हैं या नए लेखन को खारिज करने लगते हैं। कई बार कुछ वरिष्ठ युवाओं का हौसला बढ़ाने की, अपना ज्ञान उन्हें देने की सदीक्षा से भी भरे होते हैं, पर युवा उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह पीढ़ियों के टकराव की जगह साथ चलने का जो संतुलन बनना चाहिए, वह लगभग नहीं बन रहा।

चकाचौंध के बीच धुंधलका

दिनेश कुमार

गजानन माधव मुक्तिबोध 'एक साहित्यिक की डायरी' में लिखते हैं : 'आज के साहित्यकार का आयुष्य-क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफासेट, ऐरिस्ट्रोक्रैटिक लिविंग, महानों से व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार या ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि; और चालीसवें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी; किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद; किसी बड़े भारी सेठ के यहां या सरकार के यहां ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद?' लगभग छह दशक पहले कही गई मुक्तिबोध की यह बात आज के नए रचनाकारों पर अक्षरशः लागू होती है। साहित्य के क्षेत्र में कदम रखने वाला आज का युवा पहले की तुलना में कई गुना अधिक कैरिअरिस्ट और समझौता परस्त है। उसके लिए साहित्यिक कर्म व्यक्तित्व की अनिवार्यता से अधिक प्रसिद्धि और शोहरत पाने का एक जरिया भर है। शायद इसीलिए हिंदी में अब रचनाकार बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती और न ही कुछ दांव पर लगाना होता है। आप तमाम दुनियावी सफलताओं के साथ लेखक भी बने रह सकते हैं। नई पीढ़ी में वैसे लेखक न के बराबर मिलेंगे, जिन्हें लेखक होने के कारण दुनियावी सफलताओं से महरूम होना पड़ा या जिन्होंने दुनियावी सफलताओं की कीमत पर अपने लेखक होने को बचाया हो। एक सफल व्यक्ति होने और एक सफल लेखक होने, दोनों का फार्मूला अब धीरे-धीरे एक ही हो गया है।

जब दुनियावी सफलताओं के सूत्रों को साहित्य के क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो उसकी बहुत भारी कीमत साहित्य को चुकानी पड़ती है। इसका सबसे पहला असर साहित्यिक परिवेश पर पड़ता है। साहित्यिक परिवेश और गैर-साहित्यिक परिवेश के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। हम प्रायः मान कर चलते हैं कि लेखक आम लोगों की तुलना में कम संकीर्ण और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अधिक सजग होता है। इसलिए साहित्यकारों से निर्मित साहित्यिक परिवेश में ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र की प्रतिष्ठा होगी। यानी, साहित्यिक परिवेश सामाजिक परिवेश की बुराइयों से बहुत हद तक मुक्त होता है। पर आज हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। समाज की बुराइयों से पार पाना साहित्य का काम है, किंतु आज का साहित्यिक परिवेश स्वयं उन बुराइयों से ग्रसित हो गया है। तरह-तरह के अवसरवाद, पाखंडपूर्ण आचरण, पुरस्कारों के लिए अनैतिक गठजोड़ और दुरभिसंधियां पुस्तक-प्रकाशन के लिए पैसे का लेन-देन आदि वर्तमान साहित्यिक परिवेश में सर्वत्र व्याप्त है। हम कह सकते हैं कि जैसा परिवेश राजनीति और समाज में है, वैसा ही परिवेश साहित्य में भी है। समाज को दिशा देने वाले के रूप में लेखक की जो भूमिका थी वह अब कम से कम हिंदी में तो समाप्त हो गई है। युवा पीढ़ी के बहुलांश लेखकों का आचरण भीड़ से अलग नहीं, बल्कि भीड़ के अनुरूप दिखाई देता है। हिंदी समाज के लिए निस्संदेह यह दुखद परिघटना है कि उसका लेखक भी अब भीड़ का हिस्सा बन गया है। वह दिन अब दूर नहीं है, जब हिंदी का युवा लेखक बहुसंख्यकवाद का भी समर्थन करने लगे।

इस साहित्यिक वातावरण का असर लेखन पर पड़ना स्वाभाविक है। शायद यह पहली बार है जब साहित्य अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्षरत है। उसकी पहचान को सुनियोजित रूप से नष्ट किया जा रहा है। साहित्य की अस्मिता छीनने का काम एक तरफ सत्ता द्वारा हो रहा है, तो दूसरी तरफ बाजार द्वारा। सत्ता और बाजार के गठजोड़ द्वारा साहित्य को नख-दंत विहीन करने की पूरी परियोजना चल रही है। हिंदी साहित्य को उसके सत्ता और बाजार-विरोधी विरासत से अलगा कर सत्ता और बाजार के अनुकूल बनाया जा रहा है। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अब साहित्य के इस स्वभाव को ही बदला जा रहा है। अगर

युवा पीढ़ी के बहुलांश लेखकों का आचरण भीड़ से अलग नहीं, बल्कि भीड़ के अनुरूप दिखाई देता है। हिंदी समाज के लिए निस्संदेह यह दुखद परिघटना है कि उसका लेखक भी अब भीड़ का हिस्सा बन गया है। वह दिन अब दूर नहीं है, जब हिंदी का युवा लेखक बहुसंख्यकवाद का भी समर्थन करने लगे।

साहित्य का स्वभाव बदल जाए, वह कमजोर की वकालत करना छोड़ दे, सरोकारविहीन हो जाए, दुनिया को सुंदर देखने का स्वप्न छोड़ दे, तो फिर साहित्य में बचेगा क्या और जो बचेगा, क्या वह साहित्य कहलाने का अधिकारी होगा?

एक ऐसे समय में जब हर एक शय ने सत्ता और बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, तब भी साहित्य कुछ न कुछ अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहा है। अंतिम किले के रूप में बचे साहित्य को विजित करने का उपक्रम तेजी से चल रहा है। इसके लिए मुख्यतः दो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। एक है साहित्य उत्सव और दूसरा है 'बेस्ट सेलर'। साहित्य उत्सवों के माध्यम से साहित्य का समारोहीकरण किया गया है। अन्य उत्पादों की तरह साहित्य भी अब बाजार में नुमाइश की वस्तु बन गया है। यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि जो खबरिया चैनल भूल कर भी कभी साहित्यकारों को नहीं बुलाते हैं, वे सलाना साहित्य उत्सव कर रहे हैं। भिन्न-भिन्न तरह के साहित्य-उत्सवों में धन लगाने वाले कारोबारियों के चरित्र को देखा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इन उत्सवों के पीछे की असल मंशा क्या है? दरअसल, ये उत्सव और कुछ नहीं, बल्कि साहित्य के व्यवसायीकरण की परियोजना मात्र हैं। साहित्य में इधर पैसे का खेल बढ़ा है। छोटी ही सही, पर पूंजी के माध्यम से साहित्य को नियंत्रित और निर्देशित करने की शुरुआत इन उत्सवों के माध्यम से हो चुकी है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब से मीडिया में पूंजी का दखल बढ़ा और वह मिशन आधारित व्यवसाय से सामान्य व्यवसाय में तब्दील हुआ है, तबसे मीडिया का चरित्र पूरी तरह बदल गया है। आज साहित्य के क्षेत्र में भी यही खतरा है। साहित्य का व्यवसायीकरण साहित्य को साहित्य ही नहीं रहने देगा। पूंजी संचालित आने वाला साहित्यिक परिवेश कैसा होगा, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। तब साहित्यकार होंगे, साहित्य होगा, पर उसमें उत्पीड़तों की आवाज न होगी। साहित्य और साहित्यकार दोनों सत्ता और बाजार से अनुकूलित हो गए होंगे। वैचारिक रूप से सजग युवा लेखक तो इस खतरे को समझ रहा है, पर अधिकांश उच्चवर्गीय लेखक बाजार के मादक आकर्षण में खोते जा रहे हैं।

युवा लेखकों की रुचि और सोच को भ्रष्ट करने में एक बड़ा योगदान हिंदी में 'बेस्ट सेलरों की कृत्रिम संकल्पना का है। प्रायोजित ढंग से जन-रुचि को परिष्कृत करने वाले सरोकारी साहित्य को पीछे ढकेल कर सतही और आनंददायक साहित्य को आगे किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि गंभीर साहित्य के दिन अब लद गए हैं। उनके पाठक नहीं हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से लुगदी साहित्य और वास्तविक साहित्य के अंतर को मिटाने का प्रयास हो रहा है। कोशिश यह है कि 'बेस्ट सेलर' के माध्यम से लुगदी या लोकप्रिय साहित्य को ही धीरे-धीरे वास्तविक साहित्य घोषित कर दिया जाए। दुखद यह है कि इस खेल में अब हिंदी के छोटे-बड़े अधिकांश प्रकाशक शामिल हो गए हैं। अगर गौर से देखें, तो सत्ता बाजार के अनुकूल साहित्य को पसंद करती है, तो बाजार सत्ता के अनुकूल साहित्य को। साहित्य चाहे बाजारोनुकूल हो या सत्तानुकूल, वह अंततः मनुष्य विरोधी होगा।

ऐसे साहित्यिक वातावरण में एक नया लेखक क्या करे? क्या सारा दोष उसी को दे देना उचित है? मुख्य दोष तो पिछली पीढ़ी के साहित्यकारों का है, जिन्होंने ऐसे साहित्यिक वातावरण के निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग किया है। बेचारा नया लेखक तो इस बाजारोन्मुख और सत्तापरस्त माहौल में अपने को फिट करता है। जब वह देखता है कि हमारे बुर्जुग साहित्कार इसी 'सफल' रास्ते पर बहुत पहले से चल रहे हैं, तो वह भी बिना किसी दुविधा के उसी रास्ते पर चलने लगता है। 'महाजनो येन गतः स पंथाः'। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह इस वातावरण के खिलाफ विद्रोह न करके उसमें समायोजित होने का प्रयास करता है। सामान्य मनोविज्ञान को देखते हुए शायद यह कोई बड़ा कसूर नहीं है।

www.readwhere.com

महाराष्ट्र में किसानों का दो लाख से अधिक का कर्ज नहीं होगा माफ

मुंबई, 28 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में जिन किसानों ने अप्रैल 2015 और मार्च 2019 के बीच कृषि ऋण लिया है और कर्ज की राशि दो लाख रुपए से अधिक है, वे कर्ज माफी योजना के पात्र नहीं होंगे। शनिवार को यहां जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह जानकारी दी गई। विभिन्न किसान नेताओं और विपक्षी भाजपा ने शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह किसानों के साथ धोखा है, क्योंकि अधिकतर किसान इस शर्त की वजह से योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

भाजपा नेता व पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि उद्धव ठाकरे नीत सरकार ने किसानों को धोखा दिया। हालांकि, वित्त मंत्री व राकांपा नेता जयंत पाटील ने कहा कि सरकार दो लाख से अधिक बकाया कर्ज वाले किसानों को राहत देने के लिए योजना पर काम करेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने गत सप्ताह कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी।

जीआर में कहा गया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना के अनुसार एक अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया दो लाख रुपए तक का कर्ज और जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया न गया हो, वह माफ कर दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन किसानों का फसल कर्ज और पुनर्गठन कर्ज दो लाख रुपए से अधिक है, वे योजना के तहत किसी तरह के लाभ के पात्र नहीं हैं।

वित्त व सहयोग विभाग की एक समिति इस पर फैसला लेगी कि क्या किसानों की गैर निष्पादित संपत्तियों को कर्ज माफी योजना में राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों में शामिल किया जाए या नहीं। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत, जिला, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज को माफ करने पर विचार किया जाएगा। जो लोग गैर कृषि क्षेत्र से हुई आय, पेंशन पर कर देते हैं और जिनकी मासिक आय 25,000 रुपए से अधिक है, उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा।

किसान नेता अजित नवले ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया सरकारी प्रस्ताव कृषक समुदाय के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि अधिकांश किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका बकाया कर्ज दो लाख रुपए से अधिक का है। उन्होंने कहा कि आखिरी कर्ज माफी योजना में एक बार समझौते का प्रावधान था, जिसके तहत अगर किसान कर्ज की बकाया राशि जमा कराता है तो सरकार उसे 1.5 लाख रुपए देती। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसानों पर दो लाख रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। इसलिए अधिकतर किसान योजना की जद से बाहर हैं। हालांकि, सरकार ने कहा था कि कर्ज माफी बिना शर्त है। नवले ने मांग की कि सरकारी प्रस्ताव वापस लिया जाए।

चिदंबरम ने सीएए प्रदर्शनों पर टिप्पणी के लिए जनरल रावत पर साधा निशाना

तिरुवनंतपुरम, 28 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पर तीखा हमला बोला और उनसे अपने काम से मतलब रखने को कहा। जनरल रावत ने हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हिसक विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की आलोचना की थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम नए कानून के खिलाफ केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां राजभवन के सामने आयोजित महारैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सेना प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सरकार का समर्थन करने को कहा गया। चिदंबरम ने कहा, 'अब आर्मी जनरल को बोलने के लिए कहा जा रहा है। क्या यह आर्मी जनरल का काम है?' उन्होंने कहा, 'डीजीपी... सेना के जनरल को सरकार का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। यह शर्मनाक है। मैं जनरल रावत से अपील करता हूं... आप सेना का नेतृत्व करें और अपने काम से मतलब रखें ...नेताओं को जो करना है, वे करेंगे।'

हिंसा की ओर लौट सकता है असम : राहुल गांधी

पेज 1 का बाकी

बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस को असम व पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और पहचान पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने गुवाहाटी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवकों पर गोलीबारी को लेकर सवाल उठाया। जनसभा के बाद उन्होंने मारे गए पांच युवकों के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की।

जनसभा में राहुल गांधी ने संशोधित नागरिकता कानून का हवाला देते हुए कहा, 'मुझे डर है कि असम भाजपा की नीतियों के चलते कहीं हिंसा के रास्ते पर पर लौट न जाएं। असम कभी भी घृणा व हिंसा के साथ प्रगति नहीं कर सकता है। सभी को साथ आना होगा और भाजपा नेताओं को बताना होगा कि वे राज्य की संस्कृति, पहचान और इतिहास पर हमला नहीं कर सकते।'

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी रैली में कहा, 'हम भाजपा, आरएसएस और चड्डी वालों को असम की संस्कृति, भाषा और पहचान पर हमला नहीं करने देंगे। आरएसएस और नागपुर असम नहीं चला सकते तथा उस पर हमला नहीं कर सकते। यदि उन्होंने (भाजपा-आरएसएस) पूर्वोत्तर की भाषा और पहचान को दबाने की सोची हो तो उन्होंने अब तक आपको पहचाना नहीं है।' उन्होंने कहा, 'मुझे याद आता है कि (2016 के) विधानसभा चुनाव से पहले हर सभा में मैं कहा करता था कि यदि भाजपा ने (असम में) सरकार बनाई तो राज्य से शांति, भाईचारा और विकास गायब हो जाएंगे और हिंसा लौट आएगी। आज मैं यह कहते हुए दुखी हूं कि यह सच साबित हुआ। मुझे डर है कि भाजपा के कारण राज्य फिर हिसा के मार्ग पर लौट रहा है।'

राहुल गांधी ने कहा, 'शांति काफी जद्दोजेहद के बाद आई। असम संधि इस शांति की बुनियाद है। असम संधि की मूल भावना नहीं तोड़ी जानी चाहिए। इसने असम को शांति दी और सभी इस संधि को प्यार करते हैं।' उन्होंने कहा, 'देश में जहां कहीं भाजपा जाती है, वहां बस नफरत, हिंसा और लोगों के बीच आपसी संघर्ष फैलाती है। भाजपा लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती और उसे दबाना चाहती है।'

अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें : योगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर अफवाह फैलाने वालों में डर पैदा करने वाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

योगी ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि संशोधित नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे तत्त्वों में भय व्याप्त हो। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि वाराणसी में सीएए के संबंध में हुए विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अराजकता को फैलाने का प्रयास करने वाले अराजक तत्त्वों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। योगी ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के संबंध में प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर इसके विषय में चर्चा कर लोगों को वास्तविकता से अवगत कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए ताकि अपराधों पर अंकुश लगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस गश्त बढ़ाने, पर्यटन पुलिस सक्रिय रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, इसलिए यहां का माहौल अच्छा होना चाहिए।

मौसम के सबसे सर्द दिन में ठिठुरे दिल्लीवासी

पेज 1 का बाकी

प्रदूषक तत्व एकत्रित हो गए। कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह दस बजे तक 413 रहा। आइएमडी में वरिष्ठ मौसम विज्ञानी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में रविवार तक शीतलहर चलने और अत्यधिक ठंड रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 1992 से लेकर अब तक सफदरजंग वेधशाला में 30 दिसंबर 2013 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस और 11 दिसंबर 1996 को 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1930 में 27 दिसंबर को शून्य डिग्री तापमान दर्ज किया गया था जो कि रेकॉर्ड है। हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच से सात डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हिसार दोनों राज्यों में सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग ने नए साल की पूर्व संध्या पर कश्मीर व हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है। कई स्थानों पर ओले के साथ बारिश के आसार हैं। इसके बाद कोहरा और घना हो सकता है। मौसम का सड़क, रेल व हवाई यातायात पर व्यापक असर पड़ा है। राजस्थान में कई स्थानों पर पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है आने वाले कुछ दिनों में भी इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

राजस्थान में शुक्रवार रात को फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं सीकर में यह शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे और माउंट आबू में शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस से कम है। बीती रात अलवर में यह 0.2 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 0.6 डिग्री सेल्सियस, चुरू में 1.1 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 2.1 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 2.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 2.0 डिग्री सेल्सियस और डबोक में 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों, विदर्भ और झारखंड व दिल्ली के कई इलाकों में में शीतलहर की स्थिति बहुत गंभीर है। छत्तीसगढ़, उत्तर गुजरात और ओड़ीशा में उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, नगालैंड में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुफरी, मनाली, सोलन, भुंतर, सुंदरनगर, सेवबाग और काल्पा में शनिवार को पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से दो जनवरी के बीच राज्य के मध्य व ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। शिमला में न्यूनतम तापमान चार डिग्री और डलहौजी में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में कई झीलें व झरने जम गए हैं।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख के लेह और द्रास में न्यूनतम तापमान क्रम से शून्य से 19.1 डिग्री और शून्य से 28.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका केलांग दर्ज किया गया जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

जम्मू-कश्मीर : विलय दिवस के दिन अब होगी छुट्टी

जम्मू, 28 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अगले साल के लिए घोषित सरकारी अवकाश की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की जयंती और शहीद दिवस को हटा दिया है, लेकिन 26 अक्तूबर जिसे 'विलय दिवस' के तौर पर मनाया जाता, उसे इस सूची में जगह दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव जीएल शर्मा की ओर से शुक्रवार देर रात जारी सूची के मुताबिक 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 27 सरकारी छुट्टियां मनाई जाएंगी, जो 2019 की तुलना में एक कम हैं। इस साल 28 सरकारी छुट्टियां घोषित की गई थीं। एक आदेश में बताया गया कि दो सरकारी छुट्टियों- 13 जुलाई को मनाया जाने वाला शहीद दिवस और पांच दिसंबर को मनाई जाने वाली शेख अब्दुल्ला की जयंती को 2020 के लिए जारी छुट्टियों की सूची में से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, इन छुट्टियों की सूची में 26 अक्तूबर को मनाए जाने वाले विलय दिवस को अगले साल की छुट्टी के तौर पर शामिल किया गया है। इनके अलावा 46 और छुट्टियां हैं, जिनमें कश्मीर क्षेत्र की चार, जम्मू की तीन प्रांतीय छुट्टियां, आठ स्थानीय छुट्टियां और चार ऐच्छिक अवकाश हैं। 2019 में ऐसी 47 छुट्टियां थीं। तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को विलय की संधि (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन) पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर एक दिन बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे।

संगठित थी यूपी में हुई हिंसा : रिपोर्ट

पेज 1 का बाकी

इलाकों में भीड़ भड़काने, आगजनी, गोलीबारी और विस्फोट करने में सिमी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की साजिश रही। यूपी पुलिस ने पीएफआइ की भूमिका को लेकर अलग से विस्तृत जांच शुरू की है। खुफिया आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में पीएफआइ की बड़ी भूमिका थी।

हिंसा के कई मामलों में पीएफआइ नेताओं के खिलाफ सबूत पाए गए हैं। अब तक पीएफआइ के लगभग 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें पीएफआइ की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआइ) का प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन भी शामिल है। लखनऊ पुलिस ने पीएफआइ के प्रदेश संयोजक वसीम अहमद समेत अन्य पदाधिकारियों को शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

हिंसा के दौरान यूपी में 22 लोगों की मौत हो गई चुकी है और लगभग 400 लोग घायल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, जहां आगजनी, गोलीबारी और सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) प्रशांत कुमार के मुताबिक, कई मामलों में पीएफआइ नेताओं के खिलाफ सबूत पाए गए हैं। नूर हसन समेत 20 लोग पकड़े गए हैं। हिंसा का मुख्य केंद्र मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर रहे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दंगों जैसे हालात बनाने में पीएफआइ की भूमिका की जांच हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलिम बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने वाले दंगाइयों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। बिजनौर, संभल और रामपुर बुरी तरह प्रभावित हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा की घटनाएं, खासतौर से सरकारी संपत्ति को आग लगाने की घटनाएं संगठित थीं। यह तथ्य चौंकाने वाला है कि जहां प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, वे स्थान अपेक्षाकृत शांत थे। जबकि जिन स्थानों पर प्रदर्शनकारी बहुत कम संख्या में थे, वहां हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। मसलन रामपुर के ईदगाह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। जबकि, हाथीखाना में सिर्फ कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पुलिस पर गोलीबारी की और देशी बम फेंके।

रामपुर संभल से लगा हुआ है, जिसकी सीमा अलीगढ़ से लगती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएफआइ की गतिविधियों का नया गढ़ अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बन गया है। राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) यह पता कर रही है कि क्या कानपुर के दंगाइयों का लखनऊ के दंगाइयों से संपर्क था। इस सिलसिले में पीएफआइ के प्रदेश संयोजक वसीम अहमद समेत अन्य से पूछताछ की जा रही है।

'पुलिस ने गला दबाया, धक्का देकर गिराया'

पेज 1 का बाकी

के टू-व्हीलर से निकली। उसे भी गिरा दिया गया।' लखनऊ में प्रियंका ने कहा कि वह नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए सेवानिवृत्त आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से निकली थीं। रास्ते में लोहिया चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रियंका ने कहा कि दारापुरी 77 साल के पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। महज इस कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी बीवी बहुत बीमार हैं। यह सब किसलिए?

कांग्रेस महासचिव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, 'मगर मेरा निश्चय अटल है। मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस दमन का शिकार हुए हरेक नागरिक के साथ खड़ी हूं। मेरा सत्याग्रह है। भाजपा सरकार कायरों वाली हरकत कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं और मैं प्रदेश में कहां जाऊंगी ये भाजपा सरकार नहीं तय करेगी।' कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मुताबिक, पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी ने लोहिया चौराहे पर प्रियंका के वाहन के आगे अपनी गाड़ी लगा दी तो वह पैदल ही चल पड़ीं। करीब एक किलोमीटर दूर पुल पार करने के बाद प्रियंका फिर गाड़ी पर बैठीं। आगे मुंशी पुलिया इलाके में पुलिस ने उन्हें फिर रोका तो वह दोबारा पैदल चलने लगीं और इंदिरा नगर के सेक्टर 18 में अचानक एक गली में मुड़ गईं। इसके बाद कुछ देर तक तो पता ही नहीं चला कि प्रियंका कहां गईं। बाद में मालूम हुआ कि वह दारापुरी के घर पहुंच गईं हैं। इस दौरान उन्होंने करीब तीन किलोमीटर पैदल सफर किया।

इससे पहले मेरठ में यूपी पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को जिले की सीमा से लौटा दिया था। प्रदर्शन के दौरान मेरठ में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात के लिए जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पाटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मंगलवार को पुलिस ने रोक लिया। दोनों नेता एक ही कार में सवार थे।

इससे पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए शनिवार को कहा कि आज देश में वे ही शक्तियां सत्ता पर काबिज हैं, जिनसे हम आजादी के वक्त लड़े थे। उन्होंने कहा कि आज देश संकट में है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के खिलाफ कानून बनाती है और फिर विरोध करने वालों का दमन करती है। उन्होंने कहा कि अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कायर साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्षी पार्टियां ज्यादा कुछ कह नहीं रही हैं। वह डर रही हैं या क्या बात है, यह मैं नहीं जानती। मगर हम डरने वाले नहीं हैं।

नेकनीयती से किए फैसलों का करेंगे बचाव

पेज 1 का बाकी

को सामान्य तौर पर तीन-सी के नाम से जाना जाता है। वित्तमंत्री ने कहा कि अतः हमने इस बारे में कुछ निर्णय लिए हैं और प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करने के लिए बैठक में सीबीआइ निदेशक की उपस्थिति में बैंकों के साथ कुछ चर्चाएं की। सीबीआइ निदेशक ने कुछ भ्रमों तथा आपत्तियों को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों के मन की आपत्तियों तथा भ्रमों को दूर करने के लिए सीबीआइ बातचीत करेगी तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व सतर्कता निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि बैंक अधिकारियों के मन में व्याप्त भय को दूर किया जा सके।

सीतारमण ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राजस्व विभाग शीघ्र ही रुपे और यूपीआइ को डिजिटल लेन-देन के तहत बिना एमडीआर शुल्क वाले माध्यम के तौर पर अधिसूचित करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक के कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा मुहैया कराने को कहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचित माध्यमों के जरिए भुगतान पर एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाएगा। एमडीआर वह लागत है जो कि कोई कारोबारी उसके ग्राहक द्वारा डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान को स्वीकार करने वास्ते बैंक को देता है। यह राशि लेनदेन राशि के फीसद के रूप में होती है। सरकार के इस कदम से स्वदेश में विकसित डिजिटल भुगतान माध्यमों रुपे और यूपीआइ को विदेशी कंपनियों के भुगतान गेटवे पर बढ़त मिलेगी।

मेरठ के एसपी की विवादास्पद टिप्पणी, गरमाई सियासत

पेज 1 का बाकी

में 'पाकिस्तान जिदाबाद' के नारे लगा रहा था। उन्होंने कहा, 'प्रतिक्रियास्वरूप, मैंने यह सलाह दी कि यह बेहतर होगा कि वहां चले जाएं जहां के समर्थन में वे नारे लगा रहे थे।' वीडियो एक मिनट 43 सेकंड का है, जिसमें पुलिस अधिकारी कथित रूप से कह रहे हैं, 'ये जो काली और पीली पट्टी बांधे हुए हैं इनको कह दो कि पाकिस्तान चले जाओ...खाओगे यहां का, गाओगे कहीं और का।' उन्होंने कहा, 'ये गली मुझे याद हो गई है, याद रखना। और जब मुझे याद हो जाता है तो नानी तक पहुंच जाता हूं।'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान किसी भी नागरिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, 'भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।'

प्रियंका ने कहा,'भाजपा ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कद्र ही नहीं है।' वहीं, मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी एसपी का बचाव करते हुए कहा है कि वायरल हुआ वीडियो बीते 20 दिसंबर को मेरठ शहर में हुए उपद्रव के बाद का है। उन्होंने बताया कि इसमें तथ्य यह है कि वहां भारत विरोधी एवं पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के आपतिजनक पर्चे बांट रहे थे। इस सूचना पर एसपी सिटी एवं एडीएम सिटी मौके पर गए थे। उन्होंने उपद्रवियों से कहा था कि आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी जाएं, लेकिन यहां उपद्रव न करें।

बापू की स्मृतियों को समर्पित होगा अगले साल का राज्यसभा कैलेंडर

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को समर्पित राज्यसभा का आगामी वर्ष का कैलेंडर पूरे साल बापू की प्रेरणाओं से प्रेरित करेगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को 2020 के राज्यसभा के कैलेंडर का लोकार्पण किया। नायडू ने ट्वीट किया, 'राज्यसभा का कैलेंडर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है जिसमें राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन के विभिन्न आयामों और विचारों को सचित्र उद्धृत किया गया है।' उपराष्ट्रपति कार्यालय ने भी कैलेंडर की तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट किया, 'आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्ष 2020 के राज्यसभा के कैलेंडर का लोकार्पण किया गया।'

नायडू ने कहा, 'महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दर्शन ने उन्हें दुनिया के महान नेताओं की कतार में विशिष्ट स्थान दिलाया।'

इतिहास कांग्रेस में आरिफ को करना पड़ा विरोध का सामना

पेज 1 का बाकी

पिछले वक्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देकर संविधान की रक्षा के अपने दायित्व को पूरा कर रहे थे। राज्यपाल के कार्यालय ने कहा, 'वह तो केवल पिछले वक्ताओं के द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देकर संविधान की रक्षा के अपने दायित्व को पूरा कर रहे थे। लेकिन दूसरे मत के प्रति असहिष्णुता के कारण मंच और श्रोताओं द्वारा भाषण को बाधित करने की कोशिश अलोकतांत्रिक है।' राज्यपाल ने इतिहासकार पर अपने एडीसी और सुरक्षा अधिकारी को धक्का देने का भी आरोप लगाया।

राज्यपाल ने कहा कि हबीब ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कुछ मुद्दे उठाए थे। लेकिन जब मैंने उन मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाही तो वह मंच पर ही अपनी सीट से उठे और शारीरिक तौर पर मुझे रोकने की कोशिश की। यह वीडियो में पूरी तरह से साफ दिख रहा है। खान ने जब संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के बारे में बोलना शुरू किया तब प्रेक्षागृह में आगे की पंक्ति में बैठे कुछ प्रतिनिधियों ने उनका विरोध किया। इस पर खान ने कहा, 'आपको विरोध का पूरा अधिकार है। लेकिन आप मुझे चुप नहीं करा सकते।' उन्होंने यह भी कहा, 'जब आप चर्चा और विमर्श के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, तब आप हिसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं।' कांग्रेस में दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए कुछ छात्रों ने तख्तियां लेकर नारे लगाए, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। खान का भाषण समाप्त होने के बाद कुछ प्रतिनिधियों ने 'केरल के राज्यपाल शर्म करो' के नारे भी लगाए।

कार्यक्रम के लिए राज्यपाल के पहुंचते ही कन्नूर में उन्हें काले झंडे दिखाने वाले केरल कांग्रेस स्टूडेंट्स यूनियन और यूथ कांग्रेस के 12 समर्थकों और मुस्लिम स्टूडेंट्स फ्रंट के पांच कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस का हल्ला बोल, देशभर में रैलियां और प्रदर्शन

पेज 1 का बाकी

मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचा और इसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।

मुंबई में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने अगस्त क्रांति मैदान से लेकर गिरगांव चौपाटी के पास लोकमान्य तिलक की प्रतिमा तक मार्च निकाला। कांग्रेस के महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य इकाई के अन्य नेताओं ने मार्च में भाग लिया। ईटानगर में कांग्रेस नेताओं ने अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. बीडी मिश्रा को एक ज्ञापन सौंप कर सीएए को तत्काल रद्द करने की मांग की।

दिल्ली में इसका आगाज करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि यह नोटबन्दी से बड़ा झटका होगा जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पार्टी के 135वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद गांधी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि ये (एनआरसी और एनपीआर) नोटबंदी नंबर दो है। इससे हिंदुस्तान के गरीबों को बहुत नुकसान होने जा रहा है।

मुकाबला खत्म लेकिन कड़वाहट नहीं

पेज 1 का बाकी

आपको रोक रहा है? लेकिन इससे पहले ज्यादा बोलो मत। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको करारा जवाब दूंगी। इसे मेरे लिए 'मीडिया ट्रायल' क्यों बना दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या मैंने घोषणा की थी? यह किसकी गलती थी, क्या यह मेरी गलती थी? मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी, मुझे यह बताया गया और मैं हैरान थी क्योंकि मानसिक रूप से मैं उस समय ट्रायल के लिए तैयार थी। मैरी कॉम ने कहा कि जब ट्रायल की घोषणा हो गई तो क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं नहीं आऊंगी? तो मेरा नाम बार बार क्यों लिया गया?

वहीं जरीन ने कहा कि वे इस हार के बाद मजबूत वापसी करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे और मौका मिलेगा और मैं खुद को साबित करूंगी। अगर वे फरवरी ओलंपिक क्वालीफायर से क्वालीफाई नहीं करती हैं तो वे फिर से मई में होने वाले क्वालीफायर के ट्रायल के लिए खेलेंगी।

www.Teachyhere.com

खबर कोना

हांगकांग के एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी।

तालिबान के हमले में दस अफगान सैनिक मारे गए

कंधार, 28 दिसंबर (एएफपी)।

दक्षिण हेलमंद प्रांत में शनिवार को एक सैन्य अड्डे पर तालिबान के हमले में दस अफगान सैनिक मारे गए। दक्षिण अफगानिस्तान के 215 माइवांड सेना कोर के प्रवक्ता नवाब जादरान ने कहा कि अशांत सांगिन जिले में तालिबान ने सैन्य अड्डे तक एक सुरंग खोदी और फिर इसे विस्फोट कर उड़ा दिया। उन्होंने कहा, 'हमले के वक्त अड्डे पर 18 सैनिक मौजूद थे। चार सैनिक घायल हो गए और चार सैनिकों ने तालिबान हमलावरों को खदेड़ दिया।' प्रांत के प्रवक्ता उमर जवाक ने हमले की पुष्टि की और कहा कि अड्डे के अंदर शक्तिशाली विस्फोट में सैनिक मारे गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने मीडिया को भेजे गए बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उत्तरी प्रांत बल्ख में एक सैन्य अड्डे पर तालिबान के हमले में मंगलवार को सात अफगान सैनिक मारे गए थे।

पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पोलियो के दो नए मामले

इस्लामाबाद, 28 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पोलियो के दो नए मामले सामने आने से इस क्षेत्र में इस साल इस रोग से प्रभावित लोगों की तादाद 115 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) ने एक बयान में दो बच्चों के मल नमूनों में पोलियो की मौजूदगी की पुष्टि की। ईओसी ने कहा, 'दो नए मामले सामने आने के साथ ही प्रांत में इस साल पोलियो के कुल मामले बढ़कर 115 हो गए हैं।' बताया जाता है कि इन बच्चों को उनके अभिभावकों के विरोध के चलते पोलियो रोधी दवा नहीं पिलायी गई थी। वर्ष 2019 में पोलियो के सर्वाधिक मामले खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। उसके बाद सिंध 19 मामलों के साथ दूसरे और बलूचिस्तान 9 मामले के साथ तीसरे एवं पंजाब 6 मामले के साथ चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान उन तीन देशों में एक है जहां पोलिया अब भी नजर आता है। अन्य दो देश अफगानिस्तन और नाईजीरिया हैं।

सोमालिया : ट्रक बम विस्फोट में 76 की मौत

मारे गए लोगों में से ज्यादातर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के छात्र

मोगादिशु, 28 दिसंबर (एएफपी)।

सोमालिया की राजधानी में एक सुरक्षा जांच चौकी एवं कराधान कार्यालय पर शनिवार सुबह हुए एक ट्रक बम विस्फोट में कम से कम 76 लोग मारे गए। यह हमला हाल के वर्षों में मोगादिशु में हुए भीषणतम हमलों में से एक है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज के विस्फोट को देखकर उन्हें 2017 में हुए विस्फोट की याद आ गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।

निजी आमीन एंबुलेंस सेवा के निदेशक अब्दूकादिर अब्दीरहमान ने कहा, '76 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 70 अन्य घायल हुए हैं।' पुलिस अधिकारी इब्राहीम मोहम्मद ने विस्फोट को ''भयावह'' करार दिया। मारे गए लोगों में से ज्यादातर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के छात्र बताए जाते हैं जो अपनी कक्षाओं के लिए निकले थे।

धमाके के बाद नष्ट हुए वाहनों के साथ खड़ा एक सुरक्षा कर्मी

इब्राहीम ने कहा, 'हमने दो तुर्क नागरिकों के मरने की भी पुष्टि की है जो संभवतः सड़क निर्माण से जुड़े इंजीनियर थे। हमें अभी यह नहीं पता कि वे घटनास्थल से गुजर रहे थे या फिर इस क्षेत्र में रहते थे।'

मोगादिशु के मेयर उमर महमूद मोहम्मद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मरने वालों की सटीक संख्या का अभी पता नहीं है, लेकिन घायलों की संख्या लगभग 90 है।

कैप्टन मोहम्मद हुसैन ने बताया कि विस्फोट सुबह के समय तब हुआ जब सोमालिया में लोग सप्ताहांत के बाद अपने काम के लिए निकले। इसमें कर संग्रह केंद्र को निशाना बनाया गया।

विस्फोट के बाद राजधानी के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। घटनास्थल पर नष्ट हुए वाहन और शव बिखरे नजर आए। अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा चरमपंथी संगठन 'अल शबाब' प्रायः इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहता है। चरमपंथी समूह को कई साल पहले मोगादिशु से खदेड़ दिया गया था, लेकिन वह सुरक्षा चौकियों, होटलों और समुद्र किनारे इस तरह के बड़े हमलों को अंजाम देता रहता है। अल शबाब ने 2017 में भी मोगादिशु में एक भीषण ट्रक बम विस्फोट किया था जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे।

प्रदर्शनकारियों ने चीनी व्यवसायियों से 'हांगकांग छोड़ने' की मांग की

हांगकांग, 28 दिसंबर (एपी)।

सप्ताहांत में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को एक शॉपिंग मॉल के नजदीक मार्च निकालते हुए 'हांगकांग छोड़ो' के नारे लगाए और मांग की कि चीन के व्यवसायी यहां से चले जाएं। हांगकांग से लगती चीन की सीमा के पास श्योंग शुई में किया गया प्रदर्शन सरकार की आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने का दबाव बनाने के प्रयास का हिस्सा था। प्रस्तावित चीनी प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ जून में शुरू हुए प्रदर्शन में अब अधिक लोकतंत्र और अन्य मांगें भी शामिल हो गई है।

श्योंग शुई मॉल के पास करीब 100 प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए – 'हांगकांग छोड़ो', और 'मुख्यभूमि लौट जाओ'। सादे कपड़े में पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और उन्हें हथकड़ियां पहनाईं। एक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों और संवाददाताओं पर मिर्च का स्प्रे किया। कुछ दुकानदारों की मॉल के पास पुलिस से झड़प भी हुई।

प्रस्तावित कानून को वापस ले लिया गया लेकिन प्रदर्शनकारी क्षेत्र के नेता कैरी लाम का इस्तीफा एवं अन्य बदलाव चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि बेजिंग और लाम की सरकार हांगकांग से किए गए स्वायत्ता और पश्चिमी देशों की तरह नागरिक स्वतंत्रता के वादे को समाप्त कर रही है। 1997 में ब्रिटेन का पूर्व उपनिवेश हांगकांग जब चीन को सौंपा गया तो उससे स्वायत्ता और पश्चिमी देशों की तरह नागरिक स्वतंत्रता देने के वादे किए गए थे।

श्योंग शुई मॉल में शनिवार को कुछ व्यवसायियों ने छोटे दुकानों के चारों तरफ या दुकानों में आधे बंद सुरक्षा दरवाजों में नारंगी रंग के टेप लपेटे लेकिन अधिकतर व्यवसाय सामान्य रूप से चलते रहे। पुलिस के मुताबिक सोमवार से गुरुवार के बीच कुल 336 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 12 वर्ष तक के बालक भी शामिल हैं। इसके साथ ही छह महीने में गिरफ्तार किए गए कुल प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब सात हजार हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या समुदाय के मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र, 28 दिसंबर (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर म्यामां के रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की मनमानी गिरफ्तारी, प्रताड़ना, बलात्कार और हिरासत में होने वाले मौत समेत अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों की कड़ी निंदा की। इस 193 सदस्यों वाले वैश्विक निकाय में 134 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया जबकि नौ ने इसे स्वीकृति नहीं दी।

मौत की सजा के खिलाफ मुशर्रफ की याचिका वापस

इस्लामाबाद, 28 दिसंबर (भाषा)।

लाहौर हाई कोर्ट ने पाक के पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ के उस आवेदन को लौटा दिया है जिसमें उन्होंने देशद्रोह के मामले में एक विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी।

लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शीतकालीन अवकाश के चलते पूर्ण पीठ की उपलब्धता न होने का हवाला देते हुए याचिका को लौटा दिया। वकील अजहर सिद्दीक के जरिए शुक्रवार को दायर इस याचिका में पाकिस्तान की संघीय सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था। डॉन के अनुसार अदालत के रजिस्ट्रार ने याचिका को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि शीतकालीन अवकाश की वजह से पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय पीठ मुशर्रफ के मुख्य आवेदन पर नौ जनवरी को सुनवाई करेगी।

मंगल पर उतरने वाला रोवर खोजेगा प्राचीन जीवन के निशान

पासाडेना, 28 दिसंबर (एएफपी)।

अगले साल मंगल ग्रह पर जाने वाला रोवर न सिर्फ प्राचीन जीवन के सुराग खोजेगा, बल्कि भावी मानव मिशनों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। नासा वैज्ञानिकों ने रोवर का अनावरण करते हुए शुक्रवार को यह बात कही।

इस रोवर को लॉस एंजिलिस के पास पासाडेना में जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी के विशाल कक्ष में तैयार किया गया, जहां इसके चालक उपकरण का पिछले हफ्ते सफल परीक्षण किया गया था। यह रोवर फ्लोरिडा के केप केनावरल से जुलाई 2020 से पृथ्वी से रवाना होगा। इसी के साथ यह मंगल ग्रह पर उतरने वाला पांचवा अमेरिकी रोवर बन जाएगा। मिशन के उपप्रमुख मैट वैलेस ने कहा, 'इसे जीवन के चिह्नों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है।

हवाई हेलिकॉप्टर दुर्घटना में लापता छह लोगों के शव मिले

होनोलूलू, 28 दिसंबर (एपी)।

अमेरिका के हवाई राज्य में जा रहे एक हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता हुए छह लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को किसी के भी जीवित बचने के संकेत नहीं मिले थे। तटरक्षक बल ने बताया कि कवई के ना पाली तट से छह यात्रियों और एक पायलट समेत रवाना हुए हेलिकॉप्टर के गुरुवार शाम लापता हो जाने की सूचना मिलने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई।

बल ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार दो यात्री नाबालिग थे। एजंसी ने बताया कि कम दृश्यता, ढलानों, तेज प्रवाह और बारिश के चलते तलाश में मुश्किल आ रही थी। अधिकारियों ने बताया कि हेलिकॉप्टर कंपनी सफारी हेलिकॉप्टर्स ने गुरुवार को शाम छह बजे तटरक्षक से संपर्क किया और बताया कि हेलिकॉप्टर को 30 मिनट पहले पहुंचना था लेकिन वह अब तक पहुंचा नहीं है।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 cr.pc
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Cnr no. PBLD03-053672-2018
Peshi: 29-01-2020
M/s Indogulf Crop Sciences
V/s
Sahabuddin
Notice To: Sahabuddin, Prop. M/s Tarik Trader, Village Majerhat, Dist 24, Parganas South-700135 West Bengal
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 29-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 of pc
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Cnr no. PBLD03-053672-2018
Peshi: 29-01-2020
M/s Indogulf Crop Sciences
V/s
Sahabuddin
Notice To: Sahabuddin, Prop. M/s Tarik Trader, Village Majerhat, Dist 24, Parganas South-700135 West Bengal
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 29-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 of pc
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Cnr no. PBLD03-017295-2018
Peshi: 29-01-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Tabhu Behera
Notice To: Tubhu Behera Address- Vill Ward Nuagan, Gp Town Nuagan Ps Balimi Dist Dhenkanal Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of this publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case Will be heard and determined as per law, on your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other
Case information is available on
http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-017313-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Chandra Shekhar Swain
Publication Issued To: Chandra Shekhar Swain Address- R/o At Kaindi P.o. Jilundi Bhanj, Ps hanuman Temple, Bhanjanagar, Ganjam Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other
Case information is available on
http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-017530-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Baby Parween
Publication Issued To: Baby Parween Address- R/o Dengthadi Sundargarh Town, Sundargarh, Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case Will be heard and determined as per law, on your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
District And Sessions Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurbir Singh District and sessions judge ludhiana
Publication Notice Under Order 5 Rule 20 CPC
CIS REGD. NO. CRR/444/2019
CNR NO. PBLD01-016389-2019
PESHI : 29-01-2020
M/S HERO ECOTECH
V/S
VINAY SINGH
Publication Issued To: Vinay Singh, Proprietor Of M/s Om Enterprises, Shop No .5, 6AR Market ,part-1, Beta-1, Near ICICI Bank Atm, Greater Noida (GB Nagar) Uttar Pardesh -201310
Whereas it has proved to the satisfaction of the court that the respondent : vinay Singh, Proprietor Of M/s Om Enterprises, Shop No.5,6AR Market, part-1, Beta-1, Near ICICI Bank Atm, Greater Noida (GB Nagar) Uttar Pardesh -201310 Cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 rule 20CPC is hereby issued against him and should appear personally or through their counsel on 29-01-2020 at 10.00a.m. Take notice that, in default of his appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his absence. Given under my hand and the seal of this court for details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
Gurbir singh
District & Sessions judge, ludhiana

INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD.
Registered Office :- One Indiabulls Centre, 20th Floor, Tower 2A, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Mumbai-400013, India.
Auction Place/Branch Office At : M-5A, 4th Floor, Mythri House Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001, India.
शुद्धिपत्र
सेवा में,
रुद्रांश गुप्ता
मधु गुप्ता
कृष्णमुरारी गुप्ता
द विलेज शॉप
मैसर्स क्यूरियोसिटी
कृपया दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु हमारे विज्ञापन नीलामी-सह-बिक्री सूचना का सन्दर्भ लें जिसके बिन्दु सं. 19 में कर्जदारों/बंधककर्ता(ओ) को 30 दिन की प्रकाशन सूचना गलत प्रकाशित हो गयी है। इसे कर्जदारों/बंधककर्ता(ओ) हेतु 15 दिन की प्रकाशन सूचना के रूप में पढ़ा जाये।
ह./-
दिनांक : 29.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
मामले में
ओ.ए. नं. 314/2019 डीआरटी-III
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम एनएलडी के टिम्बर्स प्रा.लि. एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादीगण
सेवा में,
डी-1. एनडीएल के टिम्बर्स प्रा.लि., कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी, पंजीकृत कार्यालयः सी-5/42, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली-110016, साथ ही: कॉर्पोरेट कार्यालयः एफ-230, लाडो सराय, नई दिल्ली-110030
डी-2. श्री संजीव पसरीचा, पुत्र श्री डी.के. पसरीचा, निवासीः सी-5/42, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली-110016
डी-3. श्री जीतन पसरीचा, पुत्र श्री डी.के. पसरीचा, निवासीः सी-5/42, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली-110016
डी-4. श्री अभिनव पसरीचा, निवासीः सी-5/42, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली-110016
जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 27.2.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 4 दिसम्बर, 2019 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN:L65190MH2004GOI148838
91/5, सुनील मोटर्स के सामने, मालवीय रोड, गांधीनगर बस्ती 272001
[नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.10.2019 जारी कर ऋणधारक मै. अग्रहरी एण्टरप्राईजेज को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 25,29,045.00 (रुपये पच्चीस लाख उन्नतीस हजार पैंतालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 25,00,000.00 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आईडीबीआई बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती वन्दना अग्रसरि, पत्नी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के नाम में वार्ड नं. 5, मोहल्लाः पिकौरा बक्स, परगणा-बस्ती ईस्ट, तहसील एवं जिलाः बस्ती, पंजीकरण जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में स्थित एच.नं.: 1273ए, 479 वर्ग फीट अथवा उसके लगभग में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः
उत्तरः समीउल्ला का टिन्ड हाउस
दक्षिणः सत्य प्रकाश, विक्रेता के सगे भाई का मकान, दोनों बिक्री प्रलेख के
पूर्वः सोहन श्री राम कहार का मकान
पश्चिमः मालवीय रोड बस्ती
उसके साथ उस पर सभी भवन तथा संरचना तथा वहाँ से स्थाई रूप से जुड़ी अथवा मिट्टी से संबंधित सभी प्लान्ट एवं मशीनरी
तिथिः 23.12.2019, स्थानः बस्ती ह./- प्राधिकारी अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ड्रीमलैण्ड रीअल्टर प्राईवेट लिमिटेउ (परिसमापन में)
परिसमापक का पताः 202 वर्धमान प्रीमियम मॉल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
सम्पर्कः 9310278000 एवं 9810378000, ई-मेल आईडीः liquidator.dlrpl@gmail.com
शुद्धिपत्र
ड्रीमलैण्ड रीअल्टर प्राईवेट लिमिटेउ (परिसमापन में) की समाप्ति की ई-नीलामी के लिये 3.12.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में हम सूचित करना चाहते हैं कि ई-नीलामी की तिथिः 31.12.2019 (मंगलवार)(1 बजे अप. से 2 बजे अप.) से बढ़ाकर 31.01.2020 (शुक्रवार)(1.00 बजे अप. से 2 बजे अप. तक) कर दी गई है। तदनुसार, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 29.01.2020 (5 बजे अप. से पूर्व.) होगी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 28.01.2020 होगी। अन्य विवरण पूर्ववत रहेंगे।
हस्ता.
राकेश भाटिया
मै. ड्रीमलैण्ड रीअल्टर प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
के परिसमापक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28.12.2019 आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608
d l d 9 4hRLY(16)

पी. के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेउ (परिसमापन में)
परिसमापक का पताः 202 वर्धमान प्रीमियम मॉल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
सम्पर्कः 9310278000 एवं 9810378000, ई-मेल आईडीः liquidator.pksalescompany@gmail.com
शुद्धिपत्र
पी. के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेउ (परिसमापन में) की समाप्ति की ई-नीलामी के लिये 03.12.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में हम सूचित करना चाहते हैं कि ई-नीलामी की तिथिः 31.12.2019 (मंगलवार) से बढ़ाकर 31.01.2020 (शुक्रवार)(12.00 बजे अप. से 1 बजे अप. तक) कर दी गई है। तदनुसार, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 29.01.2020 (5 बजे अप. से पूर्व.) होगी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 28.01.2020 होगी। अन्य विवरण पूर्ववत रहेंगे।
हस्ता.
राकेश भाटिया
मै. पी. के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
के परिसमापक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28.12.2019 आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608
k ll 9 4hRLY(18)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 23, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषत ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)नाग नोटिस की तिथि,नाग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	बागपत रोड, मेरठ	मैसर्स श्वेता साई इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड खाता सं0 2533008700004114	सतेंद्र कुमार पुत्र स्व0 श्री महावीर सिंह 1. श्वेता साई भवन शिव राम पुरम, रोहटा रोड मेरठ 2. 123-बी गली न 8-बी सैनिक विहार फाजलपुर मेरठ	दो मंजिली भवन सहखाने के साथ स्थित एमपीएल सं0 552/25-63-बी, श्वेता साई भवन, शिव राम पुरम, आबादी नंबर 72 का हिस्सा, ग्राम औरंगशाहपुर परगना/तह, रोहटा रोड, मेरठ। क्षेत्रफल 255.67 वर्ग मीटर	05.10.2019 रु. 68,72,811.77/- दिनांक 01.10.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	23.12.2019	श्री अजित श्रीवास्तव
2.	पांडव नगर, मेरठ	श्रीमती अंजलि पत्नि श्री अनुज कुमार और श्री अनुज कुमार पुत्र श्री जगदेव सिंह खाता सं0 675700NC00000097 &87570099000000054	श्रीमती अंजलि पत्नी श्री अनुज कुमार और श्री अनुज कुमार पुत्र श्री जगदेव सिंह 1. ए -8, खसरा नंबर 609 का हिस्सा, मधुर विहार कॉलोनी, पल्लवपुरम फेज -1 के पास, रुड़की रोड मेरठ उ.प्र। 250.110 2. बी -9/1, पल्लवपुरम फेज -1, मोदीपुरम, रुड़की रोड, मेरठ उ.प्र 250110	एक आवासीय प्लॉट / मकान न ए -8, क्षेत्रफल 105.00 वर्ग मीटर, 125.58 वर्ग गज के बराबर स्थित खसरा नंबर 609 का भाग, मधुर विहार कॉलोनी, सज्जा ग्राम मुकर्रबपुर पल्लेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, और जिला मेरठ, उ.प्र। संपत्ति श्री अनुज कुमार पुत्र श्री जगदेव सिंह और श्रीमती अंजलि पत्नि श्री अनुज कुमार के नाम।	28.08.2019 रु. 32,35,828.20/- दिनांक 01.08.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	23.12.2019	श्री अविनाश कुमार

दिनांकः- 27.12.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स एफफेरेंट रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स एफफेरेंट रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	31.08.2015
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, (दिल्ली) कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102DL2015PTC284672
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	हाउस न. 2/56ए, तीसरी मंजिल, लैंडमार्क सच्चदेवा फगीर भंडार के पास मोती नगर, नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली-110010
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	20.12.2019, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तिथि (27.12.2019 को आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्त)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	17.06.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	गौरव कटियार IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	डी-32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ईमेल: cagauravkatiyar@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, कारबार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	डी-32, ईस

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा कार्यालयः सेक्टर-15, फरीदाबाद (डी-111100), हरियाणा, फोनः 0129-4287500-515, ईमेलः bo1111@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सेक्टर-15, फरीदाबाद (डी-111100) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों) को उक्त सूचना की तिथि/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सेक्टर-15, फरीदाबाद (डी-111100) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों) का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकों: 1) श्री राकेश शर्मा 2) श्री मनीश शर्मा गारन्टरों: 1) श्रीमती सन्ध्या शर्मा पत्नी श्री मनीश शर्मा 2) श्रीमती अर्चणा शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा सभी का सामूहिक पताः मकान सं. 1155, सेक-14, फरीदाबाद-121007	राकेश शर्मा एवं मनीश शर्मा के नाम में बिक्री प्रलेख सं. 12718, तिथि 6.1.1997 के माध्यम से प्लॉट नं. 1155, सेक्टर-14, फरीदाबाद, माप 574.54 वर्ग यार्ड्स में भूमि एवं भवन। चौहद्दीः इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट नं. 1154, दक्षिणः प्लॉट नं. 1156, पूर्वः ग्रीन बेल्ट, पश्चिमः प्लॉट रोड	30.9.2019 को रु. 65,68,260.67 (रुपये पैंसठ लाख अड़सठ हजार दो सौ साठ तथा पैसे सड़सठ मात्र) के साथ 1.9.2019 से सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज, लागत आदि।	5.10.2019 कब्जा की तिथि 23.12.2019

तिथिः 29.12.2019, स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

मामले में

ओ.ए. नं. 94/2019

इलाहाबाद बैंक बनाम श्री संदीप शुक्ला एवं अन्य

आवेदक प्रतिवादीगण

सेवा में,

डी-1. संदीप शुक्ला, पुत्र लाल बहादुर शुक्ला, 28, मेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली-26

डी-2. टिनी, पत्नी संदीप शुक्ला, 28, मेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली-26

डी-3. श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री राम गोपाल, बी-185, ब्लॉक-बी, कात्यानी विहार, बेगमपुर, नई दिल्ली-86

डी-4. दीपक गोयल, पुत्र स्व. जगदीश चन्दर एच-32/103, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 4.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 23 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से

सहायक रजिस्ट्रार,

डीआरटी-III, नई दिल्ली

एक ही राष्ट्रीयकृत की इकाई

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखा : 5/1, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली -110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रु. में)
उधारकर्ता मैसर्स के. एम. एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर: श्री नीरज गोयल गारंटर्स: 1. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल 2. श्री राज कुमार गोयल 3. श्री सुरेंद्र बंसल 4. श्रीमती रितु बंसल	सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल और श्री राज कुमार गोयल सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति 25बी श्याम एन्कलेव कॉलोनी, गाँव पसौंदा, लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 296.81 वर्ग मी. (लगभग)	03-09-2019 / 24-12-2019	रु. 1,33,82,252.63 दिनांक 31.08.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि

दिनांक 24.12.2019, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank

असालतपुर शाखा, फारुख नगर, गाजियाबाद, यू.पी. फोन: 0120-2682223, ईमेल : trdasa@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) परिशिष्ट IV, नियम-8(1)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **श्री शरीफुद्दीन और श्री इसरार अली को मांग सूचना दिनांक 18.10.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 4,61,203.33 (रु. चार लाख इकसठ हजार दो सौ तीन और पैसे तैतीस मात्र) दिनांक 14.10.2019 तक और साथ में संविदात्मक दर पर चुकौती की तिथि तक ब्याज, लागत एवं आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **24.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 4,61,203.33 (रु. चार लाख इकसठ हजार दो सौ तीन और पैसे तैतीस मात्र) दिनांक 14.10.2019 तक और साथ में संविदात्मक दर पर चुकौती की तिथि तक ब्याज, लागत एवं आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति क्षेत्रफल 262.40 वर्ग गज, खसरा नं. 671, असालतपुर, फारूक नगर, गाजियाबाद में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – श्री सागा की सम्पत्ति, पश्चिम में – श्री अब्बास की सम्पत्ति, उत्तर में – श्री अस्गर की सम्पत्ति, दक्षिण में – रास्ता

दिनांक : 24.12.2019, स्थान : असालतपुर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः ईसीई हाउस, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.8.2019 जारी कर ऋणधारक श्री विनय मखीजा तथा सुश्री निधि मखीजा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.7.2019 को रु. 88,50,714.05 (रुपये अठासी लाख पचास हजार सात सौ चौदह तथा पैसे पाँच मात्र) के साथ 1.8.2019 से आगे का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक उस पर लागत एवं अन्य खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज के साथ 31.7.2019 को रु. 88,50,714.05 (रुपये अठासी लाख पचास हजार सात सौ चौदह तथा पैसे पाँच मात्र) के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणधारक (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	संलग्न कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि की बकाया राशि
1	ईसीई हाउस, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	श्री विनय मखीजा तथा सुश्री निधि मखीजा	श्री विनय मखीजा तथा सुश्री निधि मखीजा	श्री विनय मखीजा तथा सुश्री निधि मखीजा के नाम में प्लॉट की भूमि के क्षेत्रफल की माप 229.90 वर्ग मी. में से प्लॉट नं. एन.के.II/122, कैटगरी 250 वर्ग मी., नीति खंड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) में जिसका सुपर एरिया क्षेत्रफल माप 136.048 वर्ग.मी. है, में छत के अधिकारों के साथ सम्पूर्ण निर्मित तीसरे तल की फ्री होल्ड आवासीय सम्पत्ति के रूप में इक्विटेबली मार्टगैज्ड सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।	7.8.2019	27.12.2019	रु. 8850714.05

तिथि: 29.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली — बीओः ईसीई हाउस, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
9807572 एवं 10493617	श्री प्रकाश फूलचंद छाबरा (ऋणधारक) एवं सुश्री युक्ति छाबरा एवं श्रीमती अंजली प्रकाश छाबरा एवं मै. कीनो आर्गेनिक्स (इंडिया) लि. एवं मै. श्री-बायो-केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	29.8.2019 को रु. 13425038	26.12.2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित ''सीअर्स टावर'' ऑमैक्स हाइट्स, प्लॉट नं. टीसी/जी-5/5 तथा टीसी/जी-2/2 में कार्यालय/यूनिट स्पेस नं. जीएफ-003, भूतल, जिसके कार्पेट क्षेत्र की माप 122.07 वर्ग मी., कवर्ड एरिया माप 140.97 वर्ग मी. है तथा फैसिलिटीज माप 27.56 वर्ग मी. में कॉमन एरिया में शेयर, इस प्रकार कुल सुपर एरिया 168.53 वर्ग मी। चौहद्दीः उत्तरः लिफ्ट एवं लॉबी एरिया, पूर्वः खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश, दक्षिणः प्रवेश/प्रवेश का पैसेज

तिथि: 29.12.2019 — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

स्थानः लखनऊ — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन सम्पत्तियों की बिक्री

ई-नीलामी बिक्री सूचना

श्रीओम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापकः श्री ब्रिजेन्द्र सिंह देसवाल, (आईपी पंजीयन नं. IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021)

ई-मेलः liquidation.shreeomwires@gmail.com, brijender@deswal.com फोनः- 9811414181

नीलामी की दिनांक व समयः गुरूवार, 30 जनवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ II, ने संहिता की धारा 33 के अधीन 11 जुलाई, 2019 (परिसमापक द्वारा आदेश प्राप्त हुआ एवं 20 जुलाई, 2019 को एनसीएलटी की वेबसाईट पर जब अपलोड किया गया जिसको परिसमापन की दिनांक के रूप में माना जाता है) को मैसर्स श्रीओम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापन आरम्भ करने का आदेश जारी किया है। यह सूचना दिनांक 11 जुलाई,2019 के आदेश के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा मैसर्स श्रीओम वायर्स प्रा. लि. (परिसमापन में) (CINU28939DL2011PTC214742) द्वारा स्वामित्व वाली आस्तियों तथा सम्पत्तियों, जो परिसमापन परिसम्पदा का हिस्सा है, की बिक्री के संबंध में है।

परिसमापक के कब्जे में नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों की ''जैसे है जहां है के आधार पर'', ''जैसे है जो है के आधार पर'', वहां जो कुछ भी है के आधार पर तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार बिक्री के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से 29 जनवरी, 2020 को सांय 5 बजे तक ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

अनुसूची

लॉट सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	बोली वृद्धि मूल्य	ई-नीलामी की तारीख एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तारीकरण के साथ)	ईएमडी जमा की अंतिम तारीख
1.	सम्पत्ति नं.-एच-1/702, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित जिसका क्षेत्रफल 929 वर्गमीटर	रू. 1,54,53,000/-	रू. 15.5 लाख	रू. 2 लाख	30 जनवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	29 जनवरी, 2020 सांय 5 बजे तक

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है-

1. अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (ऑक्शन टाईगर) के जरिये ''जैसे है जहां है, जैसे है जो है, वहां जो कुछ भी है के आधार पर'' ई-नीलामी संचालित की जाएगी।
2. सम्पत्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें सम्मिलित परिपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के दस्तावेज वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्कः श्री राम प्रसाद शर्माः 079-61200574, 61200584, 61200886, 61200594, 61200554, 6351896834 / ई-मेल आईडीः pushpit@auctiontiger.net / tilak@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net (देखने के लिए लिंक https://ncltauction.auctiontiger.net/बोलीदाताओं के विकल्पों में से एक का प्रयोग का उल्लेखित कंपनी डूबना होगा, (i) कंपनी का नाम श्रीओम वायर्स प्रा. लि. (परिसमापन में) अथवा (ii) राज्य एवं सम्पत्ति का प्रकार। नीलामी एजेंसी की वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में संलग्न नियम एवं शर्तों के आधार पर बिक्री संचालित होगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले अपने खर्च पर सम्पत्ति/आस्तियों के स्वत्वाधिकार, वकाया स्थानीय करों, विद्युत तथा जल के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, यदि कोई हो, के संबंध में स्वतंत्र जांच करवा लें तथा सम्पत्ति/आस्तियों की निरीक्षण का स्वयं को संतुष्ट कर लें। श्री ब्रिजेन्द्र सिंह देसवालः +91-9811414181 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साइट पर प्रत्याशित बोलीदाताओं द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को ''श्रीओम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड-परिसमापन में'' खाता सं. 135905001 28, आईसीआईसीआई बैंक, अरूणाचल बिल्डिंग, आराकम्भा रोड, नई दिल्ली- 110001, आईएफएससी कोड- ICIC0001359 के खाते में किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा आहरित, दिल्ली में भुगतेय डीडी/एडईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने के साक्ष्य तथा ई-नीलामी में भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र के साथ (1) पहचान पत्र के साक्ष्य, (2) वर्तमान पता का साक्ष्य, (3) पैन कार्ड, (4) वैध ई-मेल आईडी, (5) लैंड लाइन तथा मोबाईल फोन नम्बर, (6) आईबीसी की धारा 29ए के अधीन पात्रता के संबंध में हलफनामा एवं शपथपत्र (7) बोली आवेदन प्रपत्र तथा पंजीयन शुल्क, (8) बोलीदाता द्वारा घोषणा की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियां जमा करनी होगी, इनके प्रस्तुत परिपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित दस्तावेज परिसमापक के कार्यालय में अथवा ई-मेल द्वारा नीचे उल्लिखित पते पर 29 जनवरी, 2020 को सांय 5.00 बजे से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदातागण को ईएमडी जमा करने के विवरण के साथ अपने केवाईसी के दस्तावेज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को सांय 5.00 बजे से पहले https://ncltauction.auctiontiger.net पर अपलोड करना होगा।
6. ई-नीलामी में भाग लेने के लिये परिसमापक द्वारा योग्य बोलीदाताओं के नाम पोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर चिन्हित किया जायेगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाईगर) द्वारा योग्य बोलीदाताओं को ईमेल द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
7. बोली अगर ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो बंद होने का समय असीमित विस्तार के साथ 5 मिनट के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च बोली रकम (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करने वाले बोलीदाता को ई-नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने पर सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में इस संबंध में सूचना दी जाएगी, जो परिसमापक के अनुमोदन पर निर्भर होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि आंशिक बिक्री मूल्य के रूप में रखा जाएगा तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। परिसमापक सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के अंदर शेष बची हुई राशि (सफल बोली रकम-ईएमडी राशि) जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा एलओआई में उल्लिखित समय-सीमा के अंदर शेष बची हुई राशि जमा करने में विफल रहने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण रकम (ईएमडी+अन्य कोई भी रकम) जप्त कर ली जाएगी। क्रय मूल्य रू. 50 लाख से अधिक रहने पर आयकर नियमों के अनुसार सफल नीलामी क्रेता को नीलामी क्रय मूल्य पर 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा।
9. सफल बोलीदाता को नीलामी के लिए रख सम्पत्ति/आस्तियों के संबंध में लागू स्टेम्प ड्यूटी/अंतरण शुल्क, शुल्क इत्यादि तथा सभी संवैधानिक/गैर-संवैधानिक बकाया, करों, दरों, आंकलन प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का वहन करना होगा। लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति/आस्तियों पर बकाया तथा भुगतेय अन्य कोई भी संवैधानिक तथा अन्य बकाया राशि का वहन भी क्रेता को करना होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा ज्ञान में यहां ऊपर उल्लेखित अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति के संबंध में विवरण का उल्लेख किया गया है, हालांकि वे संबंधित विवरण में किसी भी तरह की त्रुटि, गलत बयानी अथवा भूल के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। निविदादाताओं/प्रस्तावकर्ताओं/प्रत्याशित बोलीदाताओं/क्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों की बिक्री ऋणधारों तथा संवैधानिक प्राधिकरणों को भुगतेय बकाया राशि (यदि कोई हो) के साथ की जाएगी तथा अपनी निविदाएं जमा करने के पहले ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों के संबंध में उपरोक्त तथा अन्य प्रासंगिक विवरण के संबंध में निजी हित में स्वयं को संतुष्ट करने का भी अनुरोध किया जाता है।
11. परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए तथा उसके संबंध में बिना कोई सूचना प्रदान कर किसी भी चरण में किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार अथवा रद्द करने/ई-नीलामी को स्थगित/रद्द करने अथवा किसी भी सम्पत्ति/आस्तियों को अथवा उसके किसी भी हिस्से को नीलामी की प्रक्रिया वापस लेने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
12. बिक्री प्रमाणपत्र/करारनामा सिर्फ सफल बोलीदाता के नाम जारी किया जाएगा तथा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
13. बिक्री दिवाला एवं अशोधन क्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के आधार पर की जाएगी।
14. ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य बोलीदाताओं को कम से कम आरक्षित मूल्य के लिए बोली लगानी होगी तथा ऊपर उल्लेखित निर्धारित सारणी में वर्णित न्यूनतम वृद्धि रकम द्वारा अपनी बोली वृद्धि कर सकते है।

हस्ताक्षर/-

वास्ते श्रीओम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

ब्रिजेन्द्र सिंह देसवाल, श्रीओम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक

आईपी पंजीयन सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021

सी-122, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली- 110060, फोनः 9811414181

ईमेलः liquidation.shreeomwires@gmail.com, brijender@deswal.com

दिनांकः 29.12.2019

स्थानः दिल्ली

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, 18/4, तृतीय और चौथा तल, एसबीआई हाऊस आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV, नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, एसबीआई हाऊस करोल बाग, आर्या समाज रोड, दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 8 और 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **1. मैसर्स साइनटेक इंजीनियरिंग वर्क्स (इसके प्रोपराइटर श्री नीरज कुमार सिसोदिया पुत्र श्री विनोद सिंह के माध्यम से) 3/44 साइट II, लोनी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद, 2. श्री नीरज कुमार सिसोदिया पुत्र श्री विनोद सिंह (प्रोपराइटर – मैसर्स साइनटेक इंजीनियरिंग वर्क्स), मकान नं. 80-बी, राज बाग कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद** को मांग नोटिस दिनांक

अनुशासन पटना में शनिवार को दानापुर छावनी में पासिंग आउट परेड में शरीक होते बिहार रेजीमेंट के जवान।

जम्मू-कश्मीर 2019 : एक साल में बदल गया बहुत कुछ

श्रीनगर, 28 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के लिए 2019 बड़े बदलावों का साल रहा। जहां कुछ चीजें पहली बार हो रही थीं तो कुछ अंतिम बार। इस साल इसका सामना तमाम ऐसे प्रतिबंधों से हुआ जो अब से पहले कभी नहीं लगाए गए थे।

इस साल, 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तब्दील हो गया। यह पहली बार हुआ जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो। यह कदम केंद्र के पांच अगस्त की घोषणा के अनुरूप उठाया गया जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की बात कही गई थी।

पूर्व में राज्य रहे जम्मू-कश्मीर ने 14 फरवरी को अब तक का सबसे बुरा आतंकवादी हमला भी देखा। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे जब जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने सौ किलो विस्फोटक लदे एक वाहन से पुलवामा में उनकी बस में टक्कर मार दी थी। इस घटना से देशभर में आक्रोश दिखा। केंद्र ने इन शहादतों का बदला लेने की प्रतिबद्धता जताई। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने इसका जवाब देने के लिए अगले दिन जम्मू-कश्मीर के भीतर हमले किए लेकिन भारतीय वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई की। मिग 21 उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी वायुसेना के कहीं उन्नत विमान एफ-16 को मार गिराया। इसी दौरान पाक सेना ने उन्हें बंधक बना लिया हालांकि दो दिन बाद उन्हें भारत को सौंप दिया गया।

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का केंद्र का कदम अभूतपूर्व था। इसका मकसद दशकों पुराने अलगाववादी आंदोलन को खत्म करना था। फैसले को लेकर किसी तरह की हिंसा न हो, खासकर कश्मीर में, केंद्र ने लोगों के आंदोलन और दूरसंचार प्रणालियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ऐतिहासिक घोषणा से पहले लेह को छोड़कर पूरे जम्मू-कश्मीर को छावनी में बदल दिया गया था। तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और अलगाववादी खेमे के सैकड़ों नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। सरकार ने राज्य में कर्फ्यू लगाया और सख्ती से इसका पालन करवाया। इंटरनेट सेवाओं समेत संचार के सभी माध्यमों पर रोक लगा दी। केबल टीवी सेवाएं बंद करने के साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करवा दिया। केंद्र के फैसले को देखते हुए पथराव की सैकड़ों घटनाएं हुईं लेकिन कर्फ्यू के सख्त क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में लोग एकत्र नहीं हो पाते थे और सुरक्षा बलों को केवल स्थानीय प्रदर्शनों से निपटना पड़ता था।

जहां केंद्र ने अपनी मंशा को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया था, राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुआई में राज्य सरकार ने बीच में ही अमरनाथ यात्रा रोक दी और सभी गैर स्थानीय लोगों, पर्यटकों व मजदूरों के लिए जल्द घाटी छोड़ने का परामर्श जारी किया।

कोटा में नवजात बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सकों की समिति गठित

जयपुर, 28 दिसंबर (भाषा)।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी अस्पतालों में नवजात बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा समुचित देखभाल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गहन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोटा के जे के लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौतों के प्रकरण में विशेषज्ञ चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। गहलोत ने शिशुओं की मौत के प्रकरण की शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की।

बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव और नवजातों की देखभाल की गहन मॉनिटरिंग एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्टेट न्यूबोर्न रिसोर्स सेन्टर को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि शिशु मृत्यु दर को और कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कोटा के जे के लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के प्रकरण की शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की।

गहलोत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोटा के लोन अस्पताल में बीते दिनों हुई बच्चों की मौतों को लेकर प्रकाशित समाचार तथ्यों से परे हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार बच्चों की मौत संक्रमण फैलने से नहीं हुई है और वास्तविकता यह है कि 23 और 24 दिसंबर को हुई 10 नवजात की मौतों में से छह को दूसरे अस्पतालों से गंभीर हालत में जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन 10 बच्चों में से पांच की उम्र एक माह से कम थी।

इसके अनुसार ये बच्चे जन्म से ही सांस नहीं ले पाने, गंभीर निमोनिया और जटिल हृदय रोगों से ग्रसित होने के कारण वेंटिलेटर पर थे और फिर भी इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया अस्पताल के अधीक्षक को पर्यवेक्षण में लापरवाही और समन्वय में कमी का दोषी मानते हुए उन्हें पद से हटाकर दूसरे वरिष्ठ चिकित्सक को अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस अस्पताल में बीते छह साल की तुलना में इस वर्ष नवजात बच्चों की मौतों की संख्या में कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार मातृ व शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए संकल्पित है और ऐसे में एक भी बच्चे की मृत्यु होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है तथा मां और बच्चा सुरक्षित रहे यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सरदेसाई को लेकर ऑनलाइन पोल पर एडिटर्स गिल्ड ने नाराजगी जताई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई के बारे में आपत्तिजनक ऑनलाइन पोल करने पर भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की शनिवार को निंदा की और उनसे इसे वापस लेने की मांग की। सत्तारूढ़ पार्टी से आग्रह किया कि वह इस मामले पर अपने पदाधिकारी को सख्ती से चेताएं।

मालवीय ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल शुरू करते हुए सवाल किया कि क्या 'राजदीप सरदेसाई को आइएसआइएस के लिए पीआर संभालना चाहिए'।

एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान में कहा कि उसने सत्तारूढ़ भाजपा के आइटी प्रकोष्ठ के प्रमुख मालवीय के निंदनीय कृत्य पर गौर किया जिसमें उन्होंने सरदेसाई के बारे में आक्रामक और बिना सबूत के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पोल किया था। इसमें कहा गया है कि ट्विटर पर पोल न सिर्फ बेतुका था बल्कि उसने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष सरदेसाई की ईमानदारी और देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। गिल्ड ने मालवीय से ट्विटर पोल तुरंत वापस लेने और भाजपा को उन्हें चेताने का आग्रह किया।

संपत्ति नुकसान की भरपाई के लिए मुसलिम समुदाय ने सौंपे 6.27 लाख रुपए

बुलंदशहर, 28 दिसंबर (भाषा)।

बुलंदशहर में मुसलिम समाज के एक वर्ग ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन को 6.27 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा है। उन्होंने अधिकारियों को शुक्रवार को डीडी सौंपते हुए पुलिस और प्रशासन से अनुरोध किया कि वे 20 दिसंबर को विरोध प्रदर्शनों के बाद समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लें। इसी दिन सीएए के विरोध को लेकर प्रदर्शनों में राज्य के कई अन्य हिस्सों में हिंसा हुई थी।

बुलंदशहर के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा, 'यह यहां के लोगों का स्वागतयोग्य कदम है, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति उन्हीं की है और इसमें उनके द्वारा दिए गए कर का धन शामिल है।'

'वर्षा' की दीवारों पर मिलीं भाजपा के समर्थन में लिखी गईं बातें

मुंबई, 28 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास 'वर्षा' के अंदर की दीवारों पर भाजपा के समर्थन में बातें लिखी हुई नजर आईं।

मालाबार हिल्स क्षेत्र का यह बंगला फिलहाल खाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पारिवारिक निवास बांद्रा के 'मातोश्री' से वहां गए नहीं हैं। स्थानीय खबरिया चैनलों पर प्रसारित खबरों में दीवारों पर 'यूटी इज मीन', 'भाजपा रॉक्स' यानी 'उद्धव ठाकरे नीच हैं', 'भाजपा शानदार है' जैसी कुछ टिप्पणियां लिखीं हैं।

YES BANK

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः यस बैंक टावर, आईएफसी-2, 15वाँ तल, सेनापति बापत मार्ग, एलफिन्स्टन (डब्ल्यू), मुम्बई-400013,
CIN: L65190MH2003PLC143249, ईमेलः communications@yesbank.in, वेबसाईटः www.yesbank.in

अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/मार्टगैजरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ मांग सूचना की तिथि से लागू आगे के ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस सम्पूर्ण राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित शेष बकाया राशि तथा उस पर ब्याज एवं लागत के लिये यस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

गिरवी सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं.	ऋणधारक, मार्टगैजर एवं सह-ऋणधारक का नाम एवं पता	गिरवी सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया देयता (रु.)	मांग सूचना तिथि / कब्जा की तिथि
1.	1) मै. श्री बालाजी कम्प्यूटर्स, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर सुश्री निशा गुप्ता, शॉप नं. 34, 1ला तल, न्यू ग्रैन मार्केट, लोअर बाजार, कालका-133302, हरियाणा 2) मै. गर्ग आईटी सॉल्यूशन, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर श्री अनिल गुप्ता, शॉप नं. 34, 1ला तल, न्यू ग्रैन मार्केट, लोअर बाजार, कालका-133302, हरियाणा 3) श्री अनिल गुप्ता, पुत्र श्री रामेश्वर दास गुप्ता, मकान सं. 1932/3, राम नगर, कालका-133302, हरियाणा, साथ हीः सी/ओ मै. गर्ग आईटी सॉल्यूशन, शॉप नं. 34, 1ला तल, न्यू ग्रैन मार्केट, लोअर बाजार, कालका-133302, हरियाणा, साथ हीः ग्राम कालका, तहसील कालका, जिला पंचकूला, हरियाणा में स्थित सम्पत्ति हदवस्त नं. 393 (यहाँ के बाद "ऋणधारक/मार्टगैजर" वर्णित) 4) सुश्री निशा गुप्ता, पुत्री श्री मेहर चंद गोयल, मकान सं. 1932/3, राम नगर, कालका-133302, हरियाणा, साथ हीः सी/ओ मै. श्री बालाजी कम्प्यूटर्स शॉप नं. 34, 1ला तल, न्यू ग्रैन मार्केट, लोअर बाजार, कालका-133302, हरियाणा 5) श्री कुणाल गुप्ता, पुत्र श्री अनिल गुप्ता, मकान सं. 1932/3, राम नगर, कालका-133302, हरियाणा (यहाँ के बाद "गारन्टरों" वर्णित)	ग्राम कालका, हदवस्त नं. 393, तहसील कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) में स्थित सम्पत्ति माप 00 बीघा 2 बिसवा, 10 बिसवा जो खेवत/खतोनी नं. 61/107 तथा खसरा नं. 221(4-7) में शामिल है, उसका 5/174 शेयर अर्थात् 00 बीघा 2 बिसवा, 10 बिसवा। चौहद्दीः पूर्वः श्री सुशील कुमार का खाली प्लॉट, पश्चिमः गली, उत्तरः श्री वकील सिंह का मकान, दक्षिणः खाली प्लॉट मार्टगैजर 1, श्री अनिल गुप्ता	रु. 7716259/- (रुपये सतहत्तर लाख सोलह हजार दो सौ उन्सठ मात्र)	27.2.2019 27.2.2019
2.	1) मै. बाहरी एडिशन, प्रॉप. श्री हर्ष कुमार बाहरी शॉप नं. 7, सेक्टर-9, पंचकूला-134109, हरियाणा 2) श्रीमती हर्षा बाहरी, पत्नी श्री हर्ष कुमार बाहरी, मकान सं. 706, सेक्टर-7, अर्वण इस्टेट, पंचकूला-134109, हरियाणा, साथ हीः मै. बाहरी बुटिक शॉप नं. 7, सेक्टर-9, पंचकूला-134109, हरियाणा 3) श्री हर्ष कुमार बाहरी, पुत्र श्री बीर कुमार बाहरी, मकान सं. 706, सेक्टर-7, अर्वण इस्टेट, पंचकूला-134109, तथा साथ हीः मै. बाहरी एडिशन, शॉप नं. 7, सेक्टर-9, पंचकूला-134109, हरियाणा (यहाँ के बाद "सह-ऋणधारक एवं मार्टगैजर" वर्णित)	आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग 209 वर्ग मी., मकान सं. 706, सेक्टर-7, अर्वण इस्टेट, पंचकूला-134019 का सभी भाग तथा हिस्सा। मार्टगैजरः 1. श्रीमती हर्षा बाहरी 2. श्री हर्ष कुमार बाहरी	रु. 1,39,07,775/- (रुपये एक करोड़ उन्तालिस लाख सात हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	06.02.2019 27.12.2019

स्थानः कालका एवं पंचकूला
तिथिः 27 दिसम्बर, 2019

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
यस बैंक लिमिटेड

TATA

टाटा कैपिटल फाइनांशियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर, पेनीनसुलाबि जनेस पार्क, गण पतराव कदमम र्ग, ल विरप रेल, मुम्बई-400013.
शाखाकार्यालयः 7वीमंजिल, विडियोकॉनटॉवर, झंडेलवालनएक्सटेंशन, न्यूदिल्ली-110055.

सेवा में, तिथिः 26.12.2019

1. **श्री बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड** जीएफ 004, सीअर्स टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
2. **श्री प्रकाश फूलचन्द छाबड़ा** 1203, कार्लटन टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
3. **लॉर्डसन्स एग्रो ओवरसीज प्राईवेट लिमिडेट**, जीएफ004, सीअर्स टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
4. **नेट्ज इंडिया एग्रो प्राईवेट लिमिडेट**, ऑफिस स्पेस यूनिट नं. 003, सीअर्स टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
5. **युक्ति छाबड़ा**, 1203, कार्लटन टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
6. **अंजलि प्रकाश छाबड़ा**, पत्नी प्रकाश छाबड़ा, 1404, मेनारा टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
7. **वर्तिका खत्री**, सी-21 के रोड, महानगर एक्स्टेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226006 साथ हीः फ्लैट नं. 905, 9वाँ तल, एल्डोरा-2, अपोलो डी.बी. सिटी नपनिया, इन्दौर, म. प्र.
8. **देवेन्दर कुमार वर्मा**, पुत्र जवाहर लाल वर्मा, 448/133, आशापुरम कॉलोनी, मंजू टंडन नसिंग होम के निकट, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226003
9. **तन्नू कोहली**, पुत्री चमन कोहली, एल-88, सेक्टर-डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012

विषयः **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9(1) तथा 8(8) के अतंर्गत अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना**

प्रिय महोदय,

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") धारा 13(2) के अतंर्गत सम्पत्ति खाता सं. 8450995 तथा 7000430106 तथा 7000543711 के लिये ऋण के संदर्भ में मैं. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड (प्रतिभूति क्रेडीटर) की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने आपके लिये मांग **सूचना तिथि 19 जुलाई, 2019 जारी कर** आप एड्रेसी को सम्पूर्ण बकाये राशि का उसमें निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था।

उसमें निर्धारित अवधि में चूंकि आप उक्त सूचना का अनुपालन करने में विफल रहे, अतः प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधोलिखित गिरवी सम्पत्ति का कब्जा कर लिया हैः विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) में स्थित प्लॉट नं. टीसीजी 2/2 एवं टीसीजी 5/5 में परियोजना ऑमेक्स हाइट्स के साथ एम्पायर इस्टेट टावर में भूतल पर यूनिट नं. 003 जिसकी चौहद्दी हैः पूर्वः खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश, उत्तरः लिफ्ट एवं लॉबी एरिया, दक्षिणः प्रवेश/पैसेज का प्रवेश

पुनः बिक्री सूचना तिथि **10.10.2019 तथा 13.11.2019** के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि यदि आप धारा 13(2) के अतंर्गत सूचना में मांग की गई सम्पूर्ण बकाये का निपटारा नहीं करते हैं तो **11 नवम्बर, 2019** अथवा 29.11.2019, जैसा भी मामला हो, को आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत क्रेडीटर गिरवी सम्पत्ति की बिक्री कर देंगे।

लेकिन, **11.11.2019** को आयोजित उक्त नीलामी के संदर्भ में प्रतिभूत केडीटर को कोई बोली प्राप्त नहीं हुई तथा उसे 29.11.2019 तक निजी संधि द्वारा कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

अब कम्पनी ने निजी संधि के द्वारा गिरवी सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक एक संभावित क्रेता से रु. 64,00,000/- (रुपये चौसठ लाख मात्र) का एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। प्राप्त की गई उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद तथा साथ हीं आपके मामले की असाधारण परिस्थितियों क्योंकि सम्पत्ति को निवास-योग्य / व्यावसायिक रूप से उपयुक्त नहीं बनाया गया है तथा अन्य लॉजिस्टिक्स तथा संरचनात्मक त्रुटियों के कारण सम्पत्ति का कोई क्रेता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति का विचार करने के बाद प्रतिभूत क्रेडीटर अपने बकाये की वसूली के लिये गिरवी सम्पत्ति की ब्रिकी करने के लिये इच्छुक हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में आप के लिये सरफैसी अधिनियम के नियम 8(2) अंतर्गत वर्तमान सूचना जारी की जा रही है जिसके द्वारा एक बार पुनः प्रतिभूत क्रेडीटर आपको निर्देश देते हैं कि लागू होने वाले आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ **19.7.2019 को बकाये रु. 1,24,00,349.31/ (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उन्चास तथा पैसे इक्कतीस मात्र)** का वर्तमान सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर भुगतान करें, अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी गिरवी सम्पत्ति का निजी संधि के द्वारा बिक्री की कार्रवाई करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

भवदीय

स्थानः लखनऊ **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये**
तिथिः 28.12.2019 (जगदीप सहरावत) प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक

मॉडल टाउन शाखा
जी-5, मॉडल टाउन-III, नई दिल्ली-110009
फोनः 011-27242677/27214755

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की यहाँ नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम / गारन्टरों का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की तिथि	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाईल नं.
1.	सौरभ इंडिया प्रा.लि.	30.11.2019 को रु. 96653935.02 के साथ आगे का ब्याज एवं लागत	01. श्री अशोक बंसल, पुत्र स्व. सुन्दर लाल बंसल के नाम में सम्पत्ति सं. जी-1/4, मॉडल टाउन-III, नई दिल्ली-110009, माप 1575 वर्ग फीट (सुपर एरिया) के तीसरे तल पर आवासीय मकान (प्राईवेट नं. टी-2) का सभी तथा हिस्सा। 02. श्रीमती सुनीता बंसल, पत्नी अशोक बंसल के नाम में बिना छत के अधिकार के एफ 13/1, मॉडल टाउन-III, नई दिल्ली-110009, माप 1950 वर्ग फीट के प्रथम तल पर फ्रान्ट पोर्शन में आवासीय मकान का सभी भाग तथा हिस्सा।	सांकेतिक	01. रु. 202.02 लाख 02. रु. 402.02 लाख	30.01.2020	श्री पंकज कुमार सिंह मो.नं. 9999437901
	श्री अशोक बंसल पुत्र स्व. सुन्दर लाल बंसल एवं श्रीमती सुनीता बंसल पत्नी अशोक बंसल		कोई नहीं		01. रु. 20.20 लाख 02. रु. 40.20 लाख	29.01.2020	

- जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (आईए) के अंतर्गत 1% कर शामिल है।
- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात www.iob.in (https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype=E-Auction], https://auctions.magicbricks.com) देखें।
- इसे ऊपर वर्णित तिथि के ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों/मार्टगैजनों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना मानी जाये।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 28.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओरसीज बैंक**

www.readwhere.com

खबर कोना

कोलकाता में खेले जा रहे रणजी मैच के दौरान आंध्र प्रदेश के पृथ्वी राज यारा को आउट करने के बाद बंगाल के ईशान पोरेल।

आस्ट्रेलियाई कप्तान पेन वीडियो समीक्षा प्रणाली से हताश

मेलबर्न, 28 दिसंबर (एपी)।

आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टैस्ट के दौरान उनके विवादास्पद तरीके से आउट होने के बाद वह क्रिकेट की वीडियो समीक्षा प्रणाली से काफी हताश हैं। अंपायर मराइस इरासमस के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया था। पेन ने कहा कि तीसरे अंपायर अलीम डार ने वीडियो समीक्षा के बाद पहले के 'नॉट आउट' के फैसले को पलट दिया जिससे वह नाराज थे। इससे पेन अपने शतक से 21 रन से चूक गए और 79 रन बनाकर आउट हो गई। उन्होंने एबीसी रेडियो से अपनी हताशा व्यक्त करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें डीआरएस पर कुछ संशय है।

दिलप्रीत को राष्ट्रीय हॉकी शिविर में मिली जगह

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

अगले महीने भुवनेश्वर में खेली जाने वाली हॉकी प्रो लीग के लिए हॉकी इंडिया ने 32 सदस्यीय संभावित पुरुष खिलाड़ियों की नामों की घोषणा की जिसमें युवा स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह की वापसी हुई है। दिलप्रीत 2018 पुरुष विश्व कप की टीम में थे। उन्हें सुल्तान जोहोर कप में शानदार प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ 18 और 19 जनवरी (2020) को खेले जाने वाले मुकाबले से पहले दो सप्ताह तक चलने वाली इस शिविर में 32 सदस्यीय दल मुख्य कोच ग्राहम रीड की देखरेख में अभ्यास करेगा।

उंगली में फ्रैक्चर से मार्कराम इंग्लैंड श्रृंखला से बाहर

सेंचुरियन, 28 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडन मार्कराम बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टैस्ट श्रृंखला से शनिवार को बाहर हो गए। 'क्रिकेट साउथ अफ्रीका' ने बताया कि मार्कराम को सुपरस्पोर्ट्स पार्क में खेले जा रहे पहले टैस्ट मैच के दूसरे दिन चोट लगी। उनके बाएं हाथ की चौथी अंगुली में फ्रैक्चर है जिसे सर्जरी की जरूरत होगी और वह छह सप्ताह के लिए खेल से दूर रहेंगे। मार्कराम अक्तूबर के बाद पहली बार टैस्ट मैच खेल रहे थे। उन्होंने भारत दौरे पर रांची में खेले गए दूसरे टैस्ट मैच के दौरान निराशा में अपना हाथ किसी ठोस चीज पर मार दिया। जिससे उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ इस टैस्ट की दोनो पारियों में बल्लेबाजी कर ली है। उन्होंने पहली पारी में 20 जबकि दूसरी पारी में दो रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने इस श्रृंखला के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है।

ओलंपिक क्वालीफायर के लिए ट्रायल मुकाबला

मैरी कॉम के मुक्के से पस्त हुईं निकहत जरीन

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

एमसी मैरी कॉम ने 51 किग्रा वर्ग में शनिवार को निकहत जरीन पर 9-1 से जीत हासिल की। इससे उन्होंने चीन में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई। इस मुकाबले में 36 साल की मैरी ने दमदार मुक्के जमाकर स्पष्ट अंक हासिल किए। ओलंपिक क्वालीफायर चीन में तीन से 14 फरवरी तक कराए जाएंगे।

मुकाबले के बाद दोनों मुक्केबाजों ने हाथ भी नहीं मिलाए और जरीन ने गले लगाने की कोशिश की लेकिन मैरी कॉम ने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे खेल में इसे पकड़ना बोला जाता है। मैरी कॉम ने कहा कि मैंने यह विवाद खड़ा नहीं किया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं ट्रायल के लिए नहीं आऊंगी। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जब कोई आरोप लगाएगा कि यह मेरी गलती थी। यह मेरी गलती नहीं थी और मेरा नाम इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए।

जरीन ने कहा कि उन्होंने जैसा बर्ताव किया, उससे मैं आहत हूं। उन्होंने रिंग के अंदर भी कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जूनियर हूं, मुकाबला खत्म होने के बाद अगर वह गले लग जातीं तो यह अच्छा होता। लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

तेलंगाना मुक्केबाजी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे एपी रेड्डी ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने बीच में आकर हालात नियंत्रित किए। सिंह ने उन्हें रिंग के पास से हटने को कहा और निराश जरीन ने खुद उन्हें शांत किया। रेड्डी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि इस तरह की राजनीति में मुक्केबाजी आगे कैसे बढ़ेगी।

सिंह ने कहा कि मैरी कॉम के बारे में कोई क्या कह सकता है, यह हमेशा ही कम होगा। वह प्रतिभाशाली मुक्केबाज हैं। जहां तक निकहत की बात है तो वह भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद हैं और उन्होंने इस मुकाबले में भी प्रभावित किया। अन्य नतीजों में दो बार की विश्व रजत पदक विजेता सोनिया लाठेर (57 किग्रा) को साक्षी चौधरी ने शिकस्त दी। एशियाई पदकधारी लाठेर चौधरी के तेज तर्रार आक्रमण के सामने नहीं टिक सकीं।

वहीं 60 किग्रा वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन एल सरिता देवी राष्ट्रीय चैंपियन सिमरनजीत कौर से पराजित हो गईं। इस मुकाबले में भी चपलता अहम रही जिससे सिमरनजीत ने सरिता को तेज मुक्कों से पस्त किया। विश्व चैंपियनशिप में दो बार की कांस्य पदकधारी लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) ने ललिता को हराकर टीम में जगह बनाई। एशियाई खेलों की पूर्व कांस्य पदक विजेता पूजा रानी ने नुपुर को हराकर 75 किग्रा वर्ग का स्थान हासिल किया।

मुकाबले में परिणाम की घोषणा के दौरान निकहत जरीन और मैरी कॉम।

> "मैं थोड़ी नाराज थी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सबकुछ हो गया। मैं आगे बढ़ गई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बोलने से पहले प्रदर्शन करो, इससे पहले नहीं। आप रिंग में जो करते हो, उसे हर कोई देख सकता है। – मैरी कॉम

टीम : एमसी मैरी कॉम (51 किग्रा), साक्षी चौधरी (57 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) और पूजा रानी (75 किग्रा)।

बीएफआइ अध्यक्ष ने कहा निष्पक्ष ट्रायल कराए

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) के अध्यक्ष अजय सिंह ने शनिवार को कहा कि बीएफआइ ने ओलंपिक क्वालीफायर के लिए महिला टीम चुनने के लिए निष्पक्ष ट्रायल कराए। सिंह ने कहा कि निकहत के समर्थक थोड़े हताश थे लेकिन यह सब खेल भावना में हुआ। थोड़ा सा उत्साह हमेशा होता है। मैं खुश हूं कि मैच में इतना उत्साह था।

'आस्ट्रेलिया को 2020 टैस्ट श्रृंखला में हराना चुनौतीपूर्ण'

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि आस्ट्रेलिया को अगले साल घरेलू मैदान पर टैस्ट श्रृंखला में हराना 2018-19 के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि तब उनकी टीम में स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे दिग्गज मौजूद नहीं थे।

भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया में पिछले दौरे पर टैस्ट श्रृंखला जीतकर 71 साल के सूखे को खत्म किया था। उस समय स्मिथ और वार्नर गेंद से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने के कारण टीम से बाहर थे। गांगुली ने वार्नर और स्मिथ का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह (2020 टैस्ट श्रृंखला) टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि कोहली ने अपने लिए जो मानक तय किए हैं उस मुताबिक वह भी मानते होंगे कि 2018 की आस्ट्रेलियाई टीम उनके समय की सबसे मजबूत टीम नहीं थी।

'2018-19 टीम में स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे दिग्गज मौजूद नहीं थे।'

भारतीय टीम का आस्ट्रेलिया दौरा 18 अक्तूबर से 15 नवंबर तक खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप से शुरु होगा। पूर्व कप्तान ने कहा कि वह अक्तूबर में जिस चीज का सामना करने जा रहे है उसमें अधिक समय नहीं बचा है। यह अलग होने वाला है क्योंकि यह पूरी ताकत वाली आस्ट्रेलियाई टीम है। उनके पास (भारत) ऐसी टीम है जो आस्ट्रेलिया को हरा सकती है। उन्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा।

उन्होंने कहा कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, आपको पता है कि जब मैं कप्तान बना था तो यह मेरा लक्ष्य था कि सर्वश्रेष्ठ टीमों का सामना करूं और मुझे 2003 का आस्ट्रेलियाई दौरा याद है। हम शानदार टीम थे और इस टीम के पास भी ऐसा करने की क्षमता है।

रणजी ट्रॉफी : उत्तर प्रदेश ने सौराष्ट्र को हराया

राजकोट, 28 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश ने शनिवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच में सौराष्ट्र को पारी और 72 रन से शिकस्त दी। इस मुकाबले में टैस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा दूसरी पारी में बल्ले से विफल रहे। उत्तर प्रदेश ने सौराष्ट्र को पहली पारी में 331 रन पर समेट दिया और फिर मध्यक्रम बल्लेबाज मोहम्मद सैफ के 165 रन के बूते 523 रन का विशाल स्कोर बनाया।

चौथे और अंतिम दिन जब खेल शुरू हुआ तो सौराष्ट्र को मैच बचाने और हार से बचने के लिए टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कप्तान सौरभ कुमार ने अपनी फिरकी की जादू से प्रतिद्वंद्वी टीम के छह बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे सौराष्ट्र की टीम 120 रन पर सिमट गई और उत्तर प्रदेश ने बोनस अंक भी हासिल किया।

> *उत्तर प्रदेश* ने सौराष्ट्र को पहली पारी में 331 रन पर समेट दिया
>
> *हिमाचल प्रदेश* ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए

अन्य दो मैचों में हिमाचल प्रदेश ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए जबकि कर्नाटक को एक अंक से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक ने 166 और 296 रन बनाए थे। पहली पारी में 280 रन बनाने वाली हिमाचल प्रदेश की टीम दो विकेट पर 34 रन बना चुकी थी। इंदौर में खेले गए मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 333 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त हासिल की। तमिलनाडु ने पहली पारी में 149 रन बनाए और दूसरी पारी में सात विकेट पर 377 रन बना चुकी थी। मध्य प्रदेश को तीन अंक मिले।

न्यूजीलैंड सस्ते में सिमटा आस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त

मेलबर्न, 28 दिसंबर (एएफपी)।

पैट कमिंस की अगुआई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते आस्ट्रेलिया ने दूसरे टैस्ट के तीसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी 148 रन पर समेट दी। इसके साथ ही उसने कीवियों पर 319 रन की बड़ी बढ़त हासिल की।

दिन का खेल समाप्त होने तक आस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 137 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 456 रन की कर ली थी। पहली पारी में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड 12 और मैथ्यू वेड 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के पहली पारी में 467 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 44 रन से की। कमिंस ने पांच विकेट, जेम्स पैटिंसन ने तीन और मिशेल स्टार्क ने दो विकेट झटक कर आस्ट्रेलिया को पहली पारी में बड़ी बढ़त दिलाई। न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ टॉम लैथम ही आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना कर सके। उन्होंने 144 गेंद की पारी में 50 रन बनाए।

बॉक्सिंग डे टैस्ट

हेनरी निकोल्स का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते पैट कमिंस।

विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज कमिंस ने 17 ओवर में 28 रन देकर पांच विकेट लिए। पहली पारी में 319 रन की बढ़त कायम करने के बाद भी आस्ट्रेलियाई कप्तान पेन ने न्यूजीलैंड को फालोआन देने की जगह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहतर समझा।

'न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट' में स्टोक्स को मिली जगह

लंदन, 28 दिसंबर (एपी)।

हरफनमौला बेन स्टोक्स के साथ आइसीसी विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सदस्यों को ब्रिटेन के 'न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट' में जगह दी गई है। स्टोक्स ने आइसीसी विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की पारी खेलकर टीम को विश्व विजेता बनाया था। इसके छह सप्ताह बाद उन्होंने एशेज श्रृंखला के तीसरे टैस्ट में नाबाद 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

स्टोक्स को 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' के सम्मान के लिए चुना गया है जिसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा दिया जाएगा। विश्व विजेता टीम के कप्तान इयोन मोर्गन को 'कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' के सम्मान के लिए चुना गया जबकि विकेटकीपर जोस बटलर और टैस्ट टीम के कप्तान जोए रूट को 'मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' का सम्मान मिलेगा।

वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्लाइव लॉयड और गॉर्डन ग्रीनिज को 1970 और 1980 के दशक में टीम दमदार बनाने में अहम योगदान देने के लिए 'नाइटहुड्स' का सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान साल में दो बार दिए जाते हैं।

भारोत्तोलक सीमा डोपिंग में चार साल के लिए प्रतिबंधित

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

भारत की राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की रजत पदकधारी भारोत्तोलक सीमा पर डोपिंग उल्लंघन के लिए चार साल का प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) ने कहा कि सीमा के डोप नमूने इस साल विशाखापत्तनम में 34वीं महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप के दौरान एकत्रित किए गए थे।

बयान के अनुसार कि चैंपियनशिप के दौरान लिए गए नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए जो प्रदर्शन को सुधारने के लिए किए गए थे। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों का सीधा उल्लंघन था। इसके मुताबिक, 'उनके नमूने में हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी टेमोक्सीफेन, सलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्यूलर मेटेनोलोन, एनाबोलिक स्टेराइड ओस्टारीन, सलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मोड्यूलर मौजूद थे।'

वाडा की 2019 प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में ये सभी गैर-निर्दिष्ट पदार्थ हैं। उन्हें नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने सुनवाई के बाद चार साल के लिए निलंबित किया है।

एएफसी एशियाई कप 2023 के स्थलों की घोषणा हुई

कुआलालंपुर, 28 दिसंबर (भाषा)।

चीन फुटबॉल संघ (सीएफए) ने 2023 में होने वाले एएफसी एशियाई कप के लिए शनिवार को 10 मेजबान शहरों की घोषणा कर दी। मेजबानी हासिल करने वाले शहरों में चीन की राजधानी बेजिंग के अलावा तियानजिन, शंघाई, चोंगकिंग, चेंगदू, शियान, डालियान, किंगदाओ, शियामेन और सुझोउ शामिल हैं। टूर्नामेंट के 18वें सत्र का आयोजन 2023 के जून-जुलाई में होगा।

भारतीय टीम का विश्व कप सपना टूटा | **फुटबॉल** | टीम फीफा रैंकिंग में 11 पायदान लुढ़की

2019 में भी जारी रहा गोलमशीन छेत्री का जलवा

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

करिश्माई फुटबॉलर सुनील छेत्री का शानदार प्रदर्शन इस वर्ष भी जारी रहा। लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 11 पायदान लुढ़कने के अलावा विश्व कप क्वालीफायर और एशिया कप में शुरू में ही बाहर हो गई। इस साल भारतीय फुटबॉल में कुछ दूरदर्शी फैसले हुए जिसमें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने 12 सत्र पुरानी आइलीग को घरेलू क्लब प्रतिस्पर्धा में दूसरे दर्जे की कर दिया। शीर्ष स्तर लुभावनी इंडियन सुपर लीग ने ले लिया जो इसके काफी बाद में 2014 में शुरू हुई।

ज्यादातर क्लब लीग के स्तर को लेकर एक तरफ थे और महासंघ एक तरफ। लेकिन एआइएफएफ ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) के हस्तक्षेप के बाद आइएसएल को शीर्ष स्तर की लीग के तौर पर मान्यता दी। आइएसएल जीतने वाली टीम को अब महाद्वीप की शीर्ष स्तर की एशियाई चैंपियंस लीग में खेलने का मौका मिलेगा जबकि आइलीग विजेता दूसरे दर्जे के एएफसी कप में खेलेगी।

फीफा परिषद के सदस्य बने पटेल

सकारात्मक बात यह रही कि एआइएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल की संचालन संस्था फीफा परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। भारत को 2020 में फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी अधिकार भी दिए गए।

भारत ने साल की शुरुआत फीफा रैंकिंग में 97वें स्थान से की लेकिन दो जीत, चार ड्रॉ और सात हार से टीम वर्ष के अंत में 108वें स्थान पर खिसक गई। हालांकि इन नतीजों से मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ 2022 विश्व कप क्वालीफायर मैच में ड्रॉ खेलना अच्छा रहा।

72 गोल दागे हैं करिश्माई फुटबॉलर सुनील छेत्री ने 115 मैचों में

99 गोल दागने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं छेत्री

टीम को स्टिमक जैसा कोच मिला

टीम को क्रोएशिया के इगोर स्टिमक के रूप में बेहतरीन कोच मिला जो 1998 विश्व कप कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। स्टीफन कांस्टेनटाइन के जनवरी में एशिया कप के बाद इस्तीफा देने के बाद उन्हें चुना गया। कप्तान छेत्री (35 साल) पिछले दो वर्षों से अपनी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेल रहे हैं और उन्होंने भारत के लिए मैच खेलने के मामले में पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को पीछे छोड़ दिया।

इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में अर्जेंटीना के जादूगर लियोनल मेस्सी (70 गोल) को पछाड़ दिया और वह पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (99) से पीछे दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 115 मैचों में 72 गोल दागे हैं।

कांस्टेनटाइन ने टीम में युवा खिलाड़ियों को शामिल किया और 40 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने पदार्पण मैच खेले। उनके मार्गदर्शन में टीम संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई कप के नॉकआउट दौर क्वालीफिकेशन में जगह बनाने में मामूली अंतर से चूक गई।

भारत ने थाईलैंड को पहले मैच में हराया लेकिन वह मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से 0-2 और बहरीन से 0-1 से हारकर बाहर हो गई। बहरीन के खिलाफ ड्रॉ भी भारत को नॉकआउट तक पहुंचा सकता था जो इतिहास बन जाता। लेकिन टीम ने इंजुरी टाइम में पेनल्टी पर गोल गंवा दिया।

स्टिमक ने हालांकि खिलाड़ियों की खेलने की शैली में परिवर्तन किया लेकिन छह महीनो में टीम 10 मुकाबलों में से जून में किंग्स कप में मेजबान थाईलैंड के खिलाफ महज एक जीत दर्ज कर पाई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 42, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

जनसत्ता
रविवारी
• 29 दिसंबर, 2019 •

आधुनिक शहरों की चुनौतियां

भारत में बहुत तेजी से शहरों का विकास और विस्तार हो रहा है। महानगर आसपास के गांवों को अपनी जद में लेते जा रहे हैं। खेती-किसानी, पशुपालन का दायरा सिकुड़ रहा है। पश्चिमी देशों की नकल पर शहरों के विकास पर जोर है। पर पश्चिम ने शहरीकरण से उपजी समस्याओं से पार पाने के जो उपाय किए हैं, उसमें हम काफी पीछे हैं। इसके चलते पर्यावरण प्रदूषण और सड़कों पर भीड़भाड़ त्रासद रूप लेते गए हैं। शहरीकरण से पैदा हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे हैं राजेंद्र रवि।

आजकल दिल्ली की जनता धुंध और धुएं की दहशत से बेहाल और परेशान है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हरित न्यायाधिकरण सरकारों को तरह-तरह के निर्देश देते हैं और सरकारें फौरी तौर पर घोषणाएं करती हैं। पिछले तीन दशक से साल-दर-साल ऐसे दिन आते हैं और सारे किरदार अपनी इसी भूमिका को पूरा करने के बाद अगला साल आने तक इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मूल प्रश्न यह है कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं! हम विकास की जिस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या उससे समाधान का रास्ता निकलेगा या हम इसी अंधी गली में फंसते ही चले जाने वाले हैं। हमने विकास के मॉडल को पश्चिम के विकसित कहे जाने वाले मुल्कों से लिया है और वे सब मुल्क 'आज की हमारी हालत' से निकलने की कोशिश करते-करते फंसते ही जा रहे हैं और हम हैं कि उन्हीं के पद-चिह्नों पर चलते हुए निदान खोजने में लगे हैं। अभी तक इस रास्ते पर चलते हुए कोई धुंध-धुएं की दहशत से बाहर निकल पाया है, इसका उदाहरण नहीं मिलता।

दरअसल, आज हमारे शहरों की हालत, 1952 के लंदन के हालात की तरह है। तब सारा लंदन धुएं और धुंध की गिरफ्त में आ गया था, जिसे 'ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन' के नाम से पुकारा गया। इस वजह से हजारों लोगों की जिंदगी चली गई और बड़ी संख्या में लोग लंबी बीमारी के शिकार हुए। वहां की तत्कालीन सरकार ने इसके बचाव में एक कानून बनाया, जिसे 'क्लीन एयर एक्ट' के नाम से जाना गया। पर धीरे-धीरे कारों और दूसरे मोटरवाहनों की बढ़ती संख्या वहां फिर वही हालत पैदा करने लगी। उससे बचने के लिए सरकार ने बड़े-बड़े फ्लाईओवर तथा बहुमंजिली कार पार्किंग के माध्यम से ढंकने के उपाय किए गए। लेकिन यह भी तत्कालीन आघात पर 'परत' डालने जैसा ही था और आज भी विकसित मुल्कों के शहर इस तरह की दुश्वारियां झेलने को अभिशप्त हैं। जब पश्चिम के देशों ने आधुनिक विकास के रास्ते पर चलते हुए शहरों को गढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने शहरों की परिकल्पना से कृषि, पशुपालन और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को निकाला ही नहीं, बल्कि उस पर बंदिशें भी लगा दीं। इस वजह से पर्यावरण संतुलन की प्रक्रिया तहस-नहस हो गई और आज हम प्रकृति की विनाश-लीला झेलने को अभिशप्त हैं। इसकी जद में हमारा शहरी समाज ही नहीं, ग्रामीण समाज भी आ चुका है।

हम भी पश्चिम की बयार में बह गए। हमने भी अपने शहरों के निर्माण में कृषि, पशुपालन, उद्योग और उससे जुड़े जीविकोपार्जन के सभी साधनों को समाप्त कर नया मास्टर प्लान बनाया, जिसने हमारे समाज की गतिविधियों को खंड-खंड में बांट दिया और हमारा तानाबाना पूरी तरह से खत्म हो गया। हमने शहरी मास्टर प्लान के तहत मनुष्य, पशु-पक्षी और प्रकृति के रिश्ते को समाप्त कर दिया। इससे भोजन और मल-उत्सर्जन के साथ प्राकृतिक रिश्ते समाप्त हो गए। इस कारण थल और जल प्रदूषण और गंदगी के भंडार में परिवर्तित होते गए। यह सरकार के सफाई और स्वच्छता अभियानों से भी नहीं संभल पा रहा है, जबकि समाज के अरबों रुपए इस मद में खर्च हो रहे हैं। हम अपनी जरूरतें प्रकृति के दूसरे प्राणियों से पूरा करते हैं और दूसरे प्राणी अपनी आवश्यकताएं हमसे पूरा करते हैं। मसलन, हम प्रकृति और दूसरे प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं और हमारा कचरा दूसरे प्राणियों के लिए भोजन है। इस कारण इस धरा पर कचरा के भंडारण की न कोई व्यवस्था थी और न जरूरत। लेकिन हमने इस विचार को खंड-खंड कर दिया और अपने आसपास गंदगी और बदहाली का पहाड़ खड़ा कर दिया और आज हम सब इसके शिकार हैं।

आज इस स्थिति से निपटने के लिए विकसित दुनिया के शहर वापस लौटने की कोशिश में हैं और खेती-किसानी का बदला हुआ स्वरूप आजमाया जाने लगा है। ■

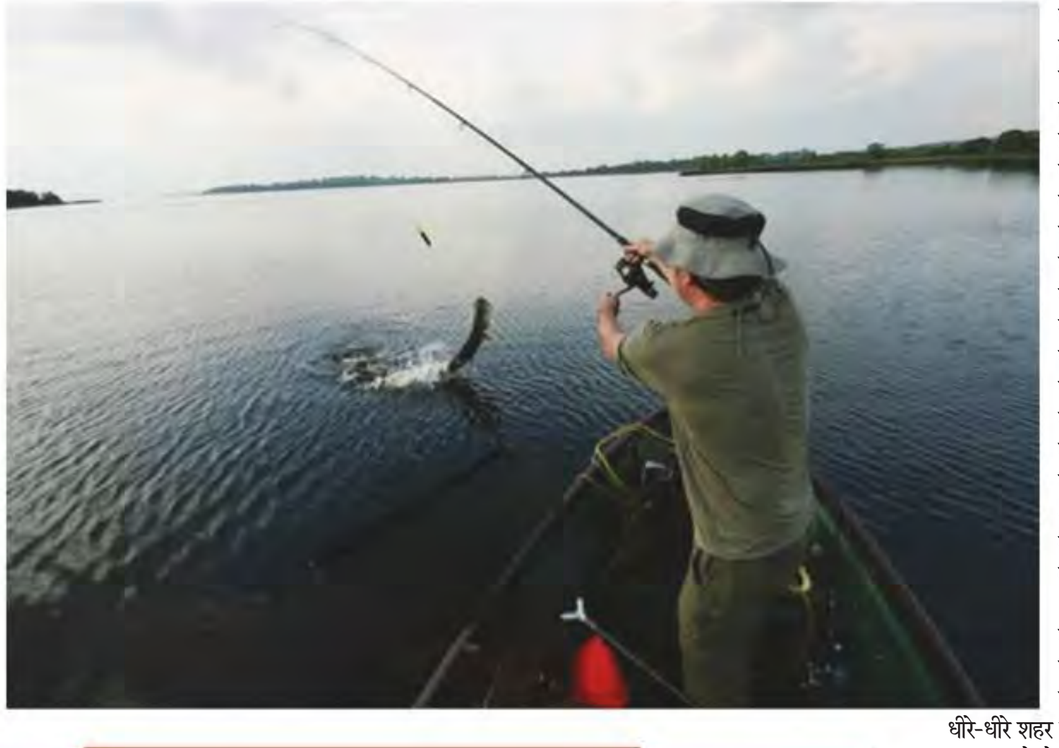

छत पर खेती

दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार है पेरिस। वह भी आज कृषि के नए प्रयोग के लिए अग्रसर है। पेरिस के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में चौदह हजार वर्ग मीटर में फैली छह मंजिली इमारत की ऊपरी छत (रूफ टॉप) पर अर्बन फार्मिंग का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि यह अर्बन फार्मिंग दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े फार्म पर होगी। इसकी देख-रेख तीस प्रशिक्षित माली करते हैं और यहां तीस तरह के पौधे लगाए जाएंगे तथा एक हजार किलो फल और सब्जियां मिलेंगी। इसके संस्थापक पास्कल हार्डी का कहना है, 'हमारा विजन एक ऐसे शहर का है, जहां हर खाली छत और खाली जगह पर फार्मिंग हो, और हर शहरवासी शहर को खिलाने में योगदान देगा, जबकि आज शहरी लोग सिर्फ खाने वालों का समूह हैं।' क्यूबा की राजधानी हवाना 1990 से अर्बन फार्मिंग की तरफ अग्रसर है और आज वह अर्बन फार्मिंग में अग्रणी शहर है। एक वक्त विकसित देशों ने अपने शहरों से कृषि और पशुपालन को अलविदा कहा था, आज उन्हीं शहरों में खेती धीरे-धीरे पैर पसारते हुए आंदोलन का रूप लेती जा रही है।

एक जमाने में अमेरिका का डेटोरेट शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब माना जाता था। यह 2012 में दिवालिया हो गया। शहर का कारोबार ठप हो गया। धीरे-धीरे शहर फिर से पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हुआ, पहले से बदले हुए स्वरूप में। शहर के नए मास्टर प्लान में शहरी कृषि और पशुपालन को समाहित किया गया और उसके अनुकूल ढांचागत सुविधा भी। न्यूयार्क शहर में सात सौ किस्म के कृषि-उत्पादन हो रहे हैं। यह खेती शहर में खाली पड़ी जमीनों, कंपनियों के खाली मैदानों, रेलवे लाइन के किनारे की भूमि और सड़क के दोनों किनारों की खाली जमीनों पर की जा रही है। लंदन में तेरह हजार पांच सौ छियासठ हेक्टेयर में खेती हो रही है। इसमें पंद्रह प्रतिशत जमीन शहर के अंदर है और बाकी अर्ध-शहरी इलाकों में है। रूस के पीटर्सबर्ग में शहरी खेती से बीस लाख लोगों की पारिवारिक आमदनी में मदद मिलती है। इसके अलावा नीदरलैंड, फिनलैंड, स्पेन आदि देशों में शहरी खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ दक्षिण एशिया में शहरी कृषि के अलग-अलग स्वरूप तेजी से फैल रहे हैं।

भारतीय शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। सरकार द्वारा शहरी खेती पर तमाम कानूनी बंदिशों के बाद भी हमारे शहरों में खेती जारी है। हम लोग दिल्ली में कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को जानने-समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अभियान के दौरान इस साल अगस्त में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। यमुना पर बना वजीराबाद बैराज यमुना को दो हिस्सों में बांटता है। जब हम वजीराबाद बैराज के पास यमुना के पूर्वी किनारे पर घूम रहे थे, तो देखा कि एक विदेशी मूल का नागरिक उमस-भरी दोपहर की धूप में घास पर बैठ कर यमुना में बंसी से मछली पकड़ने में मशगूल है। हमने उससे जानने की कोशिश की कि वह यहां इतनी कड़कड़ाती धूप और उमस में क्यों बैठा है और वह यहां तक कैसे आया? उसने बताया, 'मैं कोरिया का रहने वाला हूं और दिल्ली में कोरियन दूतावास में पदाधिकारी हूं। मैं मछली पकड़ने का बहुत शौकीन हूं। जब मेरा पदस्थापन दिल्ली दूतावास में हुआ, तब मैं ऐसे स्थान की तलाश करने लगा, जहां मैं अपने मछली पकड़ने के शौक को पूरा कर सकूं। मैंने नेट के सहारे यमुना नदी के इस स्थान की तलाश की और पिछले दो वर्षों से हर रविवार को यहां आकर मछली पकड़ने में समय बिताता हूं।'

उस दिन हम लोगों ने देखा कि वजीराबाद बैराज के ऊपर यमुना के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग अकेले या समूह में मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं। बात करने पर उन्होंने बताया कि हम रोजगार तो कोई और करते हैं, लेकिन जब भी अवकाश मिलता है, यहां आ जाते हैं और भाग-दौड़ की जिंदगी से कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं। यहां मछुआरों के भी कई समूह हैं, जो विगत चार दशक से यमुना में मछली पकड़ते हैं। यह उनका व्यवसाय भी है, इसके लिए दिल्ली सरकार अलग लाइसेंस देती है। इन मछुआरा समाज के लोगों ने यमुना के बगल में एक कॉलोनी भी बसाई है, जिसे बंगाली कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये लोग मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मछली के उत्पादन और इससे जुड़ा हुआ काम 'जल कृषि' की श्रेणी में है, जो कृषि का ही हिस्सा है।

जब हम नदी के पश्चिमी किनारे पर उत्तर की ओर बढ़े, तो खेतों में लहलाती धान की फसल का एक समतल मैदान दिखा और ऐसा लगा कि यह दिल्ली नहीं है। जबकि यह इलाका दिल्ली का ही है। पल्ला, हिरनकी, बुराड़ी, मुखमेलपुर, बख्तावरपुर, तिग्गी आदि दिल्ली में ऐसे सैकड़ों गांव हैं, जहां बदलते मौसम और बदलती मिट्टी के अनुसार फसलें भी बदल जाती हैं। हमारी मुलाकात पल्ला गांव में एक नौजवान से हुई। वह चौबीस-पच्चीस वर्ष का है, हर तरह से आधुनिक। विगत दो सालों से वह कॉरपोरेट की अपनी नौकरी छोड़ कर खेतों की मिट्टी से खेल रहा है। उसके घर के सब लोग नाराज हैं। उसने बताया कि उसकी मां कहती है, 'हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम वापस खेती करो!' उसने बताया कि वह एक कंपनी में इंजिनियर था, सुबह से आधी रात तक फोन सुनने और उस पर अमल करने में जिंदगी निकल रही थी। वहां सुख-सुविधा के सभी सामान थे, नहीं था तो अवकाश और सुकून। अब जब मैं खेत पर आता हूं तो यहां से जाने का दिल नहीं करता। उसने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान के तहत सभी गांवों की खेती की जमीनों को अलग-अलग योजनाओं में डाल कर गांवों को शहरी श्रेणी में कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली में कृषि गतिविधि गैर-कानूनी है। इस वजह से दिल्ली के किसान कृषि से जुड़ी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। इस इलाके के किसान धान और गेहूं की पराली को संजो कर रखते हैं और उसका इस्तेमाल मशरूम की खेती करने में करते हैं।

ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ भू-स्वामी किसान ही खेती करते हैं। बदलते समय में खेती करने के तरीके और समूहों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। दिल्ली का बहुत बड़ा भू-भाग, खेती की जमीन किसानों से अधिगृहीत करके, साधन-संपन्न वर्ग को फार्म हाउस बनाने के लिए दिया गया है। उन जमीनों का वे बहुआयामी उपयोग कर रहे हैं, जिसमें खेती भी एक है। लेकिन वह खेती आम तरह की नहीं है, वह खास है और खास वर्ग के लिए है। फार्म हाउस के धंधे में बड़े नौकरशाहों, व्यवसाइयों, राजनेताओं के साथ-साथ बड़े-बड़े धार्मिक मठ भी शामिल हैं। किसानों की कृषि को गैर-कानूनी घोषित करके उस जमीन को फार्म हाउस में बदला गया है।

इसके अलावा अब फल, सब्जियां, सलाद की पत्तियां लगाने और उगाने की तरफ ललक और रुचि बढ़ रही है। दिल्ली की अलग-अलग आबादी में लोग अपने घर के आगे-पीछे की खाली जमीनों, बालकनी, छतों, जहां पर भी संभव है, वहां पौधे लगा रहे हैं। यह तो कृषि का एक रूप है। भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी, बतख पालने का काम शहर के अलग-अलग इलाकों में हो रहा है। इसे पशुपालन की श्रेणी में रखा जाता है तथा इसका सीधा रिश्ता कृषि से है। दिल्ली के विभिन्न समूह अलग-अलग गतिविधियों में सक्रिय हैं और इसका सीधा रिश्ता उनके परिवार के जीविकोपार्जन से है। मगर किसी समूह द्वारा की जा रही गतिविधियां अवैध हैं और किसी की वैध; किसी की गतिविधि आधुनिकता और अमीरी का प्रतीक, तो किसी की गतिविधि पिछड़ा और गरीबी का प्रतीक।

दिल्ली में कानूनी रूप से कृषि नहीं हो सकती और न ही होती है; फिर भी शहर का बड़ा भू-भाग और लाखों-लाख लोग इस अभिक्रम में लगे हुए हैं। यह परिदृश्य सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बंगलुरु और हैदराबाद अर्बन फार्मिंग का हब बनते जा रहे हैं। इसमें वे लोग भी आ रहे हैं, जो अपना हाथ आधुनिक माने जाने वाले क्षेत्रों में आजमा चुके हैं। उसमें वे सफल भी रहे हैं, लेकिन सफलता के साथ सुकून की तलाश उन्हें इस ओर खींच रही है। यह भी नहीं है कि यह हालत सिर्फ हमारे शहरों की है और हम आधुनिकाचार में पिछड़ते हुए इसे अपना रहे हैं, बल्कि यह बयार उन मुल्कों में भी बह रही है, जिन्होंने आधुनिकता की वे सीढ़ियां पा ली हैं, जिन्हें पाने के लिए हम व्याकुल हैं और जिसकी चाह में हमने अपना तानाबाना तोड़ा है, उसे वे अपना रहे हैं। ■

परेशानियों के बरक्स

आज हम जिन चुनौतियों को झेल रहे हैं, उन्हें हमने खुद पैदा किया है। हमने उद्योगों का ऐसा जाल बिछाया है, जो तात्कालिक सुविधा और दूरगामी बीमारी पैदा कर रहा है। हमने ऐसा ढांचागत निर्मित किया है, जिसमें ऊर्जा और पूंजी तो खूब लगती है, लेकिन वह दो-तीन प्रतिशत आबादी को आराम और बाकी को तकलीफ देता है। दिल्ली में 1998 में जब मेट्रो का शिलान्यास हुआ, तो कहा गया था कि अब शहर जाम-मुक्त होगा, प्रदूषण का नामोनिशान नहीं रहेगा, कारों पर लगाम लगेगी, कार-स्वामी मेट्रो से आया-जाया करेंगे, रोजगार में इजाफा होगा, आदि। अब दो दशक के बाद भी हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हर दस लाख की आबादी वाले शहर को सरकार मेट्रोमय कर रही है।

हमने शहर को कारों और प्रदूषण आदि से बचाने के नाम पर मेट्रो बनाया। आज मेट्रो भी बढ़ रहा है और कारों की संख्या भी। लेकिन प्रदूषण की मार कम होने की बजाय नए-नए रूप में और गहराने लगी है। हमारी सरकार इस बीमारी का इलाज सम-विषम में ढूढ़ते हुए अब ऑक्सीजन टॉवर लगाने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। इससे शहर की बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि नए-नए रोग पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देने वाले दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में ग्यारह हजार बसों की जरूरत है- यह आकलन दो दशक पहले हुआ था। इस लक्ष्य को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। आज दिल्ली में बसों की संख्या पांच हजार से भी कम है। परिवहन के मद का पूरा बजट मेट्रो में खप जाता है तथा बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की हालत बद से बदतर हो रही है। इसका शिकार यहां का कामकाजी वर्ग हो रहा है। दिल्ली में बस की यात्रा सस्ती है। यह गंतव्य-स्थल के करीब तक सुविधा देने वाली सवारी है। मेट्रो की सवारी महंगी है और यह खास दूरी तक ही सुविधा देती है।

हमारे शहरों की वास्तुकला महिला-विरोधी, वरिष्ठ नागरिक-विरोधी, बच्चों का बचपन छीनने वाली और गरीबों की दुश्मन है, क्योंकि हमारे शहर का पूरा तंत्र कार-स्वामियों और संपन्न लोगों के लिए है। यहां पैदल चलने वालों के लिए न जगह है, न इज्जत। साइकिल, साइकिल रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोग शहर के नागरिक नहीं, 'घुसपैठिए' हैं। इनके ही कर से बनाया जाने वाला शहर इन्हें ही वंचित कर रहा है। ये लोग ही प्रदूषण के शिकार हैं। ये छतविहीन लोग आवासहीन हैं और रोजगार-विहीन जीवन जीने को अभिशप्त हैं।

आज शहर की अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है। अब आधुनिक शहर वह नहीं है, जो मेट्रो रेल और फ्लाइओवर बना रहा है। वह भी शहर आधुनिक नहीं है, जो शहरी गतिविधियों को अलग-अलग सेक्टर में बांट कर देख रहा है। आज तो आधुनिक और समावेशी शहर वह है, जो अपना खाना खुद पैदा करता है और अपने कचरे के निष्पादन की जिम्मेवारी भी स्वयं लेता है; जो अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाता है और अपने नागरिकों के लिए खुली सांस के लिए हरियाली उपजाता है; जो तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल हर तरह की गैर-बराबरी से मुक्ति दिलाने के लिए करता है। शहरी खेती, पशुपालन और उससे जुड़ी हजारों गतिविधियां ऐसा शहर बनाने का नया मार्ग दिखाती हैं।

लेकिन हम उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। हमारा राजनीतिक तंत्र चिंतनहीन और विचारहीन हो गया है। यह अपनी सामुदायिक समझ को आधुनिक परिवेश में नवसृजित नहीं कर पा रहा है। ऐसी ही हालत हमारे बौद्धिक समूहों और परिवर्तनकारी जमातों की है। इसलिए हम पुराने और रूढ़िवादी विकास को आधुनिक मान कर ढोने को अभिशप्त हैं। हम जिन विचारधाराओं से प्रेरणा लेते हैं, अगर उनकी मौलिकता को आधुनिक कालखंड के अनुकूल ढाल पाने में असमर्थ रहे तो हमें विलुप्तीकरण के रास्ते पर जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आज गांधीवाद के प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और साम्यवाद के मानवीय गैर-बराबरी के सिद्धांतों को बदले हुए परिवेश के अनुसार चिंतनधारा विकसित करनी होगी। नई धारा के साथ नेतृत्व विकसित करना एक चुनौती-भरा उपक्रम है, जिसमें आज की चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा मिलेगी। ■

कविताएं

महेश आलोक

घास

और देखो वह तमाम शहरों का चक्कर लगा कर
हवा के साथ लहरों के साथ
चिड़िया के मुंह में पड़े हुए दानों बीजों के साथ
उतर आई है पृथ्वी के स्वप्न को हकीकत में
बदलती हुई
उसकी नग्नता को हरे वस्त्रों से ढकती हुई
उसके शरीर को मखमली बनाती हुई
उसे इतना प्रसन्न बनाती हुई कि ओस को
क्षणभंगुर होने से
बचा सके

पृथ्वी चाहती है मनुष्यों के अतिक्रमण से
बची हुई जमीन
ढंक जाए इतनी हरीतिमा से कि पशुओं को मरने
से बचाया जा सके
उनके सपने इतने हरे भरे हों कि थनों में उतरा हुआ दूध
बच्चों के सपनों को और उर्वर बना सके

चिड़ियों को घोंसला बनाते देख उसे
कितनी खुशी मिलती होगी
इसका अनुमान सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि
वह विनम्रता में इतना झुक जाती है
कि विनम्रता को अपना अर्थ विस्तार करने में
जरा भी संकोच नहीं होता

एक राजा ने उसे रोटी बना कर खाया और बच गया
एक पथिक ने उसे बिस्तर बनाया और बच गया
उसके पास इतना जीवन है कि तमाम कीट पतंगे
उसे ही मानते हैं ईश्वर

गरीब की बरौनियों जितना उसका मुलायम शरीर
छप्पर बन कर उसकी हैसियत इतनी बढ़ा देता है
कि किसी कठिन समय में ईंट कंकरीटों के
बड़े घर वाले भी
पा लेते हैं उसमें आश्रय

इन सबके बावजूद अपनी पैदाइश
के समय से ही निरंतर कुचली जाती वह
अंततः उठ खड़ी होती है
क्रूरता को तहस नहस करती हुई

वह जितनी छोटी है उसका कद उतना ही बड़ा है
मनुष्य के कद को उससे भी
छोटा करता हुआ

चित्र: वाजदा खान

घाट हैं बहरे

कहां डूबें कहां तैरें
नदी के दो पाट हम तुम
पाट हैं छिछले

पुतलियों में रात थर थर कांपती है
पथ जहां पर मुड़ रहा था एक कंकड़ था वहीं पर
गड़ रहा था
खुशबुओं की आंख नम है। अब नदी की सांस में तारे
सहमकर जल रहे हैं। कौन जाने कौन किसको
छल रहा है
अब अंगीठी बुझ चुकी है। जले कंडे की धुंआती
गंध में कोई
हवा-सा गल रहा है। सिसकियों में रात थर थर
कांपती है
कहीं कोई नाव जर्जर हांफती है

कहां टूटें कहां बिखरें
नदी के दो घाट हम तुम
घाट हैं बहरे

और उन पर हैं हरी पर काइयां हैं
संभल के साथी अरे!
बिछले ❑

जिंदगी लौट आई थी

कहानी

रामदरश मिश्र

कैलाश की शादी के लिए अच्छे-अच्छे घरों से प्रस्ताव आ रहे थे। उसकी पंगुली मां मना कर देती थी। कहती थी, अभी पढ़ रहा है। कैलाश ने अब दसवीं पास कर लिया। एक प्रस्ताव आया है। गांव के लोग पंगुली मां के यहां उत्साह से जुटे हैं और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। वर-छेंक की रस्म पूरी हो रही है और हल्का-सा खानपान चल रहा है। सभी लोग कैलाश और उसकी मां की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं।

पंगुली मां ने बहुत उत्साह से बेटी वालों का स्वागत किया। बहुत प्रसन्न थीं कि अब गांव वाले उसकी जय बोल रहे हैं। उत्सव संपन्न होने पर जब वह अकेली हुई, तब उसकी आंखें भर आईं। याद आने लगे वे दिन, जब वह गांव में असहाय छोड़ दी गई थी।

पंगुली मां का नाम पंगुली इसलिए पड़ा कि वह दोंनो पांवों से पंगु थी। वह थी तो बहुत सुंदर गोरी-चिट्टी, बड़ी-बड़ी दीप्त आंखें, किंतु शादी के बाद किसी समय लकवे ने उसके दोंनो पैर बेकार कर दिए। इसलिए गांव के लोग उसे पंगुली भाभी, चाची आदि कहने लगे और नए लड़के-लड़कियां उसे पंगुली मां कह कर पुकारने लगे थे।

लकवा मारने के बाद वह अपने पैरों को देख कर रोती थी। याद आते थे उसे पहले के दिन। घर के लोग कहते थे- 'शोभा बेटी के पांव कितने सुंदर हैं। सीधे पांव, लंबी-लंबी अंगुलियां सुंदर नाखून और स्वस्थ गोरी टांगों में गजब की स्फूर्ति, उसकी चाल में अद्भुत त्वरा थी। स्कूल में पढ़ती थी, तो खेल-कूद में, दौड़ में सबसे आगे रहती थी। त्योहारों को नारी समाज में अद्भुत लय से नाचती थी। पूरे गांव में उसकी गतिविधियों की चर्चा होती थी। गांव में वह अकेली लड़की थी, जिसने दर्जा चार पास किया था। वह एक सामान्य घर की लड़की थी, किंतु उसकी विशेषताओं का बखान सुन कर एक बड़े घर के बाप ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा था। वह काफी खेती-बारी वाली ससुराल में आकर प्रसन्न थी। उसे पति, सास, ससुर सबका प्यार मिला था। सास-ससुर उसके आने के कुछ समय बाद ही संसार से विदा हो गए थे। वह पति के साथ प्रसन्न चल रही थी। समय से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छी खेती-बारी, अच्छा पति, और अब एक प्यारा-सा बेटा। उसे और क्या चाहिए था?

समय की गति किसने समझी है। वह अपने भीतर क्या-क्या छिपाए है, कब क्या कर देगा, कौन जानता है। एक दिन वह लकवा बन कर आया और शोभा के पांवों पर टूट पड़ा। पति ने बहुत दवा की, किंतु कुछ फर्क नहीं पड़ा। दुखी शोभा को पति ने समझाया- 'दुखी मत हो कैलाश की मां। ईश्वर की करनी पर किसका वश? तुम्हारे साथ मैं हूं न, कैलाश है न। घर के काम-काज के लिए नौकरानी रख दूंगा। कैलाश बड़ा हो जाएगा, तो उसकी पत्नी आ जाएगी और तुम्हें बहू का सहारा मिल जाएगा। कुछ दिनों तक शोभा अपने पैरों के अतीत को याद कर-करके चुपके-चुपके रोती रही, फिर वक्त से समझौता कर लिया। पति और बेटे के प्यार ने उसे संभाल लिया। कैलाश बहुत होनहार बालक निकला। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। एक-एक कक्षा प्रथम श्रेणी में पार करने लगा।

चित्र: नरेंद्रपाल सिंह

एक दिन फिर समय ने अपना क्रूर कारनामा दिखा दिया। शोभा के पति एक दुर्घटना के शिकार हो गए। अब तो शोभा का दुख हाहाकार करने लगा। धीरे-धीरे दुख कुछ शमित हुआ, तो खेतों के जुताने-बोवाने की समस्या सामने दहाड़ मारने लगी। इतने खेत! अब इनकी संभाल कैसे हो? कैलाश अभी दस साल का था। स्वयं पंगु थी। खेतों को जोतने-बोने का समय आया, तो वह कभी इस पट्टीदार से, कभी उस पट्टीदार से सहायता मांगने लगी। सभी लोग इनकार कर देते थे। सबके मन में यह लालच जाग गया कि अब यह असहाय औरत अपने खेत हमारे हवाले कर देगी, यानी बंटाई देगी और हम धीरे-धीरे उन खेतों पर कब्जा कर लेंगे। वे लोग स्वभाव से भी उजड्ड थे, इसलिए गांव के हलवाहों को भी उनका काम करने से मना कर दिया था। जो हलवाहा शोभा के यहां काम करता था, उसे भी धमका कर मना कर दिया।

एक दिन शोभा मन मारे बैठी थी। सोचती रहती कैसे क्या किया जाए? उसके सामने कैलाश की पाठ्य-पुस्तक रखी थी। उसे यों ही उलटने-पलटने लगी। एक पृष्ठ पर रामचरित मानस की कुछ चौपाइयां छपी थीं, जिनमें हनुमान का सागर-प्रसंग था। पढ़ते-पढ़ते उसने पढ़ा- 'का चुप साध रहा बलवाना।' उसकी दृष्टि इसी पंक्ति पर अटक गई। बार-बार इसे पढ़ने लगी। उसने अपने पांवों की ओर देखा। उसका अतीत कौंध गया। पांवों को संबोधित करती हुई बोली- 'का चुप साध रहा बलवाना?' उसे लगा कि उसके पांवों में जुंबिश हो रही है। वे कह रहे हैं- 'हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। हमारा इस्तेमाल करो।' वह जोश से भर गई। वह दो डंडों के सहारे चलती थी, पर अभी तक उसके चलने का क्षेत्र घर-द्वार ही था। दूसरे दिन वह डंडों के सहारे अपने खेत की ओर चल पड़ी। लोंगों ने आश्चर्य से देखा। वह अब रोज अपने किसी न किसी खेत की ओर जाने लगी। उसके हलवाहे को लगा कि उसने गलत काम किया है। किसी के धमकाने से उसने अपने मालिक का काम छोड़ रखा है। उसका हृदय उसे धिक्कारने लगा और मालकिन के पास आकर बोला- 'मैं आ गया हूं मालकिन।'

शोभा हलवाहे के साथ खेत की ओर निकल जाती थी। वह मेड़ पर बैठ जाती थी और खेत को जोताती-बोवाती थी। खेत से घर तक शोभा की सक्रिय गतिशीलता गांव वालों को चकित करने लगी। अब उसके पट्टीदारों की स्वार्थी उम्मीद ठंडी पड़ गई। अब शोभा निरुपाय नहीं थी, वह स्वयं में उर्जा बन गई थी। उसकी शक्ति के साथ उसका बेटा कैलाश भी तो था। अब शोभा के खेतों में उमड़ती हुई फसलों का उल्लास विरोधियों के मन में ईर्ष्या भर रहा था।

कार्तिक का स्नान था। गांव के तमाम लोग सरयू में नहाने चले गए थे। कैलाश भी गया हुआ था। शोभा के घर में दो चोर घुस आए। खटपट हुई, तो शोभा ने पूछा- 'कौन हो?' एक चोर बोला- 'चुप रह पंगुली, बहुत बोलेगी तो हाथ भी तोड़ दूंगा।' शोभा ने देखा कि वे निर्भीक होकर उसके घर के कीमती सामान समेट रहे हैं। फिर क्या था, उसने एक डंडा खींच कर एक को मारा, वह तिलमिला उठा। दूसरा डंडा दूसरे को मारा, वह भी तिलमिला उठा। शोभा डंडा मारती थी और जब तक चोर संभलें, डंडा उठा लेती थी। उसकी मार और आवाज से आसपास के दो-चार लोग भी जाग गए। चोर भाग गए। गांव के लोग जब नहा कर लौटे, तो उन्हें यहां बचे लोगों से शोभा की वीरता की कहानी ज्ञात हुई। सभी लोग शोभा के प्रति सम्मान भाव से भर आए और वह पंगुली भाभी या चाची से शोभा भाभी या शोभा चाची बन गई और एक जाती हुई जिंदगी अपने पूरे शबाब के साथ लौट आई थी। ❑

अनुवाद के कंधे पर बाजार

प्रसंग

देवशंकर नवीन

भारत की अपनी उत्पादन-क्षमता जैसी भी हो, पर वैश्विक संचार-व्यवस्था के कारण भारतीय बाजार में उत्पाद का कोई अभाव नहीं दिखता। यहां हर कुछ उपलब्ध है। जगजाहिर है कि किसी देश का बाजार उन्नत उत्पादन-क्षमता और मजबूत क्रय-शक्ति से समृद्ध होता है। उत्पादन-क्षमता का रिश्ता कौशल और संसाधन से है, जबकि क्रय-शक्ति का रिश्ता रोजगार और उपार्जन से। उपार्जन का तो पता नहीं, पर विज्ञापनों की चकाचौंध देख कर सामान्य अर्थशास्त्रीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी मान बैठा है कि इस वक्त उन्नत व्यावसायिकता के लिए भारत एक बेहतरीन बाजार है। क्रय-शक्ति बढ़ाने के स्रोत की शिक्षा का कोई उद्यम बेशक न दिखे, पर गाहे-बगाहे हमें प्रतीत कराया जाता है कि हम विकास के युग में जी रहे हैं। हम तेजी से विकास कर रहे हैं।

मनुष्य कितना भी तर्कजीवी हो जाए, अपनी बौद्धिक क्षमता पर उसे कितना भी भरोसा हो जाए, पर तथ्यतः हम इस समय कठपुतली का जीवन जीने को विवश हैं। कोई मदारी है, जो हमें नचा रहा है। हमारा जीवन अपने वश में नहीं है। सबहिं नचावत राम गोसाईं/ नाचत नर मर्कट की नाईं। यह नाच बाजार में हो रहा है। बाजार स्वयं अपने समय के बौद्धिकों पर आश्रित रहता है। पर तथ्यतः उन्हें अपने पराश्रय से उबरने का कौशल मालूम है। वे जिन पर आश्रित होते हैं, उन्हें खरीद लेते हैं। उनके इस कौशल का ही परिणाम है कि आज का मनुष्य हर पल बाजार में जीता है। समाज-व्यवस्था और टीवी चैनलों के हर आचरण से ऐसा स्पष्ट है। घर बैठा, भोजन करता, टीवी देखता मनुष्य अचानक मन ही मन बाजार पहुंच जाता है। नियति उसे अन्य कुछ सोचने की मोहलत नहीं देती। विज्ञापनों द्वारा उन्हें संतान और अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना आतंकित कर दिया जाता है; जीवन-मूल्य, राष्ट्र-मूल्य, संबंध-मूल्य की संवेदना जगा कर उन्हें इतना विह्वल कर दिया जाता है कि वह चाह कर भी घर में बैठ नहीं पाता। जेब अनुमति दे चाहे न दे, बेशक कर्ज ले, पर बाजार जाकर बलि का बकरा जरूर बन जाता है।

हर बाजार का प्राथमिक लक्ष्य क्रेता को सम्मोहित करना होता है। इस सम्मोहन के लिए भाषा अनिवार्य है। इसलिए जादुई सम्मोहन से भरी भाषा में उपभोक्ता तक पहुंचने की तरकीब व्यवसायियों ने भली-भांति अपना ली है। क्रेता की स्थानीयता के मद्देनजर वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय भाषाओं का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। व्यवसायियों की पारखी नजर जनता का मन टटोलती रहती है। उन्हें मालूम है कि जनता दूरदर्शन के चैनल देखे, उपभोक्ता-सेवा केंद्र से बात करे, अखबार में विज्ञापन देखे, पंपलेट पढ़े, ऑनलाइन खरीद करे... उसे अपनी भाषा सम्मोहित करेगी। इसलिए वैश्विक बाजार की बहुभाषिकता के मद्देनजर सारे के सारे व्यवसायी अनुवाद की डगर पर चल पड़े हैं। अनुवाद का बाजार इन दिनों वाकई गरम है।

अनुवाद का फैलाव अब जितनी दिशाओं में हो चुका है, उनमें यह समझना श्रेयस्कर होगा कि यह एक विशेष कौशल है। दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला हर व्यक्ति हर विषय के पाठ का अनुवाद नहीं कर सकता। मुक्त रूप से काम करने वाले अधिकांश अनुवादक सोचते हैं कि अनुवाद के लिए दो भाषाओं की जानकारी मात्र पर्याप्त है; पर ऐसी समझ अनुवादकीय शिष्टाचार की अधूरी समझ है। बेहतरीन अनुवाद के लिए स्रोत और लक्ष्य-दोनों भाषाओं की गहन समझ के साथ-साथ दोनों पाठों के भाषिक जनपद की संस्कृति और पाठ के विषय की गहन समझ आवश्यक है। व्यवसाय की गहन समझ जिन्हें नहीं है, वे साहित्य या तकनीकी या अन्य विषयों के पाठ के कितने भी सुदक्ष अनुवादक हों, उनका काम जोखिम भरा रहेगा ही। व्यवसाय और विज्ञापन की दुनिया के बड़े-बड़े कर्मियों की राय में भी सामान्य अनुवाद और व्यावसायिक अनुवाद में बड़ा फर्क है। जन-संपर्क, व्यापार के क्षेत्र की बुनियादी विशेषज्ञता हासिल किए बिना व्यावसायिक अनुवाद के क्षेत्र में कूद पड़ना घातक है।

चित्र: नरेंद्रपाल सिंह

हर व्यवसाय की विपणन पद्धति भिन्न होती है। विज्ञापन की सूक्ष्म समझ रखने वाले लोग जानते होंगे कि पुस्तक, दाल-चावल-आटा, घी-तेल-मसाला, शृंगारिक सामग्री, सरकारी योजना और धार्मिक घोषणाओं के विज्ञापनों की भाषा अलग-अलग होगी। जाहिर है कि इनके अनुवाद की विधियां भी भिन्न-भिन्न होंगी। उत्पादन-गृह (प्रोडक्शन-हाउस) की व्यावसायिक नीतियों को समझे बिना इन क्षेत्र-विशेष के पाठ का अनुवाद चुनौतीपूर्ण होगा। फेसबुक, वाट्स-ऐप, ट्विटर पर भ्रष्ट अनुवाद के उदाहरण अक्सर देखे जाते हैं। जरूरतमंद, कौशलविहीन भ्रष्ट अनुवादक धन-लोलुपता के चलते अक्सर अज्ञात क्षेत्रों के पाठ का अनुवाद कर डालते हैं। उत्पादक भी अक्सर न्यूनतम अनुवाद-शुल्क से काम चलाने के चक्कर में ऐसे अनुवादकों से काम करा लेते हैं। इससे उत्पादकों का व्यवसाय तो आहत होता ही है, अनुवाद-व्यवसाय भी संदेहास्पद होता है। इससे बचने की जरूरत है।

विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, बिक्री व्याख्यान, व्यावसायिक प्रचार की सामग्री के अनुवाद की अलग सावधानियां होती हैं। इन पाठों की सैद्धांतिकी और प्रासंगिक ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल कर कोई अनुवादक निश्चय ही व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सकता है। आखिरकार अनुवाद-कर्म भी एक व्यवसाय है, जिसमें किसी अनुवादक की विशेषज्ञता और बेहतर सेवा के बदले उनके ग्राहक उन्हें बेहतर भुगतान देते हैं। व्यापार संबंधी पाठ के अनुवाद के लिए अनुवादकों का रचनात्मक होना अनिवार्य है। स्थानीय भाषा में अनूदित प्रचार सामग्री पढ़ कर लक्षित उपभोक्ता जब तक मसूस न करे कि वह बात उसकी भाषा में कही गई है, अनुवाद निरर्थक है। इसलिए व्यावसायिक पाठ के अनुवाद के लिए दक्ष अनुवादकों की आवश्यकता होती है।

व्यापार, सूचना-तंत्र एवं जनसंपर्क का क्षेत्र जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन क्षेत्रों में अनुवाद की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्रों में विपुल सामग्री है, जिनका अनुवाद जरूरी है। दुनिया भर की उत्पादक कंपनियां अपने दस्तावेजों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में करवा कर वैश्विक बाजार में फैलना चाहती हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा की होड़ में सभी कंपनियों को जन-जन तक पहुंचने की जल्दी है। जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो उनका उत्पाद बासी हो जाएगा। उन्हें रोज-रोज अपने मुखपत्र, प्रेस विज्ञप्ति बाजार में पहुंचाने होते हैं। नए-नए ब्रांडों के विस्तार और अपनी व्यावसायिक नीति से क्रेता-समूह को सम्मोहित करना होता है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार-सामग्री उपलब्ध करवा कर लक्षित बाजार में वर्चस्व बनाना होता है। इसके साथ-साथ मुहिम ऐसी भी हो कि वातावरण अनुकूलित रहे, कोई ऊब न आए, क्योंकि यह प्रक्रिया निरंतर बनी रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ऐसे में अनुवादकों के दायित्व को तौलना तो सहज है।

विक्रेता को हर हाल में क्रेता की भाषा बोलनी पड़ेगी- यह व्यवसाय का निर्णायक दर्शन है। विगत कुछ दशकों में दुनिया भर के छोटे-बड़े व्यवसायी यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि अनुवाद उनकी व्यावसायिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। वैश्विक सूचना से आक्रांत बाजार के तंत्रजाल से हम भली-भांति परिचित हैं। पूरी दुनिया हमेशा हमारे सामने होती है। भौतिक दूरियों से अब हम आतंकित नहीं होते। ई-कॉमर्स हमारी दिनचर्या को प्रभावित और कुछ हद तक निर्देशित करने लगा है। ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे जीवन में प्रविष्ट है। पर ऐसे ग्राहकों की अब भी कमी नहीं है, जो अपनी बोली के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं जानते, इसीलिए हर लघु और मध्यम फलक के व्यवसायी अपनी वेबसाइट पर स्थानीय बाजारों की क्षेत्रीय भाषाओं की ओर उन्मुख हैं। सर्वेक्षण से तथ्य सामने आ चुका है कि क्रेता को किसी उत्पाद की सारी जानकारी जहां उपलब्ध होगी, वह वहीं से सामान खरीदेगा। व्यवसायी सुनिश्चित कर चुके हैं कि ग्राहकों का भाषा संस्कार बदलने की प्रतीक्षा करते हुए समय नष्ट करने और अपने व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमें ग्राहकों को उनकी भाषा में रिझाना चाहिए। वैश्विक बाजार में लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रचार सामग्री के अनुवाद से अधिक तेज और कुशल तरीका व्यवसायियों को कोई नहीं दिखता।

व्यावसायिक प्रचार सामग्री को स्थानीय बनाने से निस्संदेह उत्पाद की पहुंच उपभोक्ता तक होती है; इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित होता है कि क्रेता तक सर्वाधिक पहुंच बनाने में कौन-सी भाषा सर्वाधिक सहायक होगी। आमतौर पर सीमांत क्षेत्र के क्रेता की भाषा छोटी-छोटी कंपनियों के लिए लाभप्रद होती है, पर लक्षित बाजार के लिए मुद्रण और वितरण की लागत का ध्यान भी उन्हें रखना होता है। नए बाजार में आते ही नए ग्राहक अपनी स्थानीय भाषा में ग्राहक-सेवा सामग्री की अपेक्षा करने लगते हैं। शुरू-शुरू में यह कंपनी के बजट को प्रभावित अवश्य करता है, पर शीघ्र ही उसकी लाभप्रद परिणति सामने लगती है। ऐसा तभी लाभप्रद होगा, जब प्रभावी अनूदित पाठ बाजार में रहेगा। ❑

त्रिविध कर्म और कर्ता

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर

वैदिक त्रैतवाद के सिद्धांत पर आधारित समस्त संसार में व्याप्त मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को तीन सात्विक, राजस तथा तामस गुणों के आधार पर देखा जाता है। वैदिक त्रैतवाद परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति को अनादि मानता है। तीनों का ही अस्तित्व बिल्कुल एक-दूसरे से अलग है। सात्विक, राजस, तामस तीनों गुण प्रकृति के हैं। परमात्मा ने प्रकृति को इन तीनों गुणों के आधार पर ही कर्म और कर्ता के भी तीन-तीन भेद किए हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर सात्विक, राजस तथा तामस कर्मों का निर्धारण होता है और इन तीनों गुणों के आधार पर ही कर्म किया जा सकता है या कहा जा सकता है कि कोई भी कर्म इन तीनों गुणों के बाहर नहीं है। इन तीनों गुणों के आधार पर जो कर्म किया जाता है वह बंधनकारी ही होता है और अगर कोई जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सात्विक गुणों को ग्रहण कर अंत में उन सात्विक गुणों तथा संस्कारों को भी निर्मूल नष्ट करना होगा, तभी वह मोक्ष का आनंद ले सकेगा। आज समस्त संसार में राजस तथा तामस कर्म की अधिकता दिखाई देती है। सात्विक कर्म करने वाले भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। इस भौतिकवादी युग में अर्थ और काम का चिंतन तथा उसे पूरा करने की अंधी दौड़ लगी हुई है, इसीलिए हिंसा, अहंकार, वासना, बेईमानी और केवल धन प्रमुख रह गया है। संबंध छोटे और कच्चे हो गए हैं। संबंधों का आधार लोभ, लालच या काम निकलवाना ही रह गया है।

नियतं सडगरहितमरागलेषतः कृतम/ अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते॥ (गीता) यानी जो कर्म आसक्ति रहित किया गया हो, सफलता के बदले कोई फल चाहने वाले द्वारा न किया गया हो तथा राग द्वेष से दूर होकर किया गया हो और जो ऋषि-मुनियों द्वारा शास्त्र मर्यादा अनुसार नियमबद्ध हो वह कर्म सात्विक श्रेणी में आता है। भारतीय समाज बड़ा ही धार्मिक समाज है। वह अधिकतर कर्म परमात्मा को याद कर तथा उसी के नाम पर आरंभ और अंत करता है, जो कि स्वभाव में सहनशक्ति (टॉलरेंस) और आत्मिक बल को बढ़ाता है। यही कारण है कि भारतीय शासकों तथा समाज ने कभी अनैतिक रूप से या धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म तथा देश पर अपनी विचारधारा थोपने का काम नहीं किया है। हमारी सत्य सनातन परंपरा तथा संस्कार शाश्वत अनादि हैं क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया है और समूचे विश्व में केवल हम हैं, जिन्होंने इस ज्ञान तथा धर्म को बचा कर रखा हुआ है।

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः/ क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदा हृतम्॥ (गीता) यानी जो कर्म अनेक प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे जीवन को वैभवशाली, अनेक साधनों और संसाधनों को पूरा करने के लिए तथा अहंकार की पूर्ति के लिए किया जाए, अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए केवल अपने सुख की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाए, वह राजस श्रेणी में आता है। लोकेषणा अर्थात लोक में प्रसिद्धि, ऊंचा नाम, लोगों में वाहवाही या आत्मप्रसंशा के लिए ही चारों ओर दिखाई देती है। वितेषणा अर्थात व्यक्ति पूरे दिन, महीने तथा सालों इतनी मेहनत करता है कि रात दिन का भी ध्यान नहीं रखता है, न ही अपने शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता है और उस मेहनत के बदले उसे केवल धन की प्राप्ति होती है। जब वह धन मिलता है तब तक वह अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खो देता है और आत्मिक संतोष तो मिल ही नहीं पाता है तथा वह पारिवारिक सुख से भी वंचित रह जाता है। राजस कर्म करने में केवल अहंकार की संतुष्टि होती है। आत्मसंतुष्टि नहीं होती है।

अनुबंधं क्षयं हिंसामनवेक्ष्ये च पौरुषम्/ मोहादारभ्यते कर्म यततामसमुच्यते॥ (गीता)

समझौता करके, परिणाम के परिणाम तथा उनके परिणाम,

अपना लाभ दूसरों की हानि, अन्यों के प्रति हिंसा, अन्याय तथा अपनी शक्ति पुरुषार्थ का ठीक-ठीक नाप न करके, मूर्खतावश जो कर्म किया जाता है, वह तमोगुण कहलाता है। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि 'अपना काम बनता दन दना दन जनता'। केवल अपना काम बनना चाहिए, चाहे दूसरे का काम बिगड़ जाए या बिगाड़ दिया जाए, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। चारों तरफ हिंसा, क्रूरता, भ्रष्टाचार तथा मूर्खता के कारण आज समाज में अशांति तथा परिवार में कलह और परिवारों के बिखरने का कारण बन रहा है। तामस कर्म का त्याग कर मन में सुख, शांति तथा प्रसन्नता के लिए सात्विक तथा उच्च श्रेणी के राजसी कर्म करने से गृहस्थ जीवन अच्छे प्रकार से चलता है। पूर्ण सात्विक कर्म होने से भी समाज, परिवार और राष्ट्र नहीं चल सकता है, इसलिए जीवन को चलाने के लिए बुद्धि पूर्वक संतुलित सात्विक तथा राजस कर्मों को करना चाहिए और वह तामसिक कर्म भी ठीक है, जहां अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे का बुरा न होता हो। इन्हीं तीनों कर्मों के आधार पर तीन कर्ता भी होते हैं।

मुक्त संगोडनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः/ सिद्धयसिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते॥ (गीता)

आसक्ति रहित 'मैंने यह किया मैंने वह किया' इस प्रकार के अहंवाद से शून्य जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, जो धैर्य तथा उत्साह के साथ कर्म करता है तथा बुद्धि पूर्वक कर्म करने के बाद जो भी परिणाम होता है, चाहे सफलता हो या विफलता उस स्थिति में स्थिर तथा निर्विकार रहता है, ऐसा कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता कहलाता है। इस प्रकार की श्रेणी का व्यक्ति सदैव प्रसन्न तथा आनंद में रह कर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सुखपूर्वक भोगता है। जीवन में संतोष, अहिंसा, सत्य, तप, स्वाध्याय आदि योग के नियम मनुष्य को सात्विक बनाने में सहायक होते हैं।

रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोडशुचिः/ हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ (गीता) अर्थात अलग-अलग पदार्थों में राग रखने वाला, उत्तम कर्म करके उसके फल की कामना करने वाला, लोभी, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हिंसा, बुरे कर्म तथा फल प्राप्ति में हर्ष और फल हानि में शोक मानने वाला कार्यकर्ता रजोगुण कार्यकर्ता कहलाता है। फल की इच्छा रखते हुए कर्म को करना और वह भी अपनी स्वार्थ के लिए और जो कर्म नहीं करना चाहिए, वह केवल इसलिए करना कि धन या अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति होगी, यह सभी कर्म सुख के साथ-साथ बड़े दुख के भी कारण होते हैं, क्योंकि इन कर्मों में स्वार्थ तथा लोभ छुपा होता है। अत्यधिक कामनाओं की पूर्ति में हमेशा लगे रह कर कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखना, व्यक्ति को व्यस्त तो रखता है, लेकिन संतोषी स्वभाव ही सुख कारक होता है। जीवन पल-पल निकलता चला जाता है और अंत में केवल भौतिक सफलता के अलावा हाथ खाली रह जाते हैं और भौतिक सफलता यहीं रह जाती है।

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोडलसः/ विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ (गीता) युक्ति पूर्वक सोच-विचार कर कर्म न करने वाला, साधारण भावनाओं वाला अर्थात ऊंची भावनाओं से न प्रेरित, घमंडी, दुष्ट, बदला लेने के स्वभाव वाला, आलसी, उत्साहहीन, और दीर्घ सूत्री अर्थात हर काम को टालने वाला, इस प्रकार के स्वभाव से युक्त कर्म करने वाला कार्यकर्ता तामस कार्यकर्ता कहलाता है। इस प्रकार के लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है तभी तो राष्ट्र में हिंसा, किसी भी काम में निपुणता तथा कुशलता का अभाव दिखाई देता है। अगर आप देश में सड़क, पुल, इमारतों तथा कहीं भी कोई भी विकास देखेंगे तो उसमें कार्य की कुशलता दिखाई नहीं देती है। सड़क नई होने के बाद भी उबड़-खाबड़ है, फुटपाथ पर कोई चल नहीं सकता, पुल कुछ ही वर्ष में जर्जर हो जाते हैं। न सफाई है और न ही सुंदर शहर हैं। सभी व्यवस्थाएं अधूरी और बदसूरत दिखाई देती हैं। कारण यही है कि तामस कर्म करने वालों के हाथ में ये सभी कर्म दे दिए गए हैं, इसीलिए परिणाम सुखद और सुंदर नहीं होते हैं। उत्तम नैतिक योग शिक्षा जब तक विद्यालयों का अंग नहीं होगी, तब तक कर्म में कुशलता का आना संभव नहीं होगा। समाज, परिवार, राष्ट्र, व्यक्ति सुखी, संपन्न तथा स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि देश योग शिक्षा को अपनाए। ■

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

जन्म : 30 दिसंबर, 1887
निधन : 8 फरवरी, 1971

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनीतिज्ञ, लेखक और शिक्षाविद थे। वे लोगों के बीच केएम मुंशी के नाम से लोकप्रिय थे।

केएम मुंशी का जन्म गुजरात के भरूच में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भरूच में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे बडोदरा चले गए। बडोदरा कॉलेज से 1907 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अधिकतम अंक प्राप्त करके, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ 'कुलीन पुरस्कार' प्राप्त किया। बडोदरा कॉलेज में अपने शिक्षकों में वे श्री अरबिंदो घोष से बहुत अधिक प्रभावित थे। बाद में वे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और भुलाभाई देसाई से भी प्रभावित हुए। 1910 में उन्होंने मुंबई से कानून की पढ़ाई की, इसके बाद बांबे हाई कोर्ट में वकालत करने लगे।

शख्सियत

स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी

केएम मुंशी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में भारतीय होम रूल आंदोलन में शामिल हुए और सचिव बने। 1917 में वे बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के सचिव बने। 1920 में, उन्होंने अमदाबाद में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित हुए। फिर 1927 में बांबे विधानसभा के लिए चुने गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और छह महीने जेल में रहे। 1932 में वे फिर से गिरफ्तार हुए और दो साल जेल में रहे। 1937 के बांबे प्रेसिडेंसी चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया और वे वहां के गृहमंत्री बने। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया। मतभेदों के कारण 1941 में कांग्रेस छोड़ दी, बाद में महात्मा गांधी के कहने पर 1946 में वापसी कर ली।

संविधान निर्माण में योगदान

केएम मुंशी का संविधान निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वह मसौदा समिति, सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों पर उप-समिति सहित कई समितियों का हिस्सा रहे। वे राष्ट्रीय ध्वज समिति के भी सदस्य रहे, जिसने वर्तमान भारतीय ध्वज को चुना। वे बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में कार्यरत भारतीय संविधान समिति के सदस्य थे।

केएम मुंशी पर्यावरणविद भी थे। केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने 1950 में देश में 'वनमहोत्सव' की शुरुआत की। मुंशी ने 1952 से 1957 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1959 में कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया और बाद में जनसंघ में शामिल हो गए।

स्कूल-कॉलेजों की नींव

7 नवंबर, 1938 को उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। इससे बाद उन्होंने मुंबादेवी संस्कृत महाविद्यालय सहित दर्जनों स्कूल कॉलेजों की नींव रखी। वे इकतीस साल तक भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष भी रहे।

लेखक और पत्रकार

केएम मुंशी प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार भी थे। वे घनश्याम व्यास के नाम से गुजराती और अंग्रेजी में लिखते थे। उन्होंने गुजराती मासिक 'भार्गव' की शुरुआत की। 1954 में 'यंग इंडिया' के संयुक्त संपादक भी रहे। उन्होंने प्रेमचंद के साथ मिल कर हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका 'हंस' का संपादन भी किया। उन्होंने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में एक सौ सत्ताईस पुस्तकें लिखीं। वे गुजराती के श्रेष्ठ साहित्यकार रहे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी आदि विधाओं में लिखा। केएम मुंशी गुजराती साहित्य परिषद और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे।

सम्मान और पुरस्कार

केएम मुंशी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया।

निधन : कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का देहांत 8 फरवरी, 1971 को हो गया। ■

मौसमी रायते

भारतीय घरों में रायता दैनिक आहार में शामिल होता है। भोजन कुछ भी बने, उसके साथ रायता अवश्य परोसा जाता है। सर्दी के मौसम में मसालेदार और तली-भुनी चीजें खाने का मन कुछ अधिक होता है और बाकी मौसम की अपेक्षा ऐसी चीजें खाई भी अधिक जाती हैं, उसमें रायते से भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है। खासकर परांठे आदि के साथ रायते का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। यों चावल-दाल, रोटी-सब्जी के साथ भी रायते का मेल अच्छा बैठता है। इस बार कुछ मौसमी रायते।

दाना-पानी

मानस मनोहर

रायता बनाना सबसे आसान काम माना जाता है। दही को फेंटा या मथा और उसमें कोई सब्जी या फल घिस कर डाल दिया, कुछ नहीं, तो बूंदी डाल कर रायता बना लिया। मगर वास्तव में रायता बनाना भी खासे कौशल की मांग करता है। पहले तो यह जानना जारूरी है कि दही के साथ किस चीज का मेल ठीक रहता है और क्या चीज उसमें मिल कर पेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे दही के साथ प्याज का मेल ठीक नहीं होता। उसी प्रकार रायते में कोई भी फल नहीं डालना चाहिए। रायते के लिए कुछ शाक उत्तम होते हैं, जैसे पालक और बथुआ। सर्दी में कुछ मौसमी सब्जियां भी रायते के लिए उत्तम मानी जाती हैं, जैसे गाजर और चुकंदर।

फिर रायते के सेवन को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। रात को रायता खाने से परहेज करना चाहिए। दोपहर के भोजन में तड़का लगा रायता स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज रहती हो, उन्हें किसी भी वक्त रायता खाने से परहेज करना चाहिए। अगर वे चाहें तो छाछ में जीरा, अजवाइन और लहसुन का तड़का लगा कर बना रायता दोपहर को ले सकते हैं।

रायता बनाने के लिए, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, राई का इस्तेमाल जरूर करें, इससे स्वाद बढ़ जाता है। राई यानी पीली सरसों को चार-पांच घंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर निथार कर उसे कूट या पीस लें। फिर कम से कम एक घंटे के लिए ढंक कर रख दें। जब रायता बनाएं, तो उसमें एक छोटा चम्मच इसे डाल दें।

बथुए का रायता

सर्दी में रायता बनाने के लिए बथुआ सबसे उत्तम शाक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बथुआ अत्यंत गुणकारी शाक है। जिन्हें कब्ज रहती हो, वे भी बथुए का उपयोग कर सकते हैं। यह खून को साफ करता है, जिससे कील-मुंहासे आदि की समस्या दूर होती है। बथुए का उपयोग आम घरों में खूब होता है। मगर थोड़ा रोचक तरीके से इसका रायता बनाएं, तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। बथुए का कोई भी व्यंजन बनाना हो, तो सबसे पहले इसे सावधानी से साफ करना चाहिए। इसके पत्तों और नरम हिस्से का ही उपयोग करें। फिर तीन-चार बार पानी से धोकर साफ कर लें।

रायता बनाने के लिए बथुए को नमक मिले पानी में पांच मिनट के लिए ढक्कन लगाए बगैर उबाल लें और फिर छान कर तुरंत ठंडे पानी में डाल कर कुछ देर छोड़ दें। इससे बथुए का हरापन भी बरकरार रहता है और इसके पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं। फिर छान कर इसे मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें।

अब एक बर्तन में बथुए की मात्रा के बराबर ही दही लें और बथुए वाले मिक्सर में ही डाल कर एक बार चला लें। रायता बन गया। अब इसमें जरूरत भर का नमक (अगर आधा सफेद और आधा काला नमक लें, तो स्वाद बढ़ जाता है), अपने स्वाद के अनुसार कुटी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच राई का पेस्ट, एक छोटा चम्मच भुना-पिसा जीरा डालें और सबको ठीक से मिला लें।

अब इसमें तड़का लगाना जरूरी है। तड़के के लिए एक चम्मच घी गरम करें, उसमें राई, जीरा, अजवाइन, दो-तीन बारीक कटी लहसुन की कलियां और आधा चुटकी हींग डालें और तड़का तैयार कर रायते में डाल दें। ऊपर से आधा छोटा चम्मच चाटमसाला डालें और सब कुछ को अच्छी तरह मिला लें और परोसें।

गाजर का रायता

बथुए की तरह गाजर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गुणकारी सब्जी है। इसका रायता बहुत स्वादिष्ट बनता है और परांठे आदि के साथ इसका मेल उत्तम रहता है।

गाजर का रायता बनाने के लिए पहले गाजरों को हल्का छील कर अच्छी तरह धो लें। अब एक मध्यम आकार के गाजर को कद्दूकस करके अलग रख लें। बाकी के दो-तीन गाजरों को चाहें तो मोटा-मोटा काट लें। कटे हुए गाजरों को अच्छी तरह उबाल कर पका लें। फिर अंत में घिसे हुए गाजर को भी इसी में डाल दें, ताकि यह थोड़ा नरम हो जाए। अब बड़े टुकड़ों को निकाल कर मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें और कद्दूकस किए हुए गाजर को अलग कटोरी में रखें। पिसे हुए गाजर में बराबर मात्रा में दही डालें और एक बार मिक्सर को चला लें। अब इस रायते को निकाल कर नमक, लाल मिर्च, भुना-पिसा जीरा, चाट मसाला डालें और ठीक से मिला लें। इसमें भी उसी प्रकार तड़का लगाएं और परोसें, जैसे बथुए के रायते में लगाया था। ■

दांतों की देखभाल

सेहत

ज्यादातर लोग मुंह की स्वच्छता के महत्त्व से अनजान होते हैं, इसलिए वे मुंह और दांतों की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कमोबेश यह हाल सभी देशों का है। अमेरिका में करीब बानबे फीसद लोग दांतों की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, वहीं भारत में साठ से पैंसठ फीसद जनसंख्या दांतों की खराबी से प्रभावित है।

दांतों में दर्द या सड़न होने पर अधिकतर लोग बिना दंत चिकित्सक की राय के दर्द की दवा ले लेते हैं। दर्द की दवा से थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिलती है, पर समस्या जस की तस बनी रहती है। यही नहीं, समय के साथ दांतों की सड़न भी बढ़ती जाती है। दांतों की सड़न सिर्फ दांतों को नहीं, हृदय को भी प्रभावित करती है। एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूट इंफेक्शन यानी खराब दांत के स्वास्थ्य से हृदय रोगों सहित कई संबंधित जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित शोध के मुताबिक, मुंह का संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है।

इसलिए दांतों में होने वाली बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बीमारी दांतों में लग गई है, तो तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श लें, क्योंकि जरा-सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है।

कारण

कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट और अन्य प्रोसेस्ड फूड में चीनी और नमक दोनों की अधिकता होती है, जो मुंह की समस्या यानी दांतों और मसूढ़ों की समस्याओं को जन्म देता है। दरअसल, मुंह में बैक्टीरिया बेकार उत्पादों (या एसिड) को उत्पन्न करते हैं, जो दांतों में छोटे छिद्र कर देते हैं। यह दंतक्षय का पहला चरण होता है। सही समय पर इसका इलाज करवा लेना चाहिए, अन्यथा एसिड दांतों में प्रवेश करके उन्हें अंदर से नष्ट कर देता है।

समस्याएं

सांस में बदबू

खाने के बाद ब्रश नहीं करने, मुंह की सफाई नहीं होने और सही ढंग से ब्रश नहीं करने के कारण यह समस्या होती है। पायरिया में भी सांसों की बदबू की परेशानी होती है। बदबू से छुटकारा पाने के लिए नियमित ब्रश करें और गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता तो डॉक्टर से परामर्श लें।

दांतों की कमजोरी

सफाई की कमी और दांतों में पिन वगैरह डालने और सड़न की वजह से दांत कमजोर होते हैं। सही तरीके से ब्रश नहीं करने के कारण भी दांत कमजोर होते हैं।

तुरंता आहार

बड़े शहरों में एक बड़ा तबका तुरंता आहार यानी जंक फूड का प्रेमी है। जंक फूड की खपत अधिक होने के कारण स्कूली बच्चों में यह समस्या काफी अधिक है। दांतों का खराब होना कैरीज इनेमल पर एसिड की क्रिया के कारण होती है। एसिड तब पैदा होता है, जब दांत की सतह पर प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ खाद्य पदार्थ या पेयों में मौजूद शुगर (मुख्य रूप से सुक्रोज) प्रतिक्रिया करता है। उत्पादित एसिड इनेमल में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी का कारण बनता है। इसलिए न सिर्फ बच्चों को, बल्कि बड़ों को भी जंक फूड और प्रोसेस्ड भोजन खाने से बचना चाहिए।

दूध और दूध से बनी चीजें

हम सभी जानते हैं कि दूध और दूध से बनी चीजों में कैल्शियम और प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन और कैल्शियम दांतों की मजबूती और इनेमल बनाने में मददगार होते हैं। यही कारण कि ज्यादातर दंत चिकित्सक खाने में दूध और दूध से बनी चीजों को शामिल करने की सलाह देते है।

मीठा से करें परहेज

मीठा खाने के बाद दांतों को साफ जरूर करें। कारण कि जब दांत मीठा चबाते हैं, तो वह टूट कर दांतों पर चिपक जाता है और दांतों में सड़न पैदा कर देता है। इसलिए किसी तरह की कैंडी खाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत चॉकलेट खाया जा सकता है, क्योंकि यह दांतों पर चिपकता नहीं है और साफ पानी से धोने पर आसानी से निकल जाता है।

खूब पानी पीएं

आपके दांतों की सलामती में पानी भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए पानी ऐसा पीएं जिसमें सारे खनिज मौजूद हों।

कुछ उपाय

- सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें।
- दिन में दो बार ब्रश और एक बार फ्लॉसिंग करें। दांतों की सफाई प्लाक और बैक्टीरिया के निर्माण को रोकने में मदद मिलती है।
- ब्रश करने के बाद जीभी से जीभ को भी साफ करना न भूलें।
- मसूड़ों से खून आने या सूजन होने पर दंत चिकित्सक की राय लें।
- दांतों में सेंसटिविटी होने या कैविटी होने या दर्द पर दंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं।
- हर छह महीने में अपने दांतों की जांच करवाएं।
- साल में दो बार डेंटल क्लीनिंग करवाएं। ऐसा करवाने से समय रहते ही दांतों की बीमारी प्रारंभिक चरण में ही पकड़ी जाती है और उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। ■

नए जमाने का चलन

फैशन हर महीने बदल जाता है, तो हर महीने महंगे कपड़े तो नहीं खरीदे जा सकते न! ऊपर से शादियों का मौसम, समझ ही नहीं आता कि क्या पहनें और क्या नहीं। फिर इस बात की चिंता कि अरे ये तो पिछली बार ही पहना था, इसे फिर से पहना तो न जानें लोग क्या कहेंगे ऊपर से ये पुराना फैशन। तो फिर क्या करें, क्यों न कपड़े किराए पर ले लें। जी हां, पिछले कुछ समय से बाजार में कई ऐसे स्टोर आ चुके हैं, जहां पार्टी और शादी-ब्याह के लिए कपड़े किराए पर मिलते हैं। ऐसे स्टोरों और उनके कायदों के बारे में बता रही हैं अनीता सहरावत।

बदलते फैशन की बात करें तो हम फैशन के उस दौर में हैं, जहां आज नया कल के लिए पुराना है। वहीं आज के युवा अपनी आलमारी (वार्डरोब) को बहुत सोच-समझ कर भरते हैं। क्योंकि स्टाईल इतना सस्ता भी नहीं है। और जब बात हो परंपरागत और पार्टी के लिए कपड़ों की तो कंजूसी और भी बढ़ जाती है। कारण कि कैजुअल वियर को आप घूमने-फिरने, बाहर आने-जाने में रोजाना पहनकर खपा सकते हैं। यही नहीं पुराना हो जाने पर घर पर भी पहन सकते हैं। लेकिन पार्टी वियर कपड़ों के साथ यह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये मौसमी नहीं, मौकापरस्त कपड़े होते हैं जिनकी जरूरत रोज-रोज नहीं होती। ये कपड़े देखने में जितने भारी-भरकम होते हैं उतना ही मुश्किल होता है इन्हें ज्यादा देर तक पहने रखना। हालांकि ये महज कुछ घंटो का स्टाईल होता है, लेकिन नखरें मत पूछों। उसके बाद इन कपड़ों की अगली मंजिल सिर्फ अलमारियां और संदूकें ही होती हैं। लेकिन ये असल परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि ये बजट फ्रेंडली (बजट में आने वाली) नहीं है। क्यों?

दावतों का मौसम

ये सीजन सर्द हवाओं का ही नहीं, शादी, शगाई और पार्टियों की दावत का भी है। और दावत के लिए सबसे पहले ड्रेस होनी जरूरी है। इन ड्रेसेज से सजना पूरी तरह आपकी जेब पर निर्भर है। हजारों से शुरुआत करने वाले इन कपड़ों की कीमतों का कोई आखिरी छोर नहीं है। पांच सौ, हजार रुपये के कपड़ों को भी हम खत्म होने की हद तक पहनते हैं। ऐसे मे हजारों की कीमतों से खरीदे जाने वाले ये शौकिया कपड़े महज दो-चार पार्टियों से ज्यादा जगह काम नहीं आते। उसके बाद ये ताउम्र रखे रहते हैं, जिन्हें देखकर हम हर बार आह भरते है कि अब इस महंगे शौक की जगह संदूक के अलावा कहीं नहीं। इतना ही नहीं इन महंगे कपड़ों को सहेज, संभालकर रखना भी आसान नहीं। ये रखे-रखे भी खराब हो जाते हैं और हमें मलाल रहता है कि बेकार ही बजट बिगाड़ कर इसकी खरीदारी की।

लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं, बाजार के पास सारे जुगाड़ और जवाब है। वो डिजाइनर ड्रेसेज लहंगा-चोली, साड़ियां, शेरवानी, कुर्ता-पायजामा जो सेलिब्रिटीज का लुक निखारते हैं, अब आपकी पहुंच से बाहर नहीं। साथ ही इन्हें खरीदने और सहेजने की टेंशन भी खत्म। दोहराव की जरूरत ही नहीं, हर बार एक नया स्टाईल और लुक, वो कैसे?

किराए पर खरीदें अपने पंसदीदा परिधान

ये ट्रेंड ज्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन पिछले एक दशक से ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे स्टोर्स की गिनती में इजाफा हो रहा है जो किराए पर कपड़े देते हैं। और ऐसे ग्राहको की संख्या भी बढ़ी है जो इस नए ट्रेंड को फॉलो कर रहे है। सिर्फ पार्टी, समारोह में आने वाले मेहमान ही नहीं बल्कि दुल्हा-दुल्हन, या दूसरी पार्टियों के खासमखास भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए अब ये किराए की ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानें किफायती दामों पर कपड़े मुहैया करा रही हैं। हांलाकि हमारे यहां कोरा कपड़ा पहनने या किसी का पहना हुआ कपड़ा पहनने संबंधी कई रिवाजे हैं जिनसे कुछेक लोग इस नए उगते रिवाज को अपनाने से हिचकते है लेकिन बढ़ती मंहगाई और किफायत ने इस सोच को पीछे धकेल दिया है। हांलाकि पहले सिर्फ बच्चों के स्कूल में फैंसी कपड़ों की प्रतियोगिताओं और दूसरे कार्यक्रमों के लिए ही दुकानों पर किराए पर कपड़े मिलते थे। लेकिन अब यहां सब के लिए तरह-तरह के कपड़ों व ड्रेस मौजूद है। शायद ये विचार इसी सोच की उपज है।

क्योंकि ये विचार केवल बजट फेंडली ही नहीं है बल्कि कपड़ों से जुड़ी कई परेशानियों का हल भी है। साथ ही डिजाइनर कपड़े खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मंहगे शौक हर कोई नहीं पाल सकता। ऐसे में अगर आपकी जेब के हिसाब से आपको बेहतरीन विकल्प मिल जाए तो अपनाने में गुरेज कैसा। इतना ही नहीं इस नए ट्रेंड्स में कई और ऐसी खास बातें हैं जो इसे लोकप्रिय बना रही हैं। मसलन जब हम कोई ड्रेस चुनते हैं तो उससे जुड़ी मैचिंग गहनें, जूते-चप्पल, सैंडिल और भी बहुत सारी चीजों के लिए बाजार की भागदौड़ करनी पड़ती है जो काफी सरदर्दी का काम है। इतना ही नहीं इतनी सारी खरीदारी में आपके कई दिन और समय भी काफी बरबाद होता है। ऐसे में एक छत के नीचे एक ही दिन में सबकुछ मिल जाता है, इतना ही नहीं इन सारी मशक्कत में विशेषज्ञ आपकी मदद भी करते है ताकि आप खुद के लिए सही फिटिंग, स्टाईल और बेहतरीन लुक वाले ड्रेस और उससे जुड़ी चीजों का चुनाव कर सकें। यही नहीं लड़के-लड़कियां दोनों ही इन स्टोर्स पर मौके के हिसाब से ड्रेसेज चुन सकते है। इन स्टोर्स पर आपकी फिटिंग के हिसाब से ड्रेस तैयार करके भी दिए जाते हैं।

कुछ कायदे भी हैं इस सजावट के

ये स्टोर्स फैशन के हिसाब से चलते है लेकिन इनके कुछ नियम-कायदे भी है। ये स्टोर्स कपड़ों को किराये पर देने से पहले आपसे कुछ एडवांस पैसा भी लेते है, ताकि कपड़े लौटाते समय किसी तरह की गड़बड़ या धोखाधड़ी न हो।

इसके अलावा एक जरूरी नियम यह भी है कि कपड़े डाईक्लीन कराकर ही वापस लौटाएं। हांलाकि कई स्टोर्स ये कीमत बिल में ही एडजस्ट कर देते है। पहने-ओढ़ने या डाईक्लीन कराते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कपड़ा और उस पर की गई कारीगरी खराब न हो, नहीं तो स्टोर उसके डैमेज और रिपेयर की कीमत आपसे वसूलेगा। स्टोर एक्सपर्ट कपड़े चेक करते हैं कि उनमें कोई ऐसी खराबी तो नहीं आई है जिसे सुधारना मुमकिन नहीं, असली कपड़े को डुप्लीकेट से बदलना या चोरी हो जाना या ना लौटाने की सूरत में आपको ड्रेस की पूरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर ऑनलाइन कपड़ा किराए पर लिया है तो उसके वेयर हाउस में पहुंचने पर एक्सपर्ट ड्रेस को चेक करते हैं।

अगर आपको अपना आर्डर कैंसल करना है तो इसकी भी एक समय सीमा होती है, उससे देरी होने पर आपसे कैंसेलेशन शुल्क वसूला जाएगा।

अगर आप तय समय सीमा पर कपड़े नहीं लौटाते तो ड्रेस की एमआरपी पर 5 से 10 प्रतिशत लेट फीस आपसे वसूला जाएगा।

विश्वव्यापी चलन

किराए पर कपड़े खरीदने के इस चलन को देखते हुए यहीं लगता है कि आने वाला समय इसी ट्रेंड का होगा। और देखत-देखते यह ट्रेंड ग्लोबल फैशन बन जाएगा। लेकिन इसके लोकप्रिय होने की वजह सिर्फ इसकी जेब से दोस्ती नहीं है बल्कि चुनिंदा कपड़ों और साजो-सामान की गुटबंदी भी है। तो स्वागत करिए बाजार के इस मेहमान का और अलमारी में जगह बनाइए, भारी-भरकम परंपरागत कपड़ों के लिए नहीं बल्कि अपने पसंदीदा कैजुअल्स और दूसरे स्टाइल के कपड़ों के लिए। ❑

नन्ही दुनिया

रुनू को मत रुलाना

कहानी

मोहम्मद अरशद खान

रुनू रोने लगी।

रोती रही, रोती रही। उसके आंसू गिर कर कमरे में फैलने लगे। हर ओर पानी ही पानी हो गया। पहले तो पानी दरवाजे की दराजों से भागा। पर पतली-सी दराज से पानी कहां तक निकल पाता? जल्दी ही कमरा लबालब हो गया और पानी खिड़कियों से झरने की तरह गिरने लगा।

दरवाजे दबाव न सह पाए, तो एकाएक खुल गए और पानी हिलकोरे लेकर सड़क पर बह चला। पानी में रूनू की 'चर्र-चूं' करने वाली पीली बतख भी तैर गई।

बाहर सड़क पर जा रही दो भैंसें घबरा कर किनारे की ओर भागीं। लेकिन बाढ़ के रेले की तरह दौड़े आ रहे पानी से वे बच न सकीं। पानी में वे ऊपर से नीचे तक डूब गईं। पर जल्दी ही तैर कर उन्होंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। उमस भरी गर्मी में वे नहाने के लिए नदी तक जा रही थीं। लेकिन पानी में पूरा भीग कर भी उन्हें खुशी नहीं हुई, क्योंकि खारा पानी शरीर में चिकोटियां काट रहा था।

पानी की मोटी-सी धार आते देख कुत्ते भौंकने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किधर भागें। पानी में घिर कर वे भी हाथ-पैर मारने लगे। एक मेंढक भी उसी पानी में तैर रहा था। खारे पानी से घबरा कर वह भैंस की पीठ पर सवार हो गया।

बगीचे में लगे गुलाब खारे पानी से मुरझा गए। बोगनवेलिया ने डर के मारे फूलों से लदी घाघरेदार डालें ऊपर कर लीं। मालती की नन्ही लता ने अपने पंजों पर उठ कर बचने की कोशिश की, पर वह तो पूरी ही डूब गई।

पानी आगे चल कर चौराहे तक पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई। ट्रैफिक जाम हो गया। लोग अपनी-अपनी गाड़ियों से निकल कर भागे। पानी एक मोटी दीवार की तरह चला आ रहा था। लोग डर के मारे गाड़ियों की छत पर चढ़ गए। कुछ लोग बिजली के खंभों पर जा चढ़े। दूकानें फटाफट बंद होने लगीं। जो लोग घरों में थे वे छत पर चढ़ गए।

सरकार को पता चला तो उसने समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञों का दल बुलाया। सफेद दाढ़ी-मूछों और मोटे-मोटे चश्मों वाले विशेषज्ञ आ जुटे। मक्के की तरह सफेद बालों वाले सबसे बूढ़े विशेषज्ञ ने कहा, 'हम यह तो जानते हैं नदी कैसे जन्म लेती है और सागर में जाकर कैसे मिलती है। पर इस खारी नदी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं।'

सबने सिर में सिर हिला कर जोर-जोर से 'हां' 'हां' की और कहा, 'हमने अब तक किसी भी किताब में इसके बारे में नहीं पढ़ा।'

जब सब विशेषज्ञ आपस में बहस कर रहे थे, तो कहीं से एक चिड़िया वहां आकर बैठ गई और कहने लगी, 'मैं जानती हूं यह नदी कहां से निकली है और इसे कैसे रोका जा सकता है?'

सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। वे चाहते थे कि अदना-सी चिड़िया की बात हंसी में उड़ा दें। पर उनके पास चिड़िया की बात मान लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था।

'ठीक है, तुम्ही कोशिश करो।' विशेषज्ञों ने सिर झुका कर कहा।

चिड़िया उड़ चली। पर झरोखे तक जाते-जाते ठहर गई और बोली, 'लेकिन ध्यान रहे, अब आगे से रूनू को कभी रुलाना मत।' ❑

कविता

वसीम अहमद

दिन आए फिर जाड़े के

सेरुका और सिंघाड़े के
दिन आए फिर जाड़े के।

तन पर भारी सजे हैं कपड़े
दिखते हैं सब मोटे-तगड़े
दिन न नंग-उघाड़े के
दिन आए फिर जाड़े के।

शीत से करने हाथापाई
निकले कंबल और रजाई
कुछ खुद के कुछ भाड़े के
दिन आए फिर जाड़े के।

ठंड से बचने का है इरादा
ताप रहे हैं बैठे दादा
निकट मवेशी बाड़े के
दिन आए फिर जाड़े के।

ठंड से रखो खुद को बचा कर
व्यापी तो मानेगी सता कर
बैठी द्वार-किवाड़े के
दिन आए फिर जाड़े के। ❑

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

बुना / भुना

जब धागे से बुन कर कोई वस्त्र तैयार किया जाता है या कपड़ा बनता है, तो उसे बुना हुआ कहते हैं। जैसे स्वेटर बुना जाता है। बुनाई के कई तरीके हैं, जैसे कपड़े में ताना और बाना होता है, पर स्वेटर आदि में एक ही धागे से बुनाई होती है। मगर भुना कर अर्थ है आग पर सेंक कर पकाया हुआ।

बहु / बहू

अधित मात्रा यानी जो मात्रा में बहुत हो, उसे बहु कहते हैं। जैसे बहु विधि। जबकि विवाह के बाद जब कन्या अपने ससुराल पहुंचती है, तो वह वहां की बहू होती है। पत्नी को भी बहू कहते हैं। वधू का तद्भव है बहू।

नटखट